Oku Hkfe gLrkUrj.k iLrko fuek.k ekxnf’kdk

2014

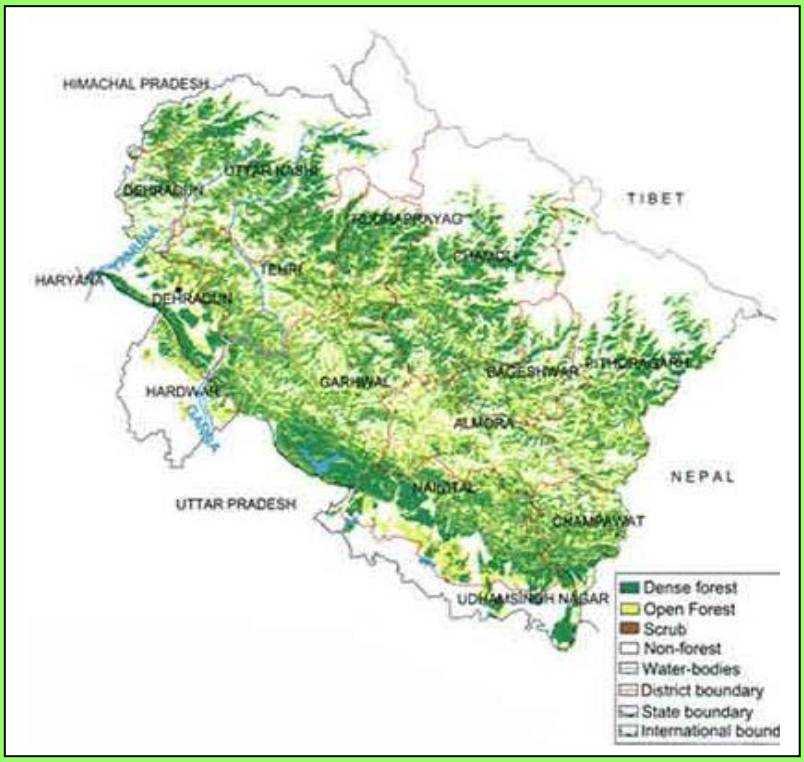

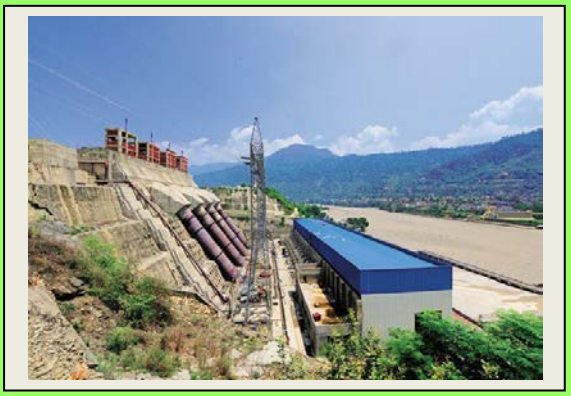

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
वन विभाग,उत्तराखंड,देहरादून

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव निर्माण मार्गदर्शिका

2014

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
वन विभाग,उत्तराखंड,देहरादून।

संदेश

उत्तराखंड एक वन बाहुल्य राज्य होने के कारण एवं राज्य का लगभग 71 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित होने के कारण, विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि की आवश्यकता होती है। वर्ष 1980 से वन संरक्षण अधिनियम– 1980 के प्रख्यापित हो जाने के कारण वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का बनाया जाना आवश्यक है। अतः हमारे राज्य के विकास के लिये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सही प्रकार से कम समय में तैयार किया जाना एवं सभी स्तरों के बिना किसी आपात्तियों के स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है । इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक मार्गदर्शिका बनाया जाना आवश्यक है, जिसमें पूर्ण प्रक्रिया को सरल भाषा में समस्त औपचारिकताओं को वर्णित किया जाये। इससे पूर्व भी एक मार्गदर्शिका (Standard Operating Procedure) बनायी गयी थी परन्तु वर्ष 2014 से वन भूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया के आन–लाईन हो जाने के उपरान्त इस मार्गदर्शिका का पुनः नये रुप में बनाया जाना और भी अधिक आवश्यक हो गया है।

नये प्राविधानों के अन्तर्गत विकास परियोजनाओं को गति दिये जाने की दृष्टि से यह नितान्त आवश्यक है कि सम्बन्धित प्रस्तावक विभागों/संस्थाओं द्वारा विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु पूर्ण एवं त्रुटिरहित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार(MOEFC)की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आन–लाईन अपलोड किया जायें। विभिन्न प्रस्तावक विभागों/संस्थाओं,वन विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीयों के मार्गदर्शन हेतु इस मार्गदर्शिका को तैयार किया गया है जिसमें वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु अपनाये जाने वाले समस्त मानक संचालन प्रक्रिया को सरल भाषा में उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव में संलग्न किये जाने वाले समस्त प्रपत्रों की चैक लिस्ट, प्रपत्रों को भरने की विधि, प्रस्ताव तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर लगने वाली समयसीमा व अन्य प्रासंगिक सूचनाओं को समावेशित किया गया है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ लगाये जाने वाले प्रपत्रों का मानकीकरण, प्रपत्रों को भरने की विधि, प्रपत्र भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें व प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों के लिये समय–सीमा का निर्धारण करते हुये समय सारणी तैयार की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मार्ग–दर्शिका से विभिन्न प्रयोक्ता एजेन्सीज को वन भूमि पर कियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के लिये अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की समुचित जानकारी प्राप्त होने के साथ–साथ, पूर्ण एवं त्रुटिरहित प्रस्ताव त्वरित गति से तैयार करने में सहायता मिलेगी व उक्त मार्ग–दर्शिका विभिन्न प्रस्तावक विभागों एवं संस्थाओं के लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

इस मार्गदर्शिका को तैयार करने में नोडल अधिकारी कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारीयों द्वारा समर्पित भाव से कार्य किया गया है जिसके लिये वे विशेष सराहना एवं बधाई के पात्र हैं। आशा है कि इस मार्गदर्शिका से विभिन्न प्रस्तावक विभागों/संस्थाओं को वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव द्रुतगति से तैयार करने में आशातीत सफलता मिलेगी, जिससे राज्य में विकास परियोजनाओं के कियान्वयन को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।

शुभकामनाओं सहित।

एस0 टी0 एस0 लेप्चा
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनसंरक्षण
उत्तराखंड,देहरादून।

विषय तालिका

क्रम	अध्याय	विषय	पृष्ट
1.	अध्याय–1	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान एवं वन संरक्षण नियमावली 2014 के मुख्य प्राविधान	9
2.	अध्याय–2	वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को आन लाईन भेजने की प्रकृया	17
3.	अध्याय–3	वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव के गठन की प्रकृया एवं आवश्यक प्रारुप	45
4.	परिशिष्ट	मलबा निस्तारण माडल योजना तथा भारत सरकार के कुछ आवश्यक निर्देश	78

अध्याय–1

वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण संशोधन नियम 2014 के मुख्य प्रविधान

वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

1.1 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मुख्य प्राविधान

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में निहित प्राविधानों व भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार वन भूमि के गैरवानिकी कार्यो हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिये केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी अनिवार्य है। उक्त अधिनियम एक रेगुलेटरी अधिनियम है एवं वन भूमि पर अधिकांश गैर वानिकी कार्यो की अनुमति भारत सरकार द्वारा ही दिया जाता है । वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार 5 हे0 तक के कतिपय प्रयोजनों में आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में अनुमति भारत सरकार के शर्तों को पूरा करते हुये राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 तक जारी की जा सकती है । वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एक केन्द्रीय अधिनियम है, जिसके तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु समस्त नियम, दिशा–निर्देश व स्वीकृति प्रदान किये जाने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार में ही निहित है।

1.2 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधान निम्न श्रेणियों की वन भूमि पर लागू होते हैं

i) आरक्षित वन भूमि, संरक्षित वन भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 के विभिन्न प्राविधानों के तहत अधिसूचित भूमि।

ii) ऐसी भूमि जो राजकीय अभिलेखों में वन भूमि के रूप में दर्ज हो।

iii) ऐसी भूमि जो शब्दकोष के अनुसार वन भूमि हो अर्थात जिसका स्वरूप वन जैसा है चाहे उसका स्वामित्व किसी का भी हो।

भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 को वन भूमि के अनियंत्रित प्रयोग पर अंकुश लगाने की दृष्टि से बनाया गया है यह अधिनियम सभी प्रकार के वनक्षेत्रों पर लागू होता है चाहे स्वामित्व किसी का भी हो। यह सभी प्रकार के आरक्षित वन, संरक्षित वन एवं अन्य प्रकार के वनों में लागू होता है एवं इन क्षेत्रों में वनों के गैरवानिकी प्रयोग हेतु अधिनियम की धारा–2(1) के अन्तर्गत सक्षम स्तर से पुर्व अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इस अधिनियम की धारा 2 सबसे प्रमुख है क्योंकिं इस धारा के अनुसार राज्य सरकार बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के वनों का गैर वानिकी प्रयोग नहीं कर सकती है।

इस अधिनियम धारा 3 के अनुसार भारत सरकार द्वारा धारा–2 के अन्तर्गत अनुमति देने हेतु एक सलाहकार समिति का गठन किया जा सकता है और यह समिति ऐसे मामलों में भी सरकार को सलाह दे सकती है जिसमें वनों का संरक्षण निहित हो। इस अधिनियम की धारा– 5 के अनुसार वन संरक्षण हेतु इससे पहले बनाये गये समस्त अन्य अधिसूचनाओं को समाप्त कर दिया गया है। इस अधिनियम के उल्लघंन करने पर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी एजेन्सी को Section 3(A) के अन्तगर्त 15 दिन तक की कैद हो सकती है। वर्ष 1988 में हुए संशोधन के द्वारा वन क्षेत्र में चाय, कॉफी एवं फल आदि के कृषिकरण को भी निषिद्ध कर दिया गय है, एवं इसी प्रकार किसी भी वन क्षेत्र को साफ करना काटना, तोड़ना, आदि भी निषिद्ध कर दिया गया है। इस संशो ा धन में आगे यह भी कहा गया है कि वनो के संरक्षण हेतु अगर किसी प्रकार का कोई प्रबन्ध कार्य किया जाता है तो भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक नहीं होगी।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यह अधिनियम वनों को आर्थिक दृष्टि से न देखकर उसे पारिस्थतिकीय रूप से अत्यन्त आवश्यक मानते हुए संरक्षण हेतु प्रेरित करता है तथा वन क्षेत्र का अन्धाधुन्ध एवं निरंकुश प्रयोग को नियंत्रित करता है न कि रोकता है।

1.3 उत्तराखंड में विधिक दृष्टि से वन क्षेत्रों का वर्गीकरण

उत्तराखण्ड में प्रशासनिक नियंत्रण के आधार पर विभिन्न श्रेणियों की वन भूमि का वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

i) आरक्षित वन भूमि– वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में।
ii) सिविल एवं सोयम भूमि– राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में।
iii) वन पंचायत भूमि– राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में। (वन पंचायतों के प्रबन्धन में)

1.4 उत्तराखंड में क्षेत्रफल/वैधानिक स्थिति के आधार पर वन भूमि का वर्गीकरण

क0सं0	वन भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल (वर्ग किमी0 में)
1.	आरक्षित वन	24,642.932
2.	सिविल एवं सोयम	4,768.704
3.	वन पंचायत	4,961.851
4.	अन्य संरक्षित वन	154.021
5.	निजी वन (नगरपालिका/कैन्टोमेंट आदि)	123.506
	कुल योग	**34,651.014**
	पिथौरागढ़ वन प्रभाग की वर्तमान कार्ययोजना के अनसुार वन क्षत्रों में बृद्वि	
	वन विभाग के अधीन आरक्षित क्षत्रे	3.81
	क्षेत्रफल जो पर्णूतया वन पचांयत में अभिलिखित है	1900.2
	अन्य अवर्गीकृत	1444.5
	महायोग (Grand Total)	**37,999.524**

Source – Forest Statitistics 2012-13

उपरोक्त से स्पष्ट है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 54,483 वर्ग किमी0 के सापेक्ष राज्य का वन क्षेत्र 37,999,52 वर्ग किमी0 है, जो प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 71 प्रतिशत है।

1.5 वन (संरक्षण) संशोधन नियमावली 2014 के प्रमुख प्राविधान

1.5.1 प्रत्येक प्रयोक्ता एजेन्सी जो गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए किसी वन भूमि का उपयोग करना चाहता है, तो इन नियमों के अधीन पहली बार अनुमोदन चाहने वाले प्रस्ताव के लिए प्रारूप 'क', जहां अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन पहले ही प्राप्त कर लिया गया है वहां पटटों के नवीकरण के प्रस्ताव के लिए प्रारूप 'ख' और खनिजों के पूर्वेक्षण के लिए प्ररूप 'ग' पर पूर्ण अपेक्षित सूचना और दस्तावेजों सहित नोडल अधिकारी कार्यालय को सुंसंगत प्रारुप में अपने प्रस्ताव भेजेगा।

1.5.2 प्रयोक्ता एजेन्सी, नोडल अधिकारी कार्यालय से अभिप्राप्ति की रसीद की प्रति के साथ प्रस्ताव की एक प्रति संबद्ध प्रभागीय वन अधिकारी, जिला कलेक्टर और प्रादेशिक कार्यालय के साथ ही पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन संरक्षण प्रभाग के निगरानी प्रकोष्ट को भी पृष्ठांकित करेगा।

1.5.3 नोडल अधिकारी भूमि हस्तातंरण प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात और उसका यह समाधान हो जाने पर कि सभी प्रकार से प्रस्ताव पूर्ण है और यह अधिनियम की धारा 2 के अधीन पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा करता है तो प्रस्ताव की प्राप्ति के दस दिन की अवधि के भीतर संबद्ध प्रभागीय वन अधिकारी और जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भेजेगा।

1.5.4 नोडल अधिकारी यदि यह पाता है कि प्रस्ताव अपूर्ण है तो वह प्रयोक्ता एजेन्सी को दस दिन की अवधि के भीतर इसे वापस करेगा और प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत किए जाने के लिए उपभोक्ता अभिकरण द्वारा ली गई यह समय अवधि और लिए गए समय को किसी भावी संदर्भ के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।

1.5.5 प्रभागीय वन अधिकारी वास्तविक ब्यौरे और प्रस्ताव की संभाव्यता की जांच करेगा, मानचित प्रमाणित करेगा, स्थल निरीक्षण और वृक्षों की परिगणना करेगा और इस संबंध में विनिर्दिष्ट फार्मेट में अपने निष्कर्ष वन संरक्षक को अग्रेषित करेगा।

1.5.6 प्रभागीय वन अधिकारी, चालीस हैक्टर तक, चालीस हैक्टर से अधिक और एक सौ हैक्टर तक तथा एक सौ हैक्टर से अधिक वन भूमि को सम्मिलित करने वाले प्रस्ताव पर अपने निष्कर्ष क्रमशः तीस दिन, पैंतालीस दिन और साठ दिन की अवधि के भीतर वन संरक्षक को भेजेगा।

1.5.7 जिला कलेक्टर, अनुसूचित जनजाति और अन्य पंरपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006(2007 का 2) (जिस एफ आर ए के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) के उपबंधों के अनुसार अधिकारों के परिनिर्धारण के लिए प्रक्रिया पूरी करेगा और ग्राम सभा या ग्राम सभाओं से सहमति प्राप्त करेगा, जब कभी आवश्यक हो और इस संबंध में विनिर्दिष्ट फार्मेट में अपने निष्कर्ष वन संरक्षण को अग्रेषित करेगा।

1.5.8 जिला कलेक्टर, एफ आर ए के अधीन अधिकारों के व्यवस्थापन के संबंध में अपने निष्कर्षों के साथ प्रस्ताव और चालीस हैक्टर तक, चालीस हैक्टर से अधिक और एक सौ हैक्टर तक और एक सौ हैक्टर से अधिक वन भूमि वाले प्रस्ताव की बाबत ग्राम सभा या ग्राम सभाओं की सहमति जहां अपेक्षित हो क्रमशः तीस दिन, पैंतालीस दिन और साठ दिन की अवधि के भीतर वन संरक्षक को अग्रेषित करेगा।

1.5.9 वन संरक्षक, वास्तविक ब्यौरे और प्रस्ताव की संभाव्यता की जांच करेगा, अपवर्तन किए जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र चालीस हेक्टर से अधिक है, उस मामले में स्थल निरीक्षण करेगा और अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव और एफ आर ए के अधीन अधिकारों के परिनिर्धारण पर रिपोर्ट और जब कभी आवश्यक हो जिला कलेक्टर से प्राप्त संबद्ध ग्राम सभा या ग्राम संभाओं की सहमति नोडल अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

1.5.10 वन संरक्षक द्वारा प्रक्रिया के लिए लिया गया समय और नोडल अधिकारी को चालीस हैक्टर तक और चालीस हैक्टर अधिक वन भूमि सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव क्रमशः दस दिन और तीस दिन के अन्दर अग्रेषित करेगा।

1.5.11 नोडल अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से सिफारिशों के साथ यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का प्रस्ताव अग्रेषित करेगा।

1.5.12 नोडल अधिकारी पांच हैक्टर तक, पांच हैक्अर से अधिक और चालीस हैक्टर तक और चालीस हैक्टर से अधिक और सौ हैक्टर तक और सौ हैक्टर से अधिक वन भूमि वाले प्रस्ताव पर अपने निष्कर्षों सहित क्रमशः दस दिन, बीस दिन, पच्चीस दिन और तीस दिन की अवधि के भीतर कार्यवाही करेगा और उसे यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को अग्रेषित करेगा।

1.5.13 राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन प्रस्ताव में उपदर्शित वनभूमि को गैर वन के प्रयोजन के लिए यथास्थिति, अनारक्षित या अपवर्तन या पट्टे पर नहीं देने का विनिश्चय कर सकेगा उसे नोडल अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर प्रयोक्ता एजेन्सी को संसूचित किया जाएगा ।परंतु केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार उपक्रमों की परियोजनाओं के लिए वन भूमि का अपवर्तन सम्मिलित करते हुए सभी प्रस्ताव जहां यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन प्रस्ताव में उपदर्शित गैर वानिकी प्रयोजन के लिए यथास्थिति अनारक्षित या अपवर्तन करने के लिए वन भूमि को पट्टे पर देने के लिए सिद्धाततः सहमत नहीं है, वहाँ यथास्थिति राज्य सरकार या संघराज्यक्षेत्र प्रशासन की टीक–टिप्पणियों के साथ केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

1.5.14 राज्य सरकार या संघराज्य क्षेत्र प्रशासन इसकी सिफारिशों के साथ उन सभी प्रस्तावों के अग्रेषित करेगा जहां यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन गैर वानिकी प्रयोजन के लिए यथास्थित, अनारक्षित या अपवर्तन करने के लिए या प्रस्ताव में उपदर्शित वन भूमि पट्टे पर समनुदेशित करने के लिए सिद्धांततः सहमत हैं और केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार उपक्रमों की परियोजनाओं के लिए वन भूमि के अपवर्तन को अंतर्वलित करते हुए सभी प्रस्ताव तीस दिन के भीतर केंद्रीय सरकार को भेजेंगे :

1.5.15 पुनः वनरोपण के लिए, इसके उपयोग के प्रयोजन के लिए वन भूमि या इसके भाग पर वृक्षों को काट गिराने वाले सभी प्रस्ताव कार्य योजना या कार्यकरण स्कीम या प्रबंधन योजना के रूप में भेजे जाएंगे।

1.5.16 यह और कि यथास्थिति, संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन इसकी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव अग्रेषित करने के बारे में प्रयोक्ता एजेन्सी या यथास्थिति प्रादेशिक कार्यालय या पर्यावरण और वन मंत्रालय को सूचना भेजेगा।

1.5.17 यह भी कि यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासक में विभिन्न प्राधिकारियों के बीच प्रस्ताव के परिवहन के लिए अनन्य रूप से लिया गया कुल समय प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव की कार्यवाही के लिए विनिर्दिष्ट समय अवधि से बीस दिन से अधिक नहीं होगा।

1.5.18 जब कभी कार्यवाही के लिए यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा लिया गया समय तै समय सीमाओं से अधिक होता है तब केंद्रीय सरकार द्वारा केवल तब प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा यदि विलंब के लिए उत्तरदायी होने के लिए धारित किसी व्यक्ति के विरूद्ध की गई कार्यवाही के साथ केंद्रीय सरकार का समाधान करने के लिए विलंब हेतु स्पष्टीकरण दिया जाता है।

1.5.19 चालीस हैक्टर तक के वन भूमि हस्तातंरण प्रस्ताव को सिफारिशों के साथ यथास्थिति संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा संबद्ध प्रादेशिक कार्यालय को अग्रषित किया जाएगा।

1.5.20 चालीस हैक्टर से अधिक के वन भूमि हस्तातंरण प्रस्ताव को राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

1.5.21 क्षति पूरक वृक्षारोपण के लिए वनभूमि या उसके भाग में वृक्षविहीन क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए निर्दिष्ट प्रस्ताव में शामिल किया जायेगा ।

1.6 वन (संरक्षण) संशोधन नियमावली 2014 के अर्न्तगत विभिन्न कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर वन भूमि हस्तातरण प्रस्तावों के निस्तारण की कार्यवाही एवं समय सीमा।

1.6.1 प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर की जाने वाली पर कार्यवाही

- प्रस्ताव में दिये गये सभी आधारभूत विवरण व आकड़ो की जाँच करना।
- प्रस्ताव की आवश्यकता व उपयोगिता की जाँच करना ।
- प्रभावित हो रहे पेड़ो की गणना करना।

स्थल निरीक्षण रिपार्ट एवं अन्य मानचित्र आदि तैयार करके इस प्रयोजन हेतु आवश्यक प्रपत्र में सूचना भरकर सम्बन्धित वन संरक्षक को निर्धारित समय अवधि में भिजवाना।

सारणी–2

क्र0सं	कार्यवाही	निर्धारित समय सीमा
1.	(0–40 हे0) तक के वन भूमि की जाँच एवं प्रस्ताव वन संरक्षक को अग्रसारित करना	30 दिन
2.	(140–100 हे0) तक के वन भूमि की जाँच एवं प्रस्ताव वन संरक्षक को अग्रसारित करना	45 दिन
3.	100 हे0 से अधिक तक की वन भूमि की जाँच एवं प्रस्ताव वन संरक्षक को अग्रसारित करना	60 दिन

1.6.2 जिलाधिकारी स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही

- प्रस्तावों के भूमि सम्बन्धी सभी सूचनाओं को पूरा करना।
- अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबन्धों के अनुसार अधिकारों के निर्धारण के लिये प्रक्रिया पूरी करना।
- प्रस्ताव में जहॉ आवश्यकता हो वहां ग्राम सभा की सहमति प्राप्त कर अपनी आख्या देना।
- निर्धारित प्रारूप में भरकर सम्बन्धित वन संरक्षक को भिजवाना।

सारणी–3

क्र0सं0	कार्यवाही	निर्धारित समय
1.	(0–40 हे0) तक के ग्राम सभा सहमति प्राप्त करना एवं प्रस्ताव वन संरक्षक को अग्रसारित करना	30 दिन
2.	(40–100 हे0) तक के ग्राम सभा सहमति प्राप्त करना एवं प्रस्ताव वन संरक्षक को अग्रसारित करना	45 दिन
3.	100 हे0 तक के ग्राम सभा सहमति प्राप्त करना एवं प्रस्ताव वन संरक्षक को अग्रसारित संरक्षक को अग्रसारित करना	60 दिन

1.6.3 वन संरक्षक स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही

- प्रस्ताव में दिये गये सभी आधारभूत आकड़े, विवरण आदि की जॉच करना।
- प्रस्ताव की आवश्यकता व उपयोगिता का अपने स्तर से जॉच करना।
- प्रस्ताव अगर 40 हेक्टेयर से अधिक का है तो स्वयं उनके द्वारा ही स्थल निरीक्षण करना।
- प्रस्ताव एवं प्रस्ताव की जॉच रिपोर्ट को अपनी सुस्पष्ट संस्तुति के साथ नोडल अधिकारी के कार्यालय में भिजवाना।

सारणी–4

क्र0सं0	कार्यवाही	निर्धारित समय
1.	(0–40 हे0) तक के वन भूमि के जॉच एवं प्रस्ताव नोडल अधिकारी को अग्रसारित करना	10 दिन
2.	40 हे0 से अधिक तक की वन भूमि की जॉच एवं प्रस्ताव नोडल अधिकारी को अग्रसारित करना	30 दिन

1.6.4 नोडल कार्यालय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही

- प्रस्ताव की सभी स्तरों से प्राप्त रिपोर्टों की जॉच करना तथा आवश्यक सुधार करवाना।
- प्रस्ताव को अपनी सुस्पष्ट संस्तुति के साथ प्रधान वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाना।

सारणी–5

क्र0सं0	कार्यवाही	निर्धारित समय
1.	(0–05 हे0) तक के प्रस्ताव की जॉच एवं प्रस्ताव शासन में अग्रसारित करना	10 दिन
2.	(5–40 हे0) तक के प्रस्ताव की जॉच एवं प्रस्ताव शासन में अग्रसारित करना	20 दिन
3.	(40–100 हे0) तक के प्रस्ताव की जॉच एवं शासन में अग्रसारित करना	25 दिन
4.	100 हे0 से अधिक तक के प्रस्ताव की जॉच एवं शासन में अग्रसारित करना	30 दिन

1.6.5 राज्य सरकार स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही

- प्रस्ताव में उपदर्शित वन भूमि के गैर वन के प्रयोजन हेतु परिक्षण किया जाना।

- प्रस्ताव की जॉच के बाद अगर वन भूमि को गैर वन प्रयोजन हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है तो प्रयोक्ता एजेन्सी को सूचित करना अन्यथा की दशा में प्रस्ताव को केन्दीय सरकार को अग्रेषित किया जाना।

सारणी–6

क्र0सं0	कार्यवाही	निर्धारित समय
1.	सभी प्रकार के प्रस्तावों में जॉच एवं आवश्यक कार्यवाही एवं रीजनल कार्यालय को अग्रसारित करना।	30 दिन
2.	प्रस्ताव विशेष पर सम्बन्धित विभाग का अभिमत प्राप्त करना एवं पोषित प्रकरणों पर आख्या उपलब्ध करना।	20 दिन

1.6.6 क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही

- प्रस्ताव की सभी प्रकार से जॉच करना।
- प्रस्ताव की जॉच के उपरान्त अगर प्रस्ताव अपूर्ण पाया जाता है तो प्रस्ताव को राज्य क्षेत्र प्रशासन को वापस करना।
- 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक के प्रस्तावों के जॉच के उपरान्त अगर प्रस्ताव अपूर्ण पाया जाता है तो प्रस्ताव को राज्य सरकार को वापस भेजना, अन्यथा की दशा में प्रस्ताव पर अनुबन्धित शर्तों के तहत सैदान्तिक स्वीकृति निर्गत करना।
- (5–40) हेक्टेयर तक के सभी प्रस्तावों को जो सभी प्रकार से परिपूर्ण हैं। उनको राज्य सलाहकार समूह की बैठक में चर्चा हेतु रखा जाना।
- राज्य सलाहकार समूह की बैठक में चर्चा के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जो भी प्रस्ताव पूर्ण पाये जायेगे उनको क्षेत्रीय कार्यालय केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अभिप्राप्त करने के लिए सचिव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भिजवायेगा अन्यथा की दशा में प्रस्ताव को सुधार हेतु वापस कर दिया जायेगा।

सारणी–7

क्र0सं0	कार्यवाही	निर्धारि
1.	सभी प्रकार के प्रस्तावों की जॉंच एवं आवश्यक कार्यवाही करना	05 कार्यकारी
2.	(0–5 हे0) तक के प्रस्ताव खनन विशेष को छोड़कर जो कि पूर्ण है उनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति की आवश्यक कार्यवाही करना	25 दिन
3.	(0–5 हे0) तक में की गई कार्यवाही से राज्य सरकार को सूचित करना	05 दिन
4.	(5–40 हे0) तक के वन भूमि प्रस्ताव जो कि जॉच के बाद पूर्ण है। में आवश्यक कार्यवाही करना	35 दिन
5.	(5–40 हे0) तक के वन भूमि प्रस्ताव जो कि आवश्यक कार्यवाही के बाद भारत सरकार को अग्रसारित करना	05 दिन
6.	उन सभी प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही जिन पर Reafforestation के लिये पेड़ो का कटान होना है (घनत्व के अनुसार)	60 दिन

1.6.7 भारत सरकार के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय प्रस्ताव की जॉच करना, जॉच के उपरान्त अगर प्रस्ताव अपूर्ण पाया जाता है तो प्रस्ताव को राज्य सरकार को वापस भेजना, अन्यथा की दशा में प्रस्ताव पर सिद्धान्ततः अनुबद्व शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन अनुमोदन प्रदान करना।

सारणी–8

क्र0सं0	कार्यवाही	निर्धारित T
1.	सभी प्रकार के प्रस्तावों में जॉच एवं आवश्यक कार्यवाही करना	10 दिन
2.	100 हे0 से अधिक की वन भूमि वाले प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही करना	40 दिन
3.	जॉच के उपरान्त सही पाये गये वन भूमि प्रस्तावों पर गठिन कमेटी का सुझाव करना	30 दिन

4.	वन भूमि प्रस्ताव पर कमेटी के सुझाव उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की आवश्यक कार्यवाही करना	30 दिन
5.	इस कार्यवाही से राज्य सरकार को अवगत करना	05 दिन

1.6.8 भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्धारित समय सारणी

- सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सृजन की लागत, क्षति पूर्ण वृक्षारोपण की धनराशि, N.P.V की धनराशि, पथ वृक्षारोपण की धनराशि, वन जीव संरक्षण की धनराशि, कैट प्लान की धनराशि, एवं अन्य मदों में देय धनराशि की मदवार सूचना बना कर प्रयोक्ता एजेन्सी की सूचित करना।
- प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी से देयक आदि की प्राप्त करके पत्र के अनुसार सम्बन्धित दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों और वचनबद्वता के साथ अपनी अनुपालन आख्या, प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराना।
- सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त अनुपालन आख्या की जॉच की जायेगी यदि जॉच रिपोर्ट सही पायी जाती है तो उसे सम्बन्धित वन संरक्षक को अग्रसारित किया जायेगा अन्यथा की दशा प्रयोक्ता एजेन्सी को सुधार हेतु वापस भेजा जायेगा।
- वन संरक्षक द्वारा अनुपालन रिपोर्ट की जॉच की जायेगी अगर जॉच में रिपोर्ट अपूर्ण पाई जाती है तो प्रयोक्ता एजेन्सी और प्रभागीय वनाधिकारी को वापस किया जायेगा अन्यथा की दशा मे रिपोर्ट को नोडल अधिकारी को भेजा जायेगा।
- नोडल अधिकारी द्वारा अनुपालन रिपोर्ट की जॉच की जाऐगी, जॉच में पूर्ण पाये जाने की दशा में नोडल अधिकारी के द्वारा अनुपालन रिपोर्ट को राज्य सरकार को भेजा जायेगा अन्यथा की दशा में वन संरक्षक को सूधार हेतु वापस भेज दिया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा अनुपालन रिपोर्ट की जॉच की जाऐगी पूर्ण होने की दशा में पर्यावरण एवं वन मंत्रायल को भेजी जायेगी अन्यथा प्रयोक्ता एजेन्सी, नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, प्रभागीय वनाधिकरी को सुधार हेतु वापस भेजा जायेगा।
- पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट की सभी प्रकार से जॉच की जायेगी, जॉच रिपोर्ट के पूर्ण होने की दशा में अन्तिम अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को सूचित किया जायेगा, अन्यथा की दशा में राज्य सरकार को सुधार हेतु भेजा जायेगा।

सारणी–9

क्र0सं0	कार्यवाही	निर्धारित सीमा
1.	नोडल कार्यालय द्वारा पत्र प्रभागीय वनाधिकारी और वन संरक्षक को सैद्धान्तिक स्वीकृति पर सूचित करना	5 दिन
2.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मदवार पत्र बनाकर प्रयोक्ता एजेन्सी को सचित करना	10 दिन
3.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालन करना	30 दिन
4.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुपालन आख्या की जांच और वन संरक्षक को अग्रसारित करना	15 दिन
5.	वन संरक्षक द्वारा अनुपालन आख्या की जांच कर नोडल अधिकारी को अग्रसारित करना	15 दिन
6.	नोडल अधिकारी द्वारा जांच कर राज्य सरकार को अग्रसारित करना	15 दिन
7.	राज्य सरकार द्वारा जांच और रीजनल कार्यालय को अग्रसारित करना	15 दिन
8.	भारत सरकार द्वारा जांच और आवश्यक कार्यवाही सहित विधिवत स्वीकृति करना	20 दिन

उपरोक्त समस्त नियमों को समावेशित करते हुये 15–8–2014 से भूमि हस्तांतरण की प्रकृया On line कर दी गई है जिसका विस्त्रित विवरण अध्याय–2 में दिया गया है ।

अध्याय–2
वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को आन लाईन भेजने की प्रकृया

2.1- भारत सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में पारदर्शिता एवं स्पष्टता लाने हेतु अपना एक वेब साईट बनाया गया है, जिसका नाम Online Submission and Monitory of Forest Clearance Proposal (OSMFC) है। इस वेब साईट को www.forestsclearnce.com पर खोला जा सकता है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 15–08–2014 के बाद के समस्त वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावों को OSMFC की इस वेब साईट पर ऑन–लाईन भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा जाना है। OSMFC एक स्वचालित कार्यप्रणाली है जिसके माध्यम से वनभूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित नये प्रस्तावों को भारत सरकार की स्वीकृति हेतु ऑनलाईन न केवल प्रेषित किया जा सकता है बल्कि प्रस्तावों के editing/Uploading के साथ–साथ प्रस्तावों को विभिन्न स्तरों पर जाँच भी की जा सकती है तथा प्रस्तावों की प्रगति भी देखी जा सकती है। इस नई कार्याप्रणाली के माध्यम से वन हस्तान्तरण प्रस्ताव में लगने वाले समय को घटाया जा सकता है, साथ ही इस कार्याप्रणाली के माध्यम से वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों की विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति के प्रगति की सूचना भी प्राप्त की जा सकती है, एवं इसके फलस्वरूप वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों की स्वीकृती में प्रादर्शिता एवं स्पष्टता प्राप्त की जा सकेगी।

2.2 ऑनलाईन प्रकिया में विभिन्न कार्यादायी संस्थाओं की भूमिका

2.2.1 *प्रयोक्ता एजेन्सी की भूमिका –*

प्रयोक्ता एजेन्सी, जो कि वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रयोग करना चाहती है को सर्वप्रथम भारत सरकार के www.forestsclearnce.com साईट को खोलकर, जिन अधिकारी/कर्मचारी को इस प्रस्ताव को आन–लाईन भेजने हेतु नामित किया गया है उनके नाम के साथ स्वंय को रजिस्टर किया जाना होगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को एक email-Id एवं Password प्राप्त होगा। प्राप्त Email Id और Password का प्रयोग करके प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा साईट पर दिये गये Form-A पर अपना प्रस्ताव ऑन लाईन अपलोड किया जायेगा।

2.2.2 *नोडल अधिकारी की भूमिका–*

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ऑन–लाईन भेजे गये प्रस्ताव को नोडल अधिकारी द्वारा गहन परीक्षण किया जायेगा। परीक्षण के उपरान्त अगर नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्ताव पूर्ण रूप से सही भरा हुआ पाया जाता है एवं सभी आवश्यक संग्लनकों को ठीक पाया जाता है, तो प्रस्ताव को प्रभागीय वनाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा, अन्यथा प्रस्ताव को प्रयोक्ता एजेन्सी को कमियों को इंगित करते हुए वापस भेजा जायेगा। समस्त कमियों को दूर होने के पश्चात प्रस्ताव को नोडल अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा एवं प्रस्ताव को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधीकारी को एवं जिलाधिकारी को अग्रेषित कर कर दिया जायेगा। डी0एफ0ओ0 एवं जिलाधिकारी द्वारा उनके स्तर पर वांछित सूचनाओं को संलग्न कर सम्बन्धित वन संरक्षक को भेजा जायेगा। वन संरक्षक स्तर की प्रकिया पूर्ण होने पश्चात प्रस्ताव पुनः नोडल कार्यालय को प्राप्त होगा। CF/CCF द्वारा प्रेषित की गई संस्तुति और नोडल कार्यालय की संस्तुति के साथ नोडल अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को अग्रसारित कर दिया जायेगा।

2.2.3 *प्रभागीय वनाधिकारी की भूमिका –*

नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्ताव को प्रभागीय वनाधिकारी को भेज दिये जाने के उपरान्त, प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे गये Form A का परीक्षण किया जायेगा एवं सही पाये जाने पर प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति दी जायेगी एवं Site Inspection Report एवं कुछ अन्य संल्गनकों को अपलोड किया जायेगा। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्ताव पर कोई सुधार नहीं करना है तो उसे केवल Form-A Part II में अपनी संस्तुति दी जानी होगी। इसके बाद प्रस्ताव को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वन संरक्षक को अग्रसारित कर दिया जायेगा।

2.2.4 *वन संरक्षक की भूमिका –*

प्रभागीय वनाधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव के Form-A को अपने स्तर से परीक्षण किया जायेगा। प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का भी परीक्षण किया जायेगा तथा वन संरक्षक द्वारा Form-A के Part III को भरा जायेगा और अगर आवश्यक हुआ तो सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जायेगी। वनं संरक्षक द्वारा उनकी संस्तुति को ऑन–लाईन आपलोड करने पर प्रस्ताव सम्बन्धित नोडल अधिकारी को पुनः अग्रसारित हो जायेगा।

2.2.5 *राज्य सरकार की भूमिका –*

नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्ताव के अग्रसारित किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव के Form-A का परीक्षण किया जायेगा। प्रभागीय वनाधिकारी वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भेजी गई संस्तुति का भी परीक्षण किया जायेगा, एवं इसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति दी जायेगी। राज्य सरकार द्वारा संस्तुति दिये जाने पर प्रस्ताव स्वंय ही क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रसारित हो जायेगा।

2.2.6 *क्षेत्रीय कार्यालय स्तर की भूमिका –*

राज्य सरकार द्वारा ऑन–लाईन, प्रस्ताव प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रस्ताव के Form-A का परीक्षण किया जायेगा तथा प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक, नोडल अधिकारी और राज्य सरकार के संस्तुति को देखा जायेगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अपनी संस्तुति प्रस्ताव में दी जायेगी एवं इसके पश्चात प्रस्ताव (MOEFC) नई दिल्ली को स्वंय ही स्वीकृति हेतु अग्रसारित हो जायेगा।

2.3 ऑनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को भरने की प्रक्रिया के मुख्य चरण

2.3.1 *रजिस्ट्रेशन (Registration)*

2.3.1.1- सर्वप्रथम प्रयोक्ता एजेन्सी को ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने के लिये भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाईट www.forestsclearance.nic.in. को खोलना है।
2.3.1.2- बेब साईट के होम पेज पर न्यू यूजर एजेन्सी पर क्लिक करके प्रयोक्ता एजेन्सी को स्वयं को रजिस्टर (Register) करना है।
2.3.1.3- प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी को उनकी ई–मेल आई0डी0 पर एक पासवर्ड मिलेगा। यह प्रक्रिया केवल एक बार होगी। प्रयोक्ता एजेन्सी उनको प्राप्त आईडी के प्रयोग से भविष्य में उनके द्वारा एक से अधिक प्रस्तावों को अपलोड किया जा सकता है।

2.3.2 *–लोग–इन (Login)*

2.3.2.1.- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के उपरान्त एंव पासर्वड तथा आई0डी0 प्राप्त हो जाने के नामित अधिकारी कार्यालय के यूजर एजेन्सी www.Forestclearence.nic.in साईट के राईट द्वारा लागईन पर किल्क करना है।

2.3.2.2- प्रयोक्ता एजेन्सी से ID और Password पूछने पर उनकी प्राप्त ID और Password को चिन्हित स्थान पर टाईप करना होगा। प्रथम बार लॉग–ईन करने के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी को एक बार पासवर्ड बदलना आवश्यक होगा। कृपया इस पासवर्ड को सुरक्षित रख लें, क्योंकि भविष्य में इसी ईमेल आई डी तथा पासवर्ड द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा www.forestsclearance.nic.in. पर लॉग–इन किया जा सकेगा।

2.3.2.3- इसके बाद Login बटन पर पुनः नये पासवर्ड एवं आई0डी0 डालकर क्लिक करना है।

2.3.2.4- प्रयोक्ता एजेन्सी को सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये प्रस्ताव को तैयार करना है। अतः सर्वप्रथम एक प्रस्ताव पूर्ण रूप में तैयार करके एवं समस्त प्रपत्रों और मानचित्रों, संलग्नकों आदि को स्कैन करके उनकी एक PDF प्रति तैयार कर लेनी होगी एवं तदोपरान्त उक्त पीडीएफ फाईलों को एवं संलग्नकों को इस अध्याय के अन्त में दिये जा रहे सूची अनुसार अपलोड किया जाना आवश्यक है। अगर आवश्यक संल्गनकों को एक फोलडर में सूची में दिये गये क्रम संख्या अनुसार–नाम डालकर PDF and KML format में अवश्यकता अनुसार रख लिया जाये तो प्रस्ताव को बिना किसी त्रुटि के आनलाईन अपलोड किये जाने में सुगमता हागी।

2.4- –नये प्रस्ताव को अपलोड किये जाने की विधि

2.4.1- होमपेज पर जाकर अपनी ईमेल आई0डी0 पर लॉग–इन करने के उपरान्त Add New पर राईट क्लिक करना है, इस पर तीन विकल्प प्राप्त होंगे :

- Form A नये प्रस्ताव को भरने के लिये।
- Form B लीज के नवीनीकरण के लिये।
- Form C खनन से सम्बन्धित प्रस्तावो के लिये।

2.4.2 - प्रयोक्ता एजेन्सी को नये प्रस्ताव को अपलोड करने के लिए Form (A) के भाग–1 में पर क्लिक करना होगा, Form (A) में सात पृष्ट हैं। इन्हीं पृष्टों प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एक–एक करके अपने प्रस्ताव की सूचना अंग्रेजी में भरनी है। इस सभी पृष्टों के बारे में संक्षेप में इस अध्याय के अन्त में बताया गया है। प्रत्येक पृष्ट पर Save as Draft अथवा Next का विकल्प दिया गया है। Save as Draft या अन्त में Save and Lock चुने जाने पर Unique Proposal No. स्वतः जनरेट हो जायेगा।

2.4.3 - Form A में प्रयोक्ता एजेन्सी सारे प्रपत्रों को पूर्ण रूप से भरना है। जब तक सूचना पूर्ण रूप से न भरी जाये Save as draft पर ही किल्क करना है ताकि सूचना बाद में संशोधित भी की जा सके। विशेष रूप से यह ध्यान रखा जाना है कि जब तक प्रस्ताव पूर्ण रूप से ना भर जाये तब तक प्रस्ताव को Save as draft पर भरने के लिए ही रखा जाना है। प्रत्येक बार लाग–ईन करने पर सूचनाओं को भरने के लिए एक निश्चित समय अवधि प्राप्त होगी। अगर सूचना निश्चित समय अवधि पर नही भरा जा पाये तो Save as Darft करके कार्य को सुरक्षित रखा जा सकता है एवं पुनः एक बार लाग ईन करके पुनः नये हुये पृष्टों को भरा जा सकता है।

2.4.4- प्रयोक्ता एजेन्सी को अपने प्रस्ताव में एडिटिंग/सुचनाओं में सुधार किये जाने के उपरान्त एवं यह देखे जाने के उपरान्त कि सभी संलग्नक सूची अनुसार आनलाईन अपलोड हो गया है तो अन्त में Save as lock पर क्लिक करना है। Save as lock करने के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में कोई नई सूचना नहीं भरी जा पायेगी।

2.4.5- Form A में Save as lock करने के बाद प्रयोक्ता एजेन्सी को एक प्राप्ति रसीद प्राप्त होगी जो उनके द्वारा दिये गये ई–मेल आई0डी0 पर प्राप्त होगा।

2.4.6- प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी को अपने पूर्ण रूप से संशोधित प्रस्तावों की कम से कम तीन प्रति तैयार करनी होगी, जिसकी एक प्रति सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में एक प्रति नोडल कार्यालय में और एक प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी को देनी होगी।

2.4.7- नोडल कार्यालय से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ऑन–लाईन भेजे गये प्रस्ताव में अगर कोई कमी पाई जाती है, तो उसके बारे में प्रयोक्ता एजेन्सी को दस दिन के अन्दर ऑन–लाईन सूचना भेजी जायेगी। जिनका निराकरण करके प्रयोक्ता एजेन्सी को ऑन–लाईन ही नोडल कर्यालय को पुनः सूचित करना होगा।

2.4.8 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूर्ण रूप से ठीक प्रकार भरा हुआ प्रस्ताव भेज दिया जायेगा उसे नोडल अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा एवं पुनः उसे सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी को उनके स्तर से भरी जाने वाली सूचनाओं हेतु अग्रेसित कर दिया जायेगा।

2.4.9 प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर ww.forestsclearance.nic.in पर साईट को खोलना है तथा मुख्य पृष्ट पर अपलोड किये गये प्रस्ताव को क्लिक करके खोलना है। साईट को खोलने के लिए उन्हे उनको दिये गये पासवर्ड एवं आई0डी0 का प्रयोग करना होगा।

2.4.10 प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा जो पृष्ठ भरे जाने हैं उनके विषय में इस अध्याय के अन्त में विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। मुख्य रूप से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा Site Inspection Report को Upload किया जाना है एवं प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति दी जानी है।

2.4.11 उपरोक्ता अनुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी को भी अपने स्तर पर साईट को खोलकर FRA 2006 के प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना है।

2.4.12 प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा उनके स्तर के प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये जाने के पश्चात नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्ताव को राज्य सरकार को अपनी संस्तुति के साथ स्वीकृति हेतु अग्रेसित कर दिया जायेगा।

2.5 भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों को ऑन–लाईन भेजे जाने की प्रकिया एक नजर मेंः–

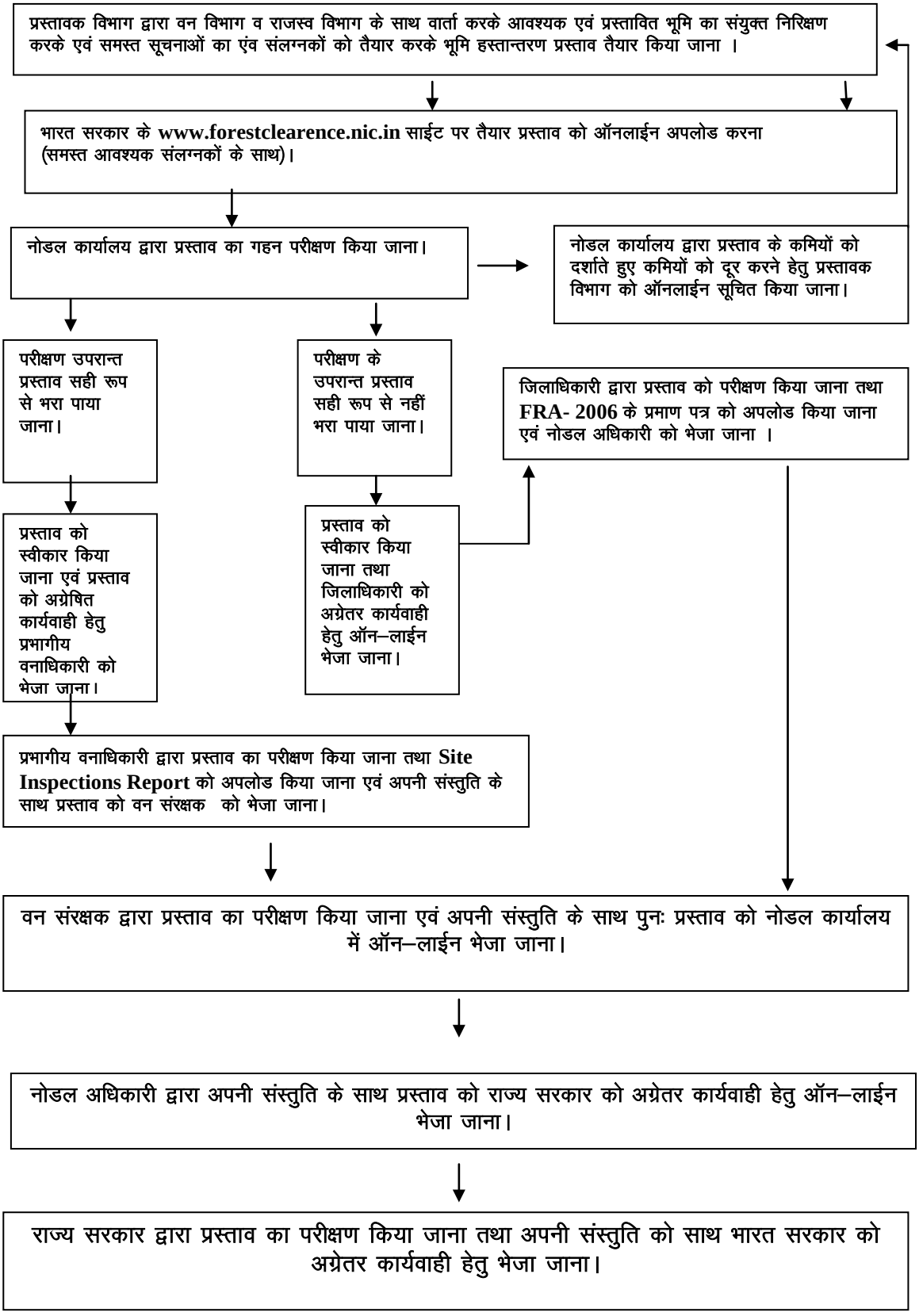

2.6- प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा अपलोड किये जाने वाले आवश्यक संलग्नक

2.6.1 – *अनिवार्य संलग्नक*

अनिवार्य संलग्नक वो हैं जिन्हें प्रस्ताव को अपलोड करते समय अनिवार्य रूप से एक–एक करके साईट पर आवश्यक रूप से अपलोड किया जाना है। **अनिवार्य संलग्नक निम्न प्रकार हैं –**

सारणी–10

संलग्नक सं0	संलग्नक का नाम **Name of the Attachment**	संक्षिप्त विवरण **Short Description**
1.1	Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency. सक्षम अधिकारी / ऑन–लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण पत्र।	जिस व्यक्ति द्वारा प्रस्ताव को अपलोड किया जायेगा, उसके नाम एवं पद के साथ के कार्यालयध्यक्ष द्वारा एक प्रमाणपत्र इस कार्य को करने हेतु सक्षम बनाकर दिया जाना है।
1.2	Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted. सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वन क्षेत्र को दर्शाया गया हो।	सर्वे आफ इण्डिया के टोपोशीट पर प्रस्तावित समरेखन जिन–जिन वन क्षेत्र से गुजरेगा उस क्षेत्र की वनों की वैधानिक स्थिति को दर्शाते हुए अलग–अलग रंग प्रयोग करते हुए दर्शाया जाना है।
1.3	Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS. मैप जिसमें टोपोशीट पर प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 के साथ दिखाया गया हो।	यह एक ऐसा मानचित्र है जिसे डिजिटाईजड मैप पर कम्प्यूटर पर बनाना है और इस मानचित्र पर प्रस्तावित समरेखन को GPS के साथ दर्शाया जाना है। इस मानचित्र की की CD भी बनायी जानी है ।
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend. (kml file) (pdf file). गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	Goole Earth साईट को खोलकर उस पर प्रस्तावित तथा वैकल्पिक समरेखन के GPS डालने पर यह मानचित्र तैयार हो जायेगा और इस मानचित्र को Google Earth में Save करने पर स्वयं KML File तैयार हो जायेगी इस मानचित्र की एक प्रिन्ट निकालकर एवं उसे स्कैन करके प्रस्ताव के साथ अपलोड किया जाना है। PDF file में
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land (pdf file). प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	प्रस्ताव में जिस वन भूमि की माँग वनों के गैर वानिकी प्रयोग हेतु माँगी जा रही है उस माँग के ऑचित्य को दर्शाते हुए एक सन्र्दभित आख्या देनी है। आख्या में इस वन भूमि के विक्लप क्यों नहीं है इस पर भी विस्त्रितों आख्या देनी है।

1.6	Certificate by DM- Forest Right Act-2006(in MoEF revised prescribed form) (pdf file). जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकार अधिनियम, 2006 का प्रमाण–पत्र मय संलग्नकों के (नये प्रारूप में)।	यह प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारुप में जिलाधिकारी द्वारा दिया जाना है,परन्तु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दो प्रमाण पत्र जिसमें ग्राम वासियों द्वारा अनापित्त दिया गया हो और एक प्रामण पत्र जिसमें उपजिलाधिकारी द्वारा ग्राम स्तर पर बैठक आदि करके वनाधिकार के निर्धारित हो, जाने के संबध दिया गया हो को अपलोड किया जाना है।
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation: signed by DFO (pdf file). प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थान को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	इस प्रमाण पत्र पर टोपोसीट की छायाप्रति जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थान को स्पष्ट GPS संख्या के साथ दर्शायी गई हो को Scan करके एंव उसकी Pdf File बनाकर अपलोड किया जाना है।
1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA. (kml file) signed by DFO (pdf file). रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	इस मानचित्र पर गूगल मैप की रंगीन छाया प्रति जिस पर प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो को Scan करके एवं Pdf file बनाकर अपलोड किया जाना है । ध्यान यह रखा जाये कि जिस स्थान पर वृक्षारोपण प्रस्तावित है उस स्थान का नाम भी इस मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाये।
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate (pdf file). यदि प्रस्तावित कार्य हेतु गैर वन भूमि अथवा राजस्व वन भूमि की आवश्यकता हो तो भूमि धर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण–पत्र।	अगर प्रस्ताव में वन क्षेत्र के अतिरिक्त ऐसा क्षेत्र भी प्रस्तावित किया जा रहा है जो कि वन नही है यानि निजी भूमि/राजस्व भूमि/व्यक्तिगत है तो प्रस्तावित व्यक्तिगत क्षेत्र या अन्य प्रकार का भूमि जो वन विभाग के कब्जे में नहीं है, उसके वर्तमान स्वामी द्वारा एक अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा उनके भूमि के स्वामी होने का प्रमाण पत्र Scan कर अपलोड किया जाना है।
1.10	Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency. (pdf file). भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीच हुए करार (PDF).	अगर प्रस्ताव में गैर वनभूमि यानि ऐसा वन क्षेत्र जो कि वन विभाग के कब्जे में नहीं है, भी प्रस्तावित है तो प्रयोक्ता एजेन्सी वर्तमान भू स्वामी के साथ एक करार करना पडे.गा कि इस वन भूमि को वर्तमान भू स्वामी किन शर्तों पर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराय । इस करार की प्रति pdf format upload किया ।
1.11	Cost benefit anylises (in more then 5.0 ha. Land diversion cases) (pdf file). विस्तृत लागत–लाभ विशलेषण प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट को बनाने में जितना व्यय किया जायेगा, उतना करने के पश्चात अथवा किये जाने के दौरान/सतत रूप से कितना आर्थिक लाभ होगा का तुलनात्मक विवरण भारत सरकार द्वारा निर्धारत प्रारुप में पूर्ण औचित्य के साथ दिया जाना है।

2.6.2- *अतिरिक्त संलग्नक*

अतिरिक्त संलग्नक वे हैं जिन्हे प्रस्ताव के अनिवार्य 11 संलग्नकों को अपलोड करने के पश्चात सबसे अन्त में साईट के अन्तिम पेज पर Additional Information के नाम में एक साथ एक के बाद एक अपलोड करना है। यह **अतिरिक्त संग्लनक निम्न प्रकार से हैं–**

सारणी–11

संलग्नक सं0	संलग्नक का नाम **Name of the Attachment**	संक्षिप्त विवरण **Short Description**
2.1	A short narrative and importance of the project.. (pdf file). प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यक्ता।	एक सारगर्भित आख्या, जिसमें प्रस्तावित परियोजना के विषय में पूरा विवरण संक्षेप में दिया गया हो को अपलोड किया जाना है, जिसमें प्रस्तावित कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य का पूर्ण वर्णन किया जाना ।
2.2	Administrative and Financial sanction (pdf file). परियोजना हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति को Scan कर अपलोड किया जाना है तथा यह ध्यान रखा जाना है कि यह प्रमाण पत्र स्वच्छ एवं पठनीय हो जिसमें सक्षम अधिकारी के नाम पद कार्यलय दिनांक आदि स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो ।
2.3	Preliminary Joint Inspection report (by user agency, forest department, revenue department etc.) (pdf file). संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट। (प्रयोक्ता एजेन्सी तथा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ)।	प्रस्ताव कों बनाते समय प्रारम्भ में प्रयोक्ता एजेन्सी, वन विभाग, राजस्व विभाग, एवं अन्य दावेदारों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाना है एवं इस निरीक्षण आख्या को बनाते समय यह ध्यान रखा जाना है कि प्रस्तावित समरेखण, वैकल्पिक समरेखण एवं मलवा निस्तारण का चयन भी साथ–साथ कर लिया जाये एवं उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इसका विवरण दिया जाये। प्रस्तावित एवं वैकल्पिक समरेखनों पर वृक्षों की गणणा कर ली जाये।अच्छा होगा कि भूवैज्ञानिक का सलाह भी प्रस्तावित समरेखन हेतु प्राप्त कर ली जाये ।
2.4	Comperative chart showing statement of both alignment or alternate site explored for the proposed project and reasons for their rejection duly countersigned by DFO. (pdf file). वैकल्पिक संरेखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्त किये जाने का औचित्य एवं कारण।	इस स्थान पर एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें प्रस्तावित समरेखण एवं वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने एवं प्रस्तावित संमरेखण को चुने जाने का पूर्ण आधार comparative chart बनाकर दिया गया हो अपलोड किया जाये।
2.5	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for the project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum. (pdf file). जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	इस स्थान पर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा एक प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त किसी भी दूसरे वैकल्पिक क्षेत्र उपलब्ध ना होने के विषय में एवं प्रस्तावित मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र दिया जाना है एवं इस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर भी आवश्यक रूप से होने है।

2.6	Land schedule (for RF signed by DFO and civil soyam, Van panchayat and private nap land signed by DM). (pdf file) . प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूंल (रिजर्व फोरेस्ट में प्रभागीय वनाधिकारी तथा राजस्व भूमि में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	लैण्ड शैड्यल आदि इस मार्गदर्शिका के अन्त में जो प्रारूप दिया गया है उसी प्रारूप में बनाया जाना है एवं इसमें सभी सम्बन्धित अधिकारियों के हस्ताक्षर होने है।
2.7	Category wise (RF,civil soyam, Van panchayat and private nap land, Notified forest land etc.) land length, width and area in Ha. (pdf file). परियोजना की लम्बाई चौड़ाई तथा कुल क्षेत्र हे0 में भूमि विभिन्न वर्गवार आरक्षित, निजि वन, वन पंचायत, नीजि भूमि, आदि।	प्रस्तावित भूमि के विभिन्न उपयोग के विषय में एवं विभिन्न प्रकार की भूमियों की आवश्यकता होगी उसे हेक्टेयर में दर्शाया जाना हैं एवं इस प्रमाण पत्र पर भी जिलाधिकारी एवं अन्य दावेदारों के हस्ताक्षर होने हैं।
2.8	Bar Chart with index (counter signed by DFO). (pdf file). परियोजना का भूमि उपयोग का बार–चार्ट। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	बार चार्ट इस मार्गदर्शिका में दिये गये प्रारुप के अनुसार ही बनाना है और यह ध्यान रखा जाना इस बारचार्ट में केवल वन भूमि को ही नहीं वरन प्रस्ताव में शामिल सभी प्रकार की भूमि को प्रयोजन वार एवं समरेखण में किस स्थान पर किस भूमि का उपयोग होगा उसे विभिन्न रंगों से दर्शाया जाना है।
2.9	Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land (10 years) by DFO (pdf file). क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना सिविल भूमि पर (10 वर्षीय दरों पर)।	दस वर्षीय क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रभागीय वनाधिकारी से तैयार करवाकर कर एवं उनके हस्ताक्षर कराकर अपलोड किया जाना है। योजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल तथा उसके अशांक्ष एवं देशान्तर
2.10	Certificate regarding suitability of indentified land for Comensatory Afforestation by DFO (pdf file). क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन स्थल उप्युक्तता प्रमाण–पत्र। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा)।	जिस स्थान पर क्षति पूरक वृक्षारोपण होना है वह स्थल वृक्षारोपण हेतु पूर्ण रूप उपयुक्त है एवं उस स्थल पर वृक्षारोपण किये जाने की आवश्यकता है के विषय में एक प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर अपलोड किया जाना है।
2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory afforestation duly counter signed by the DFO (pdf file). प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण को बहन किये जाने का प्रमाण–पत्र। (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	क्षति पूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वहन किया जायेगा के विषय में एक प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से बनाकर अपलोड किया जाना है।
2.12	Road side/gap filling plantation estimate (by DFO) (pdf file). प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	रिक्त स्थानो पर एवं खाली स्थानों पर 10 वर्षीय पौधारोपण करने का प्राकल्लन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार करके अपलोड किया जाना है।

2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap filling plantation (by user agency) (pdf file) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रोड साईड पथ वृक्षारोपण एवं रिक्त स्थानों पर होने वाले प्लानटेशन के व्यय को वहन किये जाने सम्बन्धी एक प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना है।
2.14	Estimate of 100 trees plantation by DFO (less then 1.0 ha. cases) (pdf file). प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र। (1 हे0 से कम में लागू।)	100 वृक्षों का DFO स्तर से 10 वर्षीय प्राक्कलन बनवाकर अपलोड किया जाना है।
2.15	Details of the trees with their scientific name in RF, Civil Soyam, Van Panchayat, Private Notified land and in Nap Land should be mentioned (with valuation of the trees to be felled) (0-10 dia trees will be mentioned as saplings). (pdf file) Tree count. परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम। (सूची आरक्षित वन क्षत्र, सिविल, वन पंचायत, एवं निजी भूमि दोनों अलग–अलग बनायी जानी होगी)।	काटे जाने वाले वृक्षो की सूची मय वैज्ञानिक नाम के बनाकर अपलोड किया जाना है और यह ध्यान रखा जाना है कि आरक्षित वन सिविल वन, वन पंचायत, नाप भूमि आदि स्थानो पर करने वाले वृक्षों की भूमीवार अलग–अलग सूचियाँ बनायी जायें।
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF has to be provided). (pdf file). बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण–पत्र।	अगर बांज वृक्षों का पातन निहित है तो वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण पत्र वन संरक्षक स्तर से बनवाकर अपलोड किया जाना हैं
2.17	If felling of trees is not involved, certificate by DFO in this regard. (pdf file). अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र।	अगर वृक्षों का पातन निहित नहीं है तो इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से एक प्रमाण पत्र तैयार करवाकर अपलोड किया जाना है।
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work. (pdf file) . न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	न्यूनतम वृक्षों के पातन हेतु प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से बनवाकर अपलोड किया जाना है।
2.19	Muck disposal scheme (in prescribed format) (pdf file). परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना। (निर्धारित प्रारूप में)।	मलवा निस्तारण प्रस्ताव बनाये जाने का माडल इस मार्गदर्शिका में दिया गया है । इसी के अनुसार प्लान बनाकर अपलोड किया जाना है।

2.20	Whather project area is a part of National Park or sanctuary and airal distance of the project from National Park or sanctuary signed by DFO. (pdf file). प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	प्रस्तावित स्थल के राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी कितनी है के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी से एक प्रमाण पत्र बनाकर अपलोड किया जाना है।
2.21	If the project area is within 10 Km radius of N/P or Centuary, Comments/No objection certificate of CCF Wild Life has to be provided. (pdf file) . यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी0 की परिधि में आता है तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र	अगर प्रस्तावित स्थल के राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा नही है और हवाई दूरी सीधी दूरी राष्ट्रीय अभयारण्य से 10 कि0मी0 या कम है तो मुख्य वन्य जीव प्रति पालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना है।
2.22	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs recommendation of State Wild Life Board, National Board of Wild Life (NBWL) and permission of Hon'ble Supreme Court/MoEF GoI. (pdf file). यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है तो ऐसे प्रकरणों में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, भारतीय वन्य जीव परिषद एवं मा0 उच्चतम न्यायालय की अनुमति ।	अगर प्रस्तावित स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य के अन्दर आता है तो उस दशा में राज्य वन्य जीव बोर्ड तथा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड एवं माननीय उच्चतम न्यायालय भारत सरकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपलोड किया जाना है।
2.23	No voilation has taken place, FC Act. 1980 reg. (pdf file). वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र।	प्रस्तावित स्थल पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है, के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपलोड किया जाना है। अगर हुआ है तो उस संबध में विवरण दिया जाना है ।
2.24	NOC from local Gram Sabhas. (pdf file). आम–सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	प्रस्तावित स्थल के विषय में ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपलोड करना हैं
2.25	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent authority with name and designation (pdf file). प्रस्तावित परियेाजना का ले–आउट प्लान एवं प्रांकल्लन तथा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मय नाम एवं पद के साथ।	अगर भवन निर्माण आदि होना है तो ले आउट प्लान एवं प्राक्कलन सक्षम अधिकारी द्वारा हस्तारिक्षत विस्त्रत प्लान अपलोड किया जाना है ।

2.26	Component wise details of construction work. (pdf file) . अवयव के अनुसार निर्माणाधीन कार्यों का विवरण। (यदि लागू हो तो)।	अगर प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का कोई निमार्ण होना है तो अलग–अलग कार्य के मदवार मात्रा का विवरण बनाकर अपलोड किया जाना है।
2.27	Certificate- work has not been started reg. (pdf file). कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र।	प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है इस सम्बन्ध में एक प्रमाण पत्र बनाकर अपलोड किया जाना है।
2.28	Geologist Report (Govt. approved Geologist). (pdf file). भू–वैज्ञानिक की आख्या।	भू वैज्ञानिक की आख्या प्राप्त कर अपलोड किया जाना हैं।
2.29	Task Force report. टास्क–फोर्स रिपोर्ट।	अगर प्रस्तावित स्थल पर टास्कफोर्स के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो टास्क फोर्स से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपलोड किया जाना है।
2.30	Certificate by user agency for complying the condition imposed in Standard Condition (pdf file). प्रस्तावक विभाग द्वारा मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	मानक शर्तों की सूची का प्रारुप दिया गया है जिसको की प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा मान्य होने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर करके अपलोड किया जाना है।
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/Task force recommendation in hill areas (excluding drinding water. टास्क–फोस एवं भू–वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा टास्क फोर्स एवं भू वैज्ञानिक रिपोर्ट में अगर कोई शर्तें लगाई गई है तो उसको मान्य होने के सम्बन्ध में एक प्रमाण पत्र दिया जाना है।
2.32	No historical/monumental or relegeous place will be effected certificate reg. (by DM/DFO) (pdf file). धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण–पत्र।	प्रस्तावित स्थल पर या आस–पास धार्मिक, पौराणिक भवन आदि ना होन का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त कर अपलोड करना है।
2.33	Undertakoing regarding no animal will be effected adversely by the project. (Pdf file). वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण–पत्र।	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्रस्तावित कार्य के होने से किसी भी प्रकार के वन्य जीव या वनस्पति को क्षति न होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना है।
2.34	Undertading to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to labours involved in project. (Pdf file). परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी का तैल एवं रसोई गैस का प्रमाण–पत्र।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रदत्त परियोजना के दौरान श्रमिकों का गैस/कैरोसीन या एल0पी0जी0 उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना है।
2.35	Benefited villages/Families/Population Certificate. (pdf file). लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र	लाभान्वित होने वाले परिवारो/जनसंख्या के विवरण के संबध में प्रयोक्ता एजेन्सी तथा राजस्व विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।

2.36	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreem court /MoEF orders by DFO (pdf file). एन0पी0वी0 की देयता का प्रमाण–पत्र।	नेट प्रेसेन्ट वैल्यू (N.P.V) के गणणा का प्रमाण पत्र/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नियमानुसार आंकलन किया जायेगा एवं अपलोड किया जायेगा।
2.37	Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreem Court increses the rates of NPV (by user agency) मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि की देयता का प्रमाण–पत्र।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0वी0पी0 के बढी हुयी धनराशी को देने हेतु सहमति का प्रमाण पत्र देना होगा।
2.38	Cost of the forest land and lease rent certificate by DM. (pdf file). वन भूमि के लीज रेंट का प्रमाण–पत्र।	सबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि का मूल्य एवं लीज रेन्ट के प्रमाण पत्र को अपलोड करना है।
2.39	Certificate of Lease period by user agency. (pdf file) . लीज अवधि का प्रमाण–पत्र।	लागू होने पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लीज अवधि का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
2.40	Demarcation of land to be diverted (pdf file). आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्रमाण– पत्र।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावित स्थल के सीमांकन हेतु लगाये जाने हेतु सीमा पिलरों के प्राकल्लन को अपलोड करना होगा।
2.41	Undertaking of user agency to bear the cost for dimarcation work (pdf file). आर0सी0सी0 पिलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया।	सीमा पिलरों पर होने वाले व्यय को वहन करने करने का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिया जाना।
2.42	Non-availibility of non-forest land for compensatory afforastation certificate by Chief seceratary (pdf file). क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्या सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र। (अगर लागू हो)।	अगर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि उपलब्ध नही है तो इस सम्बन्ध में संबध में मुख्य सचिव द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र दिया जाना होगा।
2.43	Check list/Fact sheet . /Other imp details चैक लिस्ट/फैक्ट शीट/अन्य विवरण	प्रभावित परियोजना के संबध में संक्षेप में एक सार संक्षेप (फैक्ट शीट) को अपलोड करना है।

वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव को ऑन–लाइन अपलोड करते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें।

1. सर्व प्रथम प्रस्ताव ऑन–लाइन अपलोड करने से पूर्व प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने वाले फार्म 'ए' भाग–1 में लगाये जाने/अपलोड किये जाने वाले समस्त प्रमाण–पत्रों/ अभिलेखों/मानचित्रों को पी0डी0एफ0 फॉर्मेट में परिवर्तित कर साफ्ट कापीज् को एक फोल्डर में सुरक्षित (Save) कर लिया जाय। File को Save करते समय ध्यान देना है कि File के नाम में कोई Special charater ना डाला जाये तथा file का size 20 MB से अधिक ना हो ।

2. पी0डी0एफ0 स्कैन को इस कार्यालय द्वारा बनाये गये संलग्नक–1 तथा तथा संलग्नक–2 (Attachments-1 तथा Attachments-2) में अंकित क्रम के अनुसार ही नाम/बिन्दु संख्या लिख कर स्कैन किया जाय। उदाहरणार्थ संलग्नक–1 के बिन्दु संख्या–1 में संलग्न किये जाने वाले प्रमाण–पत्र (प्रस्ताव को ऑन–लाइन किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत किये गये कर्मचारी/अधिकारी से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र) को 1.1, बिन्दु संख्या–2 में प्रस्तावित परियोजना को प्रदर्शित करते हुए सर्वे ऑफ इण्डिया के 1:50000 के पैमाने के मानचित्र में स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए सम्बन्धित सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर सहित संकेत तालिका (Legend) भी बनायी गयी हो, को 1.2 तथा इसी प्रकार अन्य क्रमवार नम्बर दिये जांय, ताकि प्रस्ताव अपलोड करते समय प्रत्येक बिन्दु की सूचना निर्दिष्ट क्रम में अपलोड किया जा सके।

2.7 भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों को ऑन लाईन अपलोड किये जाने हेतु www.forestsclearance.nic.in के प्रमुख पृष्ठ एवं उनका संक्षिप्त परिचय।

2.7.1 भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन का मुख पृष्ठ

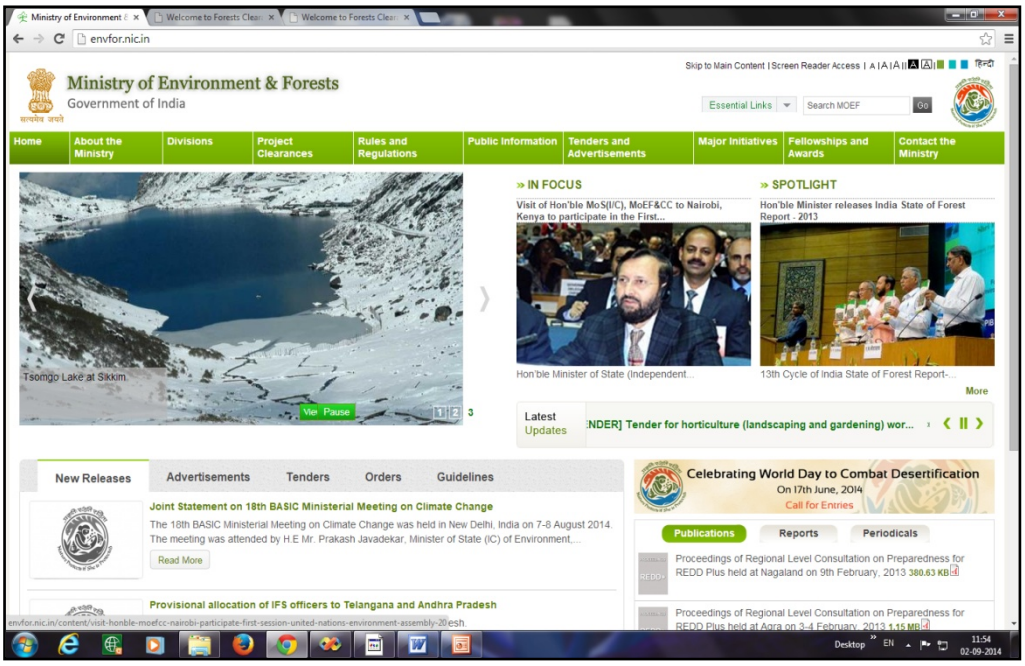

यह भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय का मुख पृष्ठ है, जिसे address bar में envfor.nic.in टाईप कर खोला जा सकता है। इस पेज पर निम्न के अनुसार Project clearance tab में Forest clearance पर क्लिक करने पर एक निम्न विन्डो खुलेगी। इस पेज पर नये प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पंजीकरण करने, पूर्व से पंजीकृत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लॉग–इन कर प्रस्ताव अपलोड करने तथा Processing authority द्वारा लॉग–इन कर वांछित डाटा इन्ट्री/प्रस्ताव का परीक्षण इत्यादि किया जा सकता है।

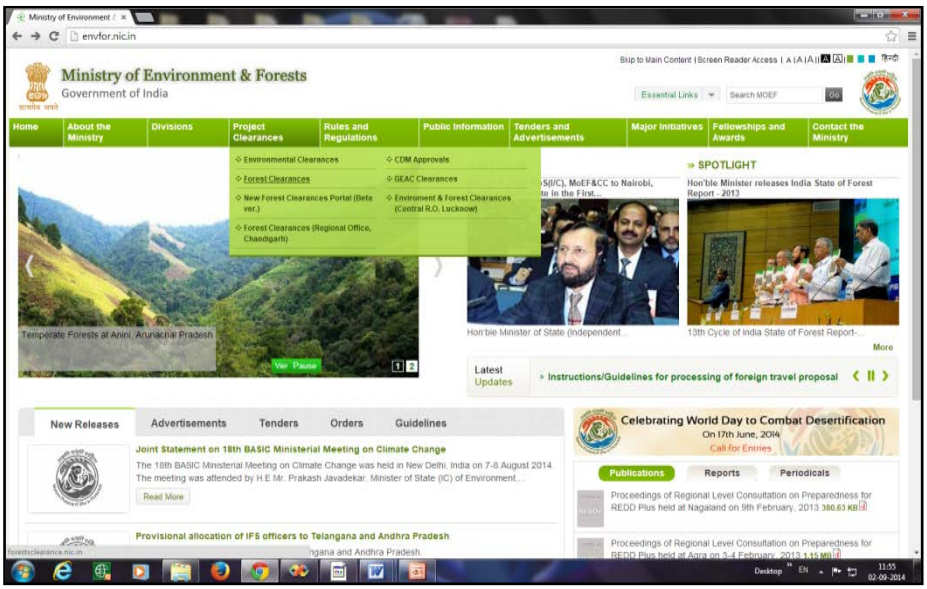

2.7.2 **मुख्य लॉग–इन पेज**

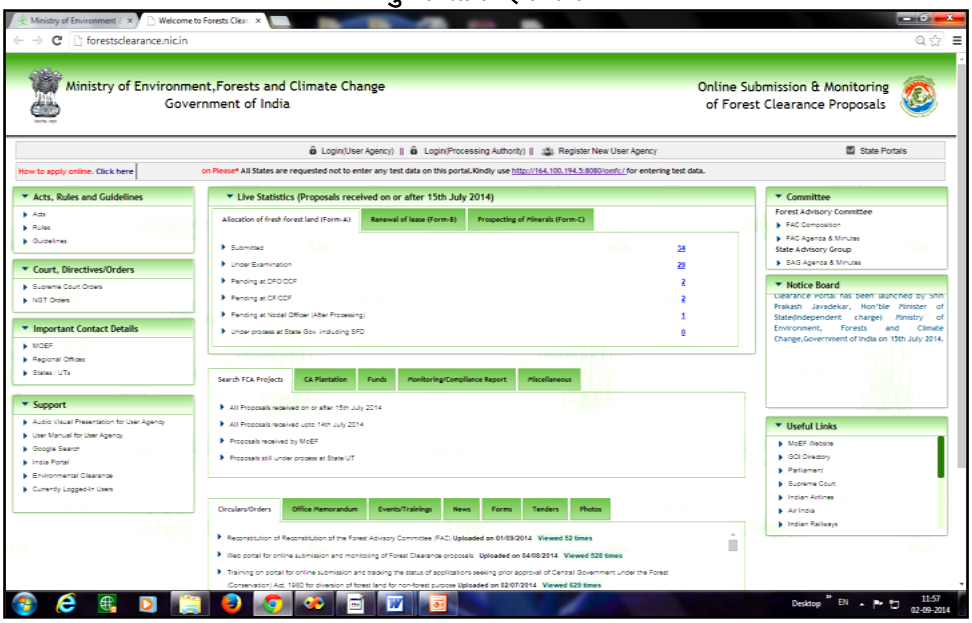

इस पृष्ठ पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं को पंजीकृत (register) किया जा सकता है एवं पासवर्ड प्राप्त किया जा सकता है। पंजीकृत होने के उपरान्त आवश्यकता अनुसार समय–समय पर लॉग–ईन कर सूचनाओं की पृविष्टि/संशोधन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें कतिपय अन्य जानकारियां भी प्राप्त की जा सकती हैं।

नये प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पंजीकरण (registeration) हेतु Register New user Agency पर क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें सुंसगत सूचनाओं की पृविष्टि करने के उपरान्त पेज के नीचे दिये गये Submit बटन को क्लिक करना होगा। एक बार पोर्टल पर रजिस्टर करने पर प्रयोक्ता एजेन्सी का पासवर्ड स्वतः ही पोर्टल द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिये गये ई–मेल पते (Resistered E-mail address) पर भेज दी जायेगी। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने रजिस्टर्ड ई–मेल में पोर्टल द्वारा दिये गये लिंक पर क्लिक करने के उपरान्त दिये गये पासवर्ड को डालने पर पासवर्ड को बदलने हेतु निर्देश प्राप्त होगा। ध्यान दें कि प्रथम बार में पासवर्ड को बदलना अनिवार्य है।

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लॉग–इन करने हेतु निम्नानुसार बाक्स प्रदर्शित होगाः–

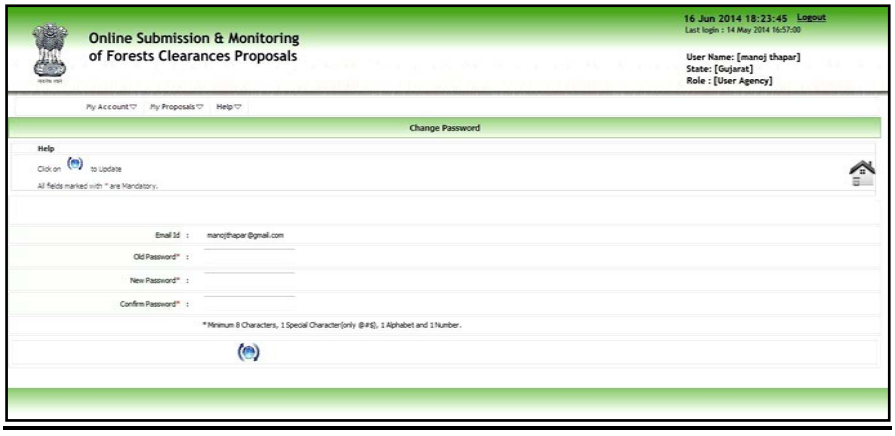

इस पृष्ठ में प्रयोक्ताा एजेन्सी द्वारा उनके रजिस्टर्ड ई–मेल आई0डी0 पर प्राप्त पासवर्ड को डालकर अपना नया पासवर्ड डालना होगा, नये पासवर्ड में हेतु स्क्रीन पर दिये गये निर्देशानुसार ही अक्षर, अंक एवं विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग कर पासवर्ड बनाया जाना होगा।

2.7.3 लॉग–इन पेज

उपरोक्त बाक्स में रीजन का नाम (उदाहरणतार्थः उत्तराखण्ड राज्य के लिये देहरादून), प्रयोक्ता एजेन्सी की आई0डी0, पासवर्ड तथा बाक्स में दिये गये अंकों/अक्षरों (Captcha Image) को अंकित कर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लॉग–इन किया जा सकता है।

2.7.4 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव को भरने का पृष्ठ

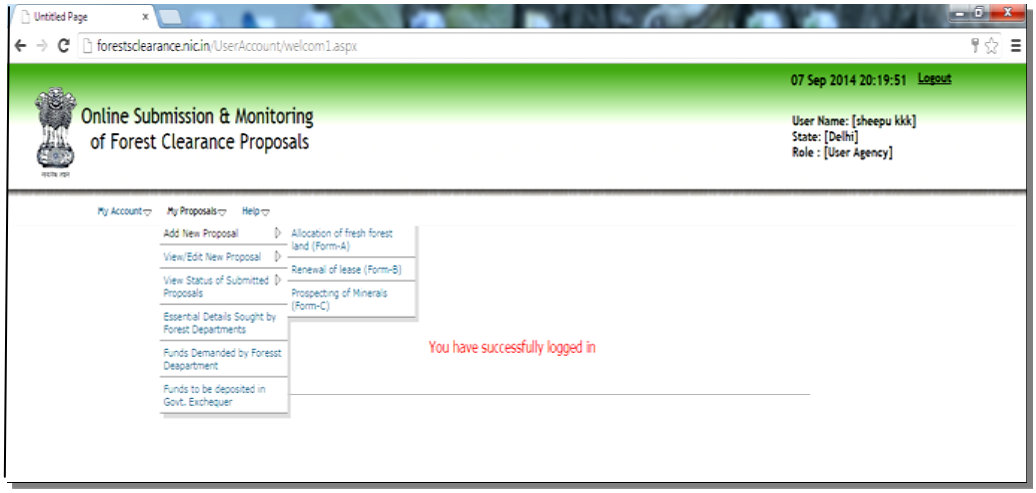

लॉग–इन करने के पश्चात इस पेज पर My Proposals टैब में प्रयोक्ता एजेन्सी को तीन विकल्प प्राप्त होंगे :–

- Form (A) नये प्रस्ताव को भरने के लिये।
- Form (B) लीज के नवीनीकरण के लिये।
- Form (C) खनन से सम्बन्धित प्रस्तावो के लिये।
-

सभी श्रेणी के प्रस्तावों में प्रयोक्ता एजेन्सी सारे प्रपत्रों को पूर्ण रूप से भरा जाना है, तथा निर्दिष्ट बाक्स में सुसंगत सूचना/मानचित्र दिये गये फॉर्मेट (pdf तथा .kml) में ही अपलोड की जानी है। जब तक सूचना पूर्ण रूप से न भरी जाय, पृष्ठ को Save as draft ही करना है, ताकि पहले से भरी गई सूचना edit भी की जा सके। विशेष रूप से ध्यान रखा जाना है कि जब तक प्रस्ताव पूर्ण रूप से ना भर जाये तब तक प्रस्ताव को Save as draft ही रखा जाये, ताकि आवश्यकतानुसार सूचनाओं/अभिलेखों में सुधार किया जा सका। Form (A) पार्ट–1 में सूचनाओं की पृविष्टि पूर्ण होने पर परियोजना विशेष की एक यूनीक संख्या जनरेट हो जायेगी, जिसे भविष्य में परियोजना विशेष को सर्च करने, संशोधित करने इत्यादि के लिये उपयोग में लाया जा सकता है।
प्रस्ताव की पृविष्टि किये जाने से पूर्व निम्न बातों पर ध्यान देना है –

1. प्रयोक्ता एजेन्सी को सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये पहले प्रस्ताव को तैयार कर लें।
2. तत्पश्चात प्रस्ताव में संलग्न समस्त प्रपत्रों और मानचित्रों की एक PDF फाईल तैयार कर लें।
3. तदोपरान्त उक्त ईमेज/पीडीएफ फाईल को Form (A) के भाग–1 में एक–एक करके निर्देशानुसार अपलोड करना होगा।

2.7.5 प्रथम पृष्ठ

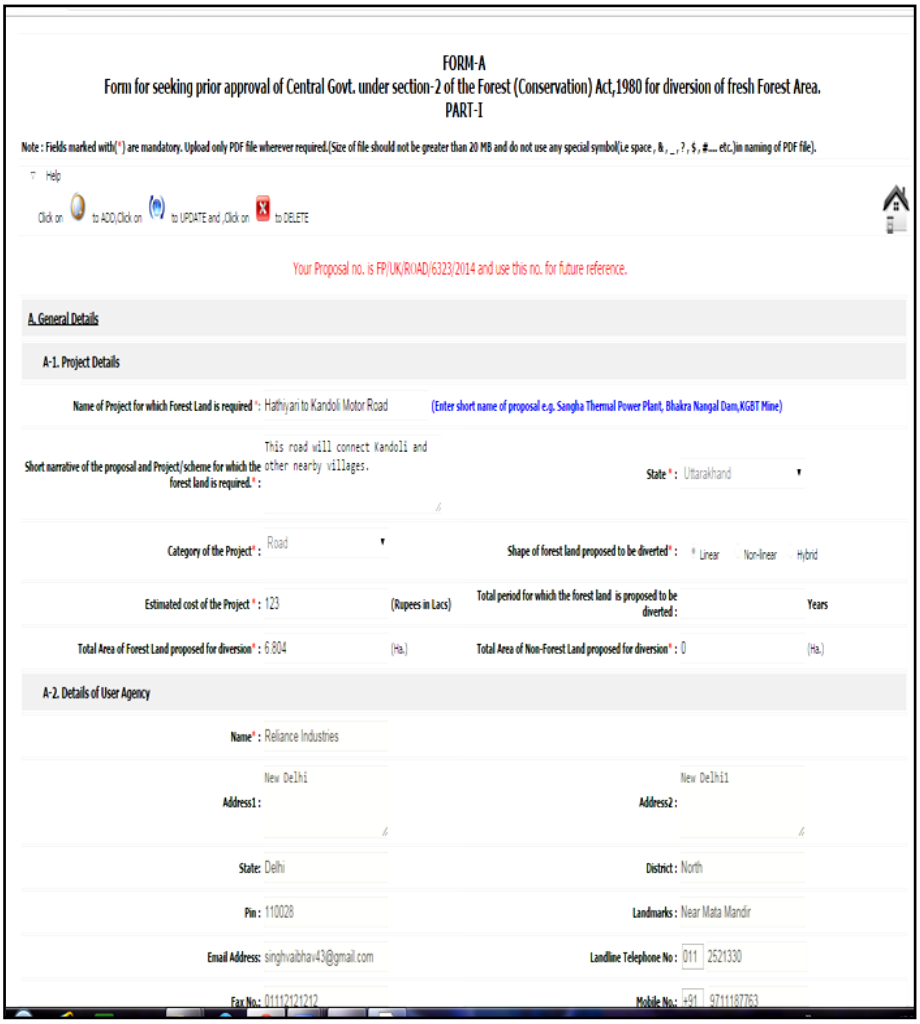

FORM-A
Form for seeking prior approval of Central Govt. under section-2 of the Forest (Conservation) Act,1980 for diversion of fresh Forest Area.
PART-I

Note : Fields marked with(*) are mandatory. Upload only PDF file wherever required.(Size of file should not be greater than 20 MB and do not use any special symbol(i.e space , &, _ , ? , $, #.... etc.)in naming of PDF file).

Help
Click on to ADD,Click on to UPDATE and ,Click on to DELETE

Your Proposal no. is FP/UK/ROAD/6323/2014 and use this no. for future reference.

A. General Details

A-1. Project Details

Name of Project for which Forest Land is required *: Hathiyari to Kandoli Motor Road (Enter short name of proposal e.g. Sangha Thermal Power Plant, Bhakra Nangal Dam,KGBT Mine)

Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required.* : This road will connect Kandoli and other nearby villages.

State * : Uttarakhand

Category of the Project* : Road

Shape of forest land proposed to be diverted* : * Linear Non-linear Hybrid

Estimated cost of the Project * : 123 (Rupees in Lacs)

Total period for which the forest land is proposed to be diverted : Years

Total Area of Forest Land proposed for diversion* : 6.804 (Ha.)

Total Area of Non-Forest Land proposed for diversion* : 0 (Ha.)

A-2. Details of User Agency

Name* : Reliance Industries

Address1 : New Delhi

Address2 : New Delhi1

State: Delhi

District : North

Pin : 110028

Landmarks : Near Mata Mandir

Email Address: singhvaibhav43@gmail.com

Landline Telephone No : 011 2521330

Fax No.: 01112121212

Mobile No.: +91 9711187763

इस प्रथम पृष्ठ में नये प्रस्तावों को भेजने के लिये विभिन्न सूचनाओं जैसे परियोजना का नाम, परियोजना की श्रेणी, लागत, आकार एवं परियोजना को ऑन–लाइन अपलोड किये जाने हेतु नामित किये गये अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अधिकृत किये जाने सम्बन्धी पत्र की पी0डी0एफ0 फाइल को अपलोड किया जाना है। की को दिये गये बॉक्स में भरा जाना है। इन सभी बॉक्स में सूचना अंग्रेजी में भरी जानी है। जिस बॉक्स के आगे * चिन्ह अंकित है, उनकी सूचना अनिवार्य रूप से भरी जानी है।

वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव को ऑन–लाइन अपलोड करते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें।

3. संलग्नक–1 के बिन्दु संख्या–3 में भू–सन्दर्भित मानचित्र (Geo-referenced map) में, जिसे digitized map पर GPS के माध्यम से तैयार किया गया हो, प्रस्तावित परियोजना, परियोजना के आस–पास के ग्रामों के नाम, परियोजना के प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु (Linear Projects के लिये) विशिष्ट बिन्दुओं के अक्षांश एवं देशान्तर, प्रभावित हो रही भूमि की विभिन्न श्रेणीयों को निर्धारित रंगों से प्रदर्शित करते हुए सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर सहित संकेत तालिका (Legend) भी बनायी जानी है। कृपया सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रत्येक मानचित्र में परियोजना का नाम, एवं प्रयोजन (जिससे सम्बन्धित मानचित्र हो) तथा लीजेन्ड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।

4. संलग्नक–1 के बिन्दु संख्या–4 में रंगीन गूगल इमेजरी मानचित्र (.kml format) में प्रस्तावित परियोजना, परियोजना के आस–पास के ग्रामों के नाम, रेखीय परियोजना (Linear Projects के लिये) के परियोजना के प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु विशिष्ट बिन्दुओं के अक्षांश एवं देशान्तर अंकित किये जांय।

5. संलग्नक–1 के बिन्दु संख्या–5 में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित संशोधित प्रारूप में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कर पूर्ण अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।

2.7.5 **द्वितीय पृष्ठ**

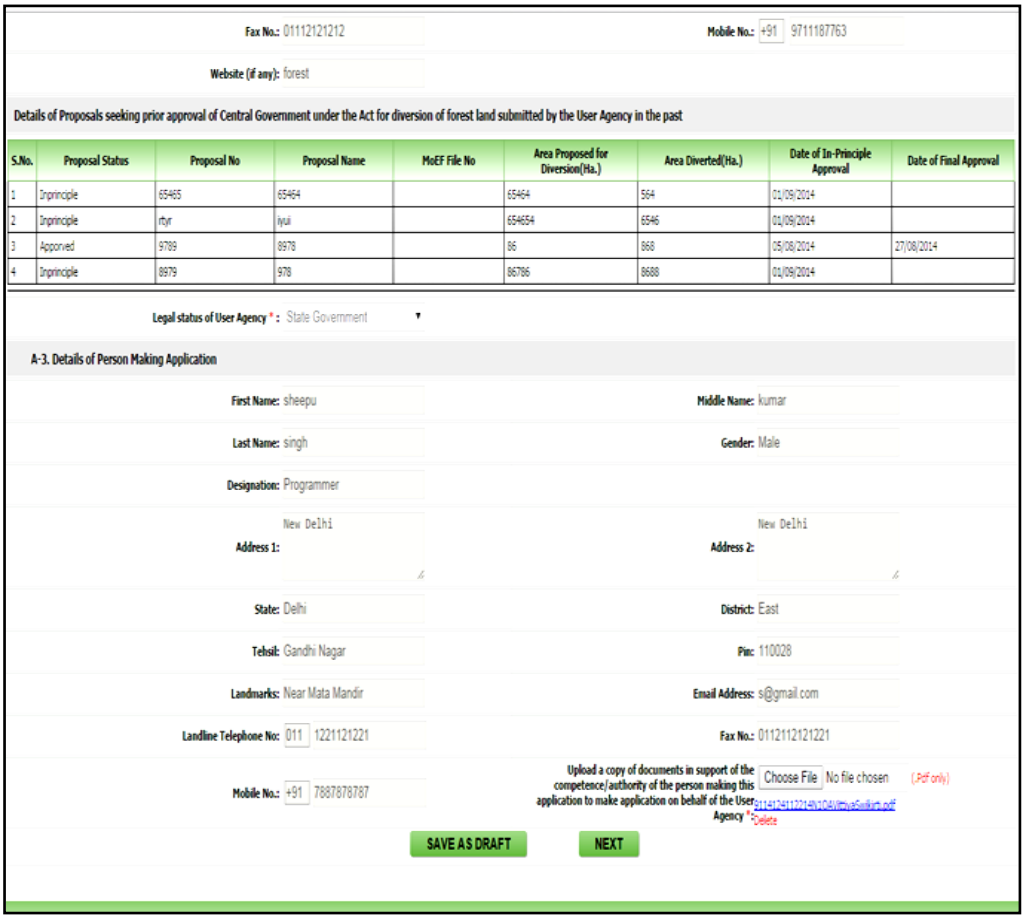

Fax No.: 01112121212 Mobile No.: +91 9711187763

Website (if any): forest

Details of Proposals seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land submitted by the User Agency in the past

S.No.	Proposal Status	Proposal No	Proposal Name	MoEF File No	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
1	Inprinciple	65465	65464		65464	564	01/09/2014	
2	Inprinciple	rfyr	iyui		654654	6546	01/09/2014	
3	Approved	9789	8978		86	868	05/08/2014	27/08/2014
4	Inprinciple	8979	978		86786	8688	01/09/2014	

Legal status of User Agency * : State Government

A-3. Details of Person Making Application

First Name: sheepu Middle Name: kumar

Last Name: singh Gender: Male

Designation: Programmer

Address 1: New Delhi Address 2: New Delhi

State: Delhi District: East

Tehsil: Gandhi Nagar Pin: 110028

Landmarks: Near Mata Mandir Email Address: s@gmail.com

Landline Telephone No: 011 1221121221 Fax No.: 01121121221

Mobile No.: +91 7887878787 Upload a copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency *: Choose File No file chosen (Pdf only)

Delete

SAVE AS DRAFT NEXT

इस पृष्ठ में नये प्रस्तावों को भेजने के लिये विभिन्न सूचनाओं को दिये गये बॉक्स में भरा जाना है। इन सभी बॉक्स में सूचना अंग्रेजी में भरी जानी है। इस पृष्ठ पर 1.1 संलग्नक (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्ताव को अपलोड किये जाने हेतु नामित/अधिकृत किये गये अधिकारी/कर्मचारी से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र अपलोड किया जाना है। संलग्नक के अपलोड होने के उपरान्त SAVE AS DRAFT को क्लिक करना है, तत्पश्चात NEXT को क्लिक करना है। NEXT पर क्लिक किये जाने पर एक नया पृष्ठ खुलेगा, जैसा तृतीय पृष्ठ में दर्शाया गया है।

नोटः–प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ऑन–लाइन अपलोड किये गये प्रस्ताव में अनिवार्य सूचनाओं (mandatory) की सूची हेतु **संलग्नक–1** तथा अतिरिक्त सूचनाओं, जिन्हें वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में लगाया जाना आवश्यक है, की सूची **संलग्नक–2** के रूप में बनायी गई है, जिसके आधार पर प्रस्ताव का बिन्दुवार परीक्षण कर प्रयोक्ता एजेन्सी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया है। उक्त संलग्नक–1 में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा फार्म–ए में अपलोड की जाने वाली सूचनाओं का विवरण दिया गया है।

वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव को ऑन–लाइन अपलोड करते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें।

6. संलग्नक–1 के बिन्दु संख्या–6 में परियोजना को वन क्षेत्र में प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण विस्तृत विवरण संलग्न किया जाना है।

7. संलग्नक–1 के बिन्दु संख्या–7 में सर्वे ऑफ इण्डिया के 1:50000 पैमाने के रंगीन मानचित्र (जो सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो) में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को नाम सहित अंकित किया जाना है।

8. संलग्नक–1 के बिन्दु संख्या–8 में रंगीन गूगल इमेजरी मानचित्र (.kml format) में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को नाम सहित सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करवा कर संलग्न किया जाना है।

9. संलग्नक–1 के बिन्दु संख्या–9 में, यदि गैर वन भूमि (नाप भूमि) अथवा राजस्व भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना है तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित वर्तमान भूमिधरों एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के मध्य निष्पादित किये गये करार की प्रति/भूमिधरों का सहमति प्रमाण–पत्र मालिकाना हक होने के प्रमाण–पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न किया जाना है।

10.संलग्नक–1 के बिन्दु संख्या–10 में वर्तमान भूमिधरों एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के मध्य निष्पादित किये गये करार/सहमति की प्रति संलग्न की जाय।

2.7.5 तृतीय पृष्ठ

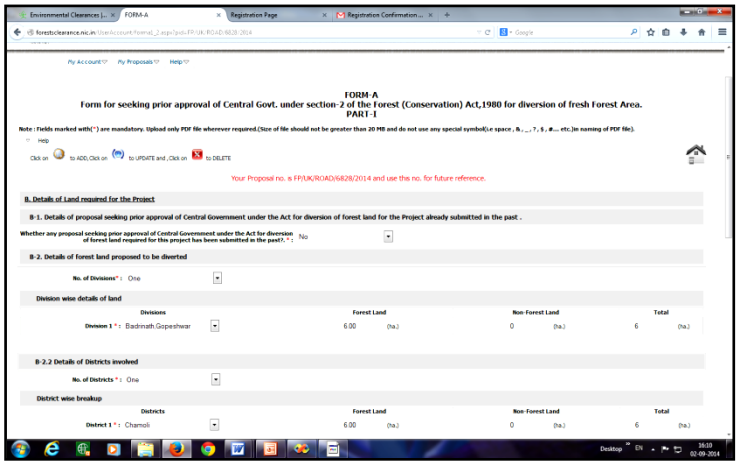

इस पृष्ठ में विभिन्न बिन्दुओं की सूचनाऐं भरी जानी हैं। जिस बॉक्स के आगे * चिन्ह अंकित है, उनकी सूचना अनिवार्य रूप से भरी जानी है। इस पृष्ठ में मुख्य रूप से वन प्रभाग, जनपद, वन भूमि तथा गैर वन भूमि का क्षेत्रफल इत्यादि की पृविष्टि की जानी है।

2.7.5 चतुर्थ पृष्ठ

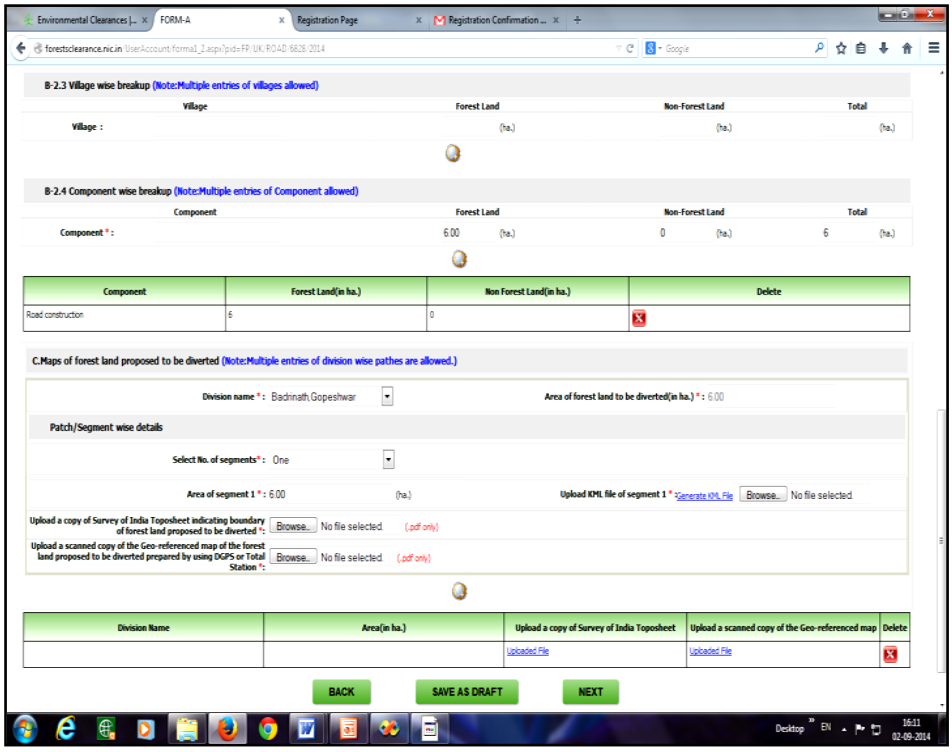

इस पृष्ठ पर विभिन्न बाक्स में आवश्यक सुसंगत सूचनाऐं अंकित करनी हैं। इस बाक्स में मुख्यतः गॉवों के नाम, वन भूमि तथा गैर वन भूमि का क्षेत्रफल, परियोजना के विभिन्न अवयव, खण्डवार प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (यदि परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि अलग–अलग खण्डों में ली जानी है), समस्त खण्डों का क्षेत्रफल तथा उनका .kml फार्मेट में, प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि को सर्वे ऑफ इण्डिया की 1:50000 के पैमाने की टोपोशीट पर तथा प्रस्तावित क्षेत्र का भू–सन्दर्भित (Geo-referance map) मानचित्र, जो टोटल स्टेशन अथवा डी0जी0पी0एस0 के उपयोग से निर्मित किया गया है, को अपलोड किया जाना है। **(संलग्नक–1.2, 1.3 एवं 1.4)**

2.7.6 पंचम पृष्ठ

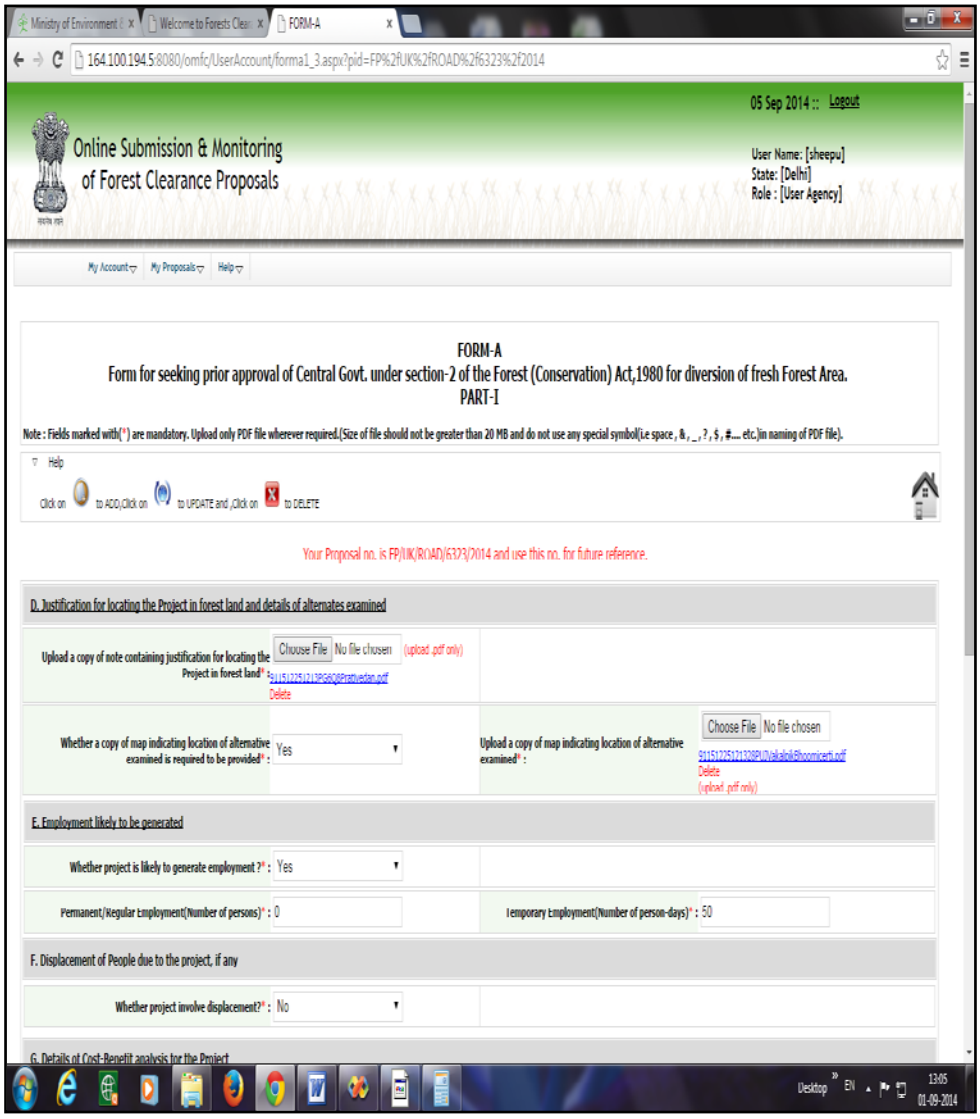

इस पृष्ठ पर मुख्यतः परियोजना को अन्यत्र गैर वन भूमि के स्थान पर वन भूमि में प्रस्तावित किये जाने का विस्तृत औचित्य पी0डी0एफ0 फार्मेट में, वैकल्पिक संरेखण/स्थलों को टोपोशीट के मानचित्र में प्रदर्शित करना, परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप रोजगार उत्पन्न होने की सूचना तथा परियोजना के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले व्यक्तियों की संख्या आदि सूचना अपलोड की जानी है। **(संलग्नक 1.5)**

2.7.7 षष्ठम पृष्ठ

इस पृष्ठ पर दिये गये बॉक्स में मुख्यतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा गया लागत–लाभ विश्लेषण (5.00 हे0 से अधिक के प्रकरणों में), पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्कता होने अथवा न होने, प्रस्तावित क्षेत्र का किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत होने अथवा न होने अथवा उनकी परिधि के अन्तर्गत होने की सूचना तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर लिये जाने अथवा न किये जाने की सूचना तथा कार्यवाही पूर्ण कर लिये जाने की दशा में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में वांछित अभिलेखों को अपलोड किया जाना है। **(संलग्नक–1.6 एवं 1.11) पेज को नीचे दर्शाया गया है–**

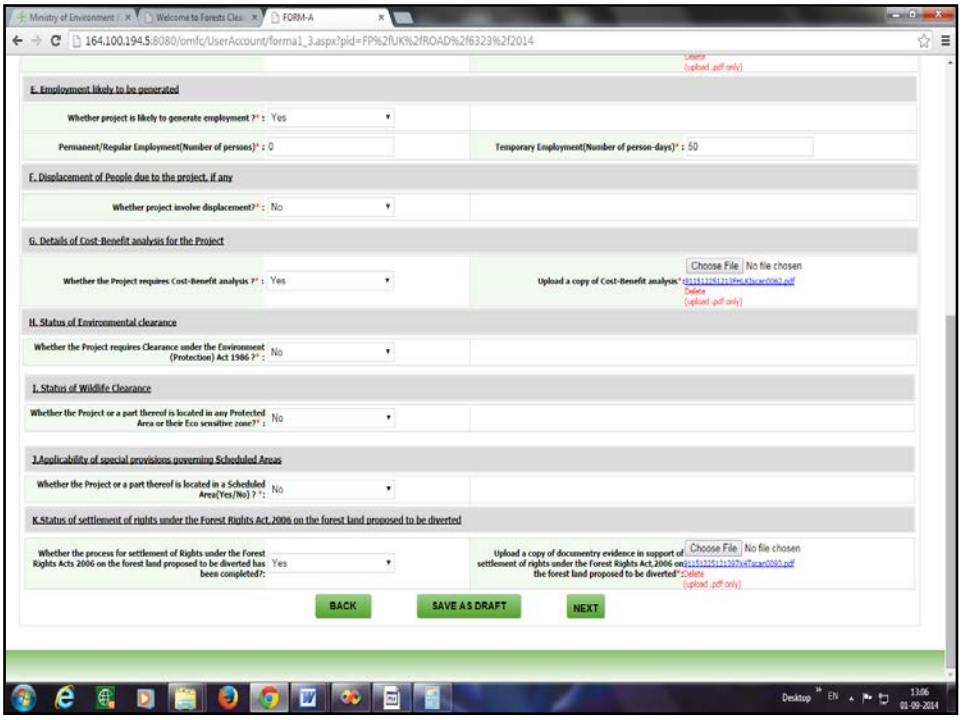

इस पृष्ठ पर दिये गये बॉक्स में मुख्यतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा गया लागत–लाभ विश्लेषण (5.00 हे0 से अधिक के प्रकरणों में), पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्कता होने अथवा न होने, प्रस्तावित क्षेत्र का किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत होने अथवा न होने अथवा उनकी परिधि के अन्तर्गत होने की सूचना तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर लिये जाने अथवा न किये जाने की सूचना तथा कार्यवाही पूर्ण कर लिये जाने की दशा में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में वांछित अभिलेखों को अपलोड किया जाना है। **(संलग्नक–1.6 एवं 1.11)**

2.7.7 सप्तम पृष्ठ

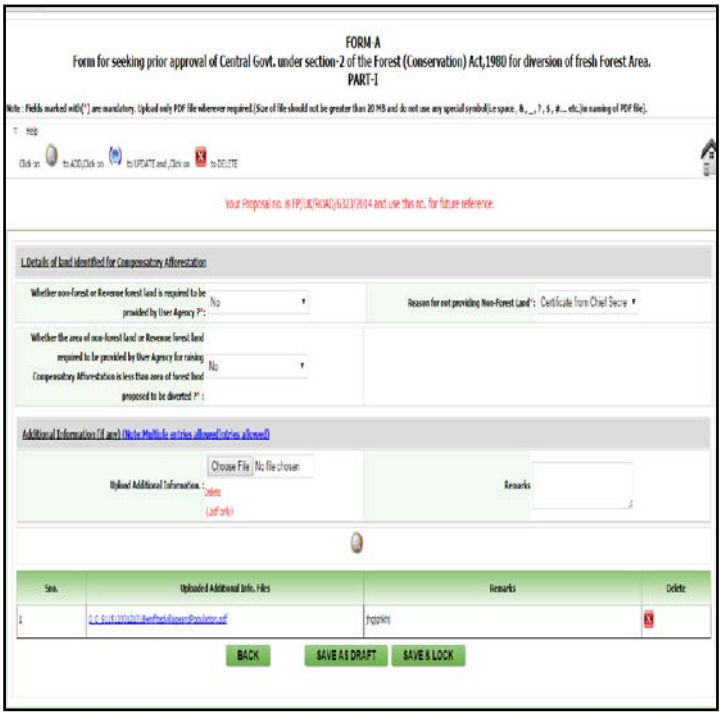

इस पृष्ठ पर प्रत्यावर्तित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम भूमि/नाप भूमि का वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किये जाने के जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अभिलेख/1:50,000 के पैमाने का मानचित्र, रंगीन गूगल मैप (kml file में), जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र को दर्शाया गया हो, अपलोड किये जाने हैं। **(1.00 हे0 से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू नहीं)** इस पृष्ठ में **संलग्नक–1.7 एवं 1.8, 1.9, एवं 1.10** को अपलोड किया जाना है। Additional Information में अन्य समस्त प्रमाण–पत्र/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं, जिनका उल्लेख Attachment–2 में किया गया है। संलग्नकों के अपलोड होने के पश्चात SAVE & LOCK करने से पहले सुनिश्चित कर लिया जाय कि समस्त सुसंगत अभिलेखों/प्रमाण–पत्र आदि को सही स्थान पर अंकित कर दिया/अपलोड कर दिया गया है। एक बार **SAVE & LOCK** करने के उपरान्त किसी भी सूचना को संशोधित किया जाना सम्भव नहीं होगा।

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ऑन–लाईन अपलोड किये गये प्रस्ताव का नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा परीक्षण किया जाता है,।

2.8. नोडल अधिकारी कार्यालय में प्राप्त प्रस्तावों पर होने वाली कार्यवाही

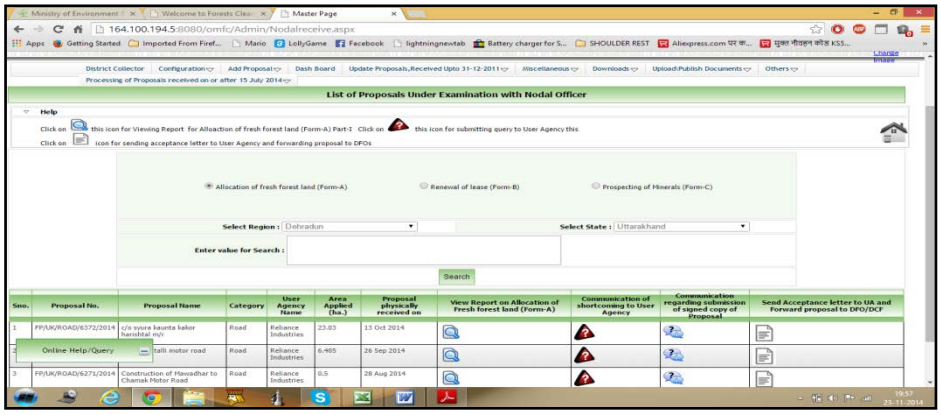

नोडल अधिकारी कार्यालय को प्राप्त प्रस्तावों को नोडल अधिकारी द्वारा अपनी आई0डी0 एवं पासवर्ड डालकर देखी जा सकती है। इस पृष्ठ में उपर दिखाये गये स्क्रीन शॉट के अनुसार विभिन्न कॉलम में दिये गये लिंक क्रमशः View Report on Allocation of Fresh forest land (Form-A), Communication of shortcoming to User Agency, Communication regarding submission of signed copy of Proposal एवं Send Acceptance letter to UA and Forward proposal to DFO/DCF पर क्लिक कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकती है।

उदाहरणार्थ प्रस्ताव में कमियों के निराकरण हेतु Communication of shortcoming to User Agency पर क्लिक करने पर नीचे दिखाये गये स्क्रीन शॉट के अनुसार एक विन्डो खुलती है, जिसमें नोडल अधिकारी द्वारा अधिकतम 500 शब्दों में कमियों की सूचना तथा फॉर्म ए भाग–1 में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ऑन–लाईन भरी गई अपूर्ण सूचनाओं हेतु Attachmen-1 **तथा** (Additional Information) **अतिरिक्त सूचनाओं हेतु** Attachment-2 में अंकित कर को अपलोड किया जा सकता है, जैसा नीचे दिये गये स्क्रीन शॉट में दर्शाया गया है।

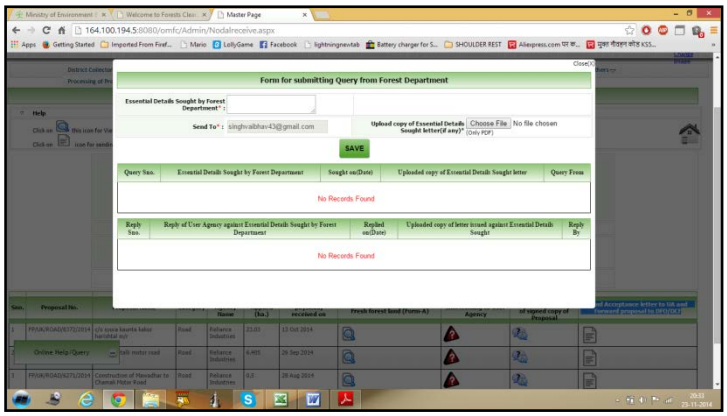

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समस्त प्रस्ताव से सम्बन्धित समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करने के उपरान्त नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा Send Acceptance letter to UA and Forward proposal to DFO/DCF पर क्लिक करने पर प्रस्ताव को सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित कर दिया जाता है। तथा भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुसार निर्धारित प्रारूप में समस्त सुसंगत अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों सहित पूर्ण प्रस्ताव को प्राप्त होने के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी को acceptance letter प्रेषित किया जाता है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी प्राप्ति (acceptance letter) को प्रेषित किये जाने पर प्रस्ताव ऑन–लाईन प्रक्रिया के तहत सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिला अधिकारी को स्वतः ही अग्रसारित हो जाता है।

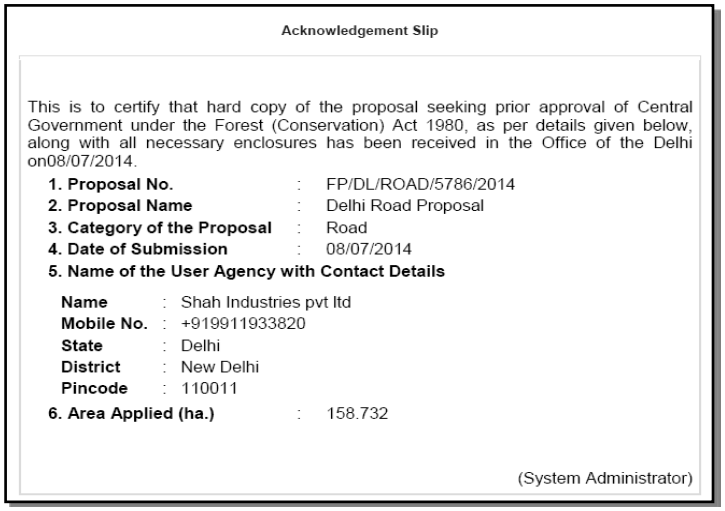

Acknowledgement Slip

This is to certify that hard copy of the proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980, as per details given below, along with all necessary enclosures has been received in the Office of the Delhi on08/07/2014.

1. **Proposal No.** : FP/DL/ROAD/5786/2014
2. **Proposal Name** : Delhi Road Proposal
3. **Category of the Proposal** : Road
4. **Date of Submission** : 08/07/2014
5. **Name of the User Agency with Contact Details**

Name : Shah Industries pvt ltd
Mobile No. : +919911933820
State : Delhi
District : New Delhi
Pincode : 110011

6. **Area Applied (ha.)** : 158.732

(System Administrator)

2.9 प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में प्रस्ताव के प्राप्त हो जाने के उपरान्त होने वाली कार्यवाही–

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा http://forestsclearance.nic.in. पर लॉग–इन करने पर एक पृष्ठ खुलता है, जिसमें लॉग–इन प्रोसेसिंग ऑथोरिटी लिंक पर क्लिक करने पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपलोड किये गये प्रस्तावों को देखा जा सकता है एवं आवश्यकता पड़ने डाउनलोड भी किया जा सकता है।पृष्ठ के अन्त में प्रभागीय वनाधिकारी को प्राप्त प्रस्तावों का नम्बर, परियोजना का नाम, श्रेणी, प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम तथा प्राप्त होने की तिथि प्रदर्शित होगी, जैसाकि नीचे में दिखाया गया है

पृष्ठ संख्या–1

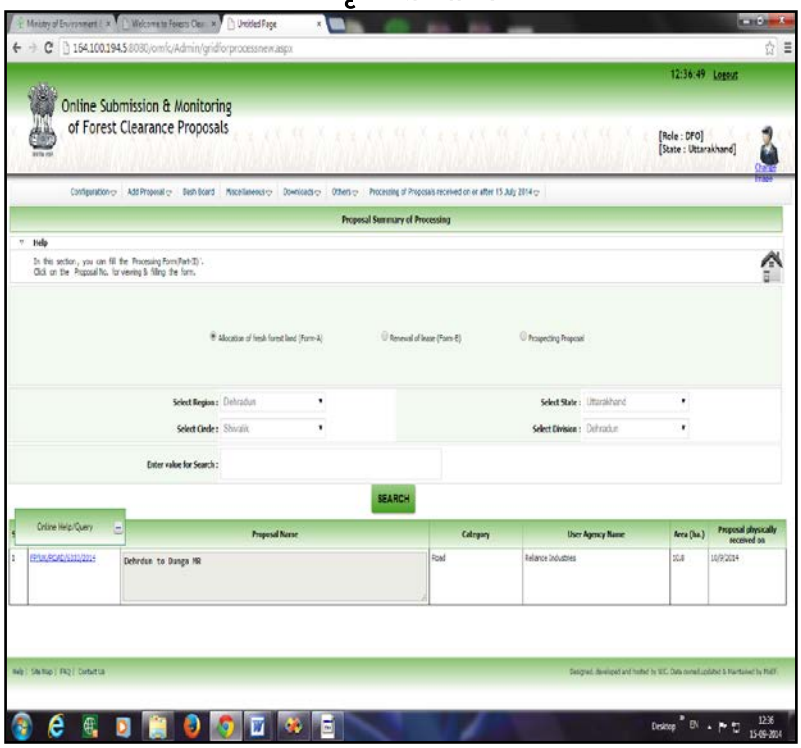

इस पृष्ट में प्रस्ताव के नम्बर पर क्लिक करने पर फॉर्म–2 खुलेगा, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा विभिन्न सूचनाऐं भरी जानी हैं।

पृष्ठ संख्या–2

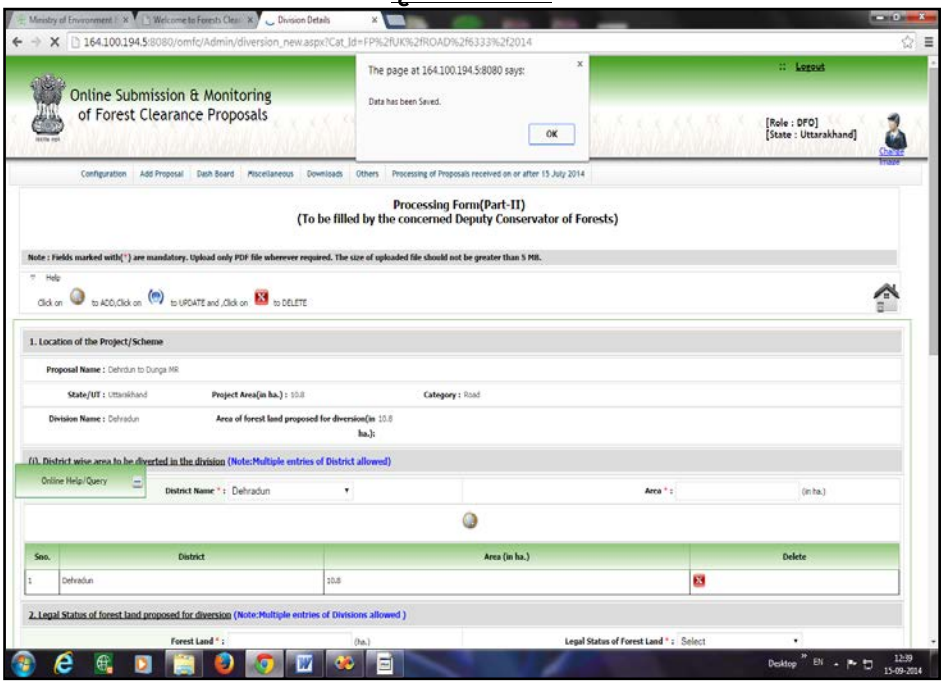

पृष्ठ संख्या–2 में आवश्यक सूचनाऐं अंकित करने के पश्चात् ADD बटन को क्लिक करने पर सूचना save हो जायेगी तथा एक पॉप–अप बाक्स खुलेगा, जिसमें डाटा के सेव होने की सूचना अंकित होगी।

पृष्ठ संख्या–3

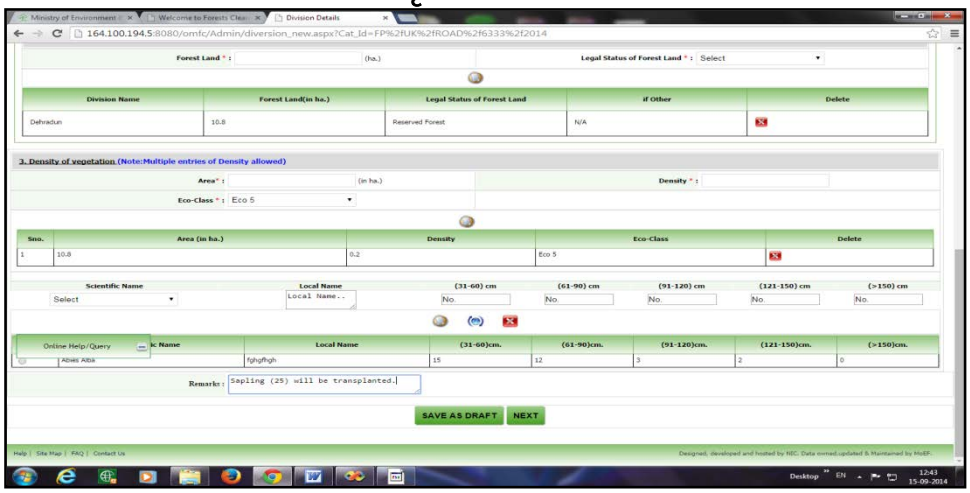

उक्त पृष्ठ संख्या–3 में दिये गये बॉक्स में सूचनाऐं अंकित कर ADD के बटन को क्लिक करना है तथा पृष्ठ के अन्त में दिये गये SAVE AS DRAFT को क्लिक करने पर भरी गई सूचना SAVE हो जायेगी। इस पृष्ठ में मुख्यतः परियोजना का क्षेत्रफल, ईको क्लास, धनत्व, वृक्षों का विवरण (वैज्ञानिक नाम, स्थानीय नाम तथा व्यासवार विवरण) की सूचना अंकित की जानी है। तदोपरान्त SAVE AS DRAFT पर क्लिक करने के तत्पश्चात् NEXT पर क्लिक किये जाने पर पृष्ठ–4 खुलेगा।

पृष्ठ संख्या–4

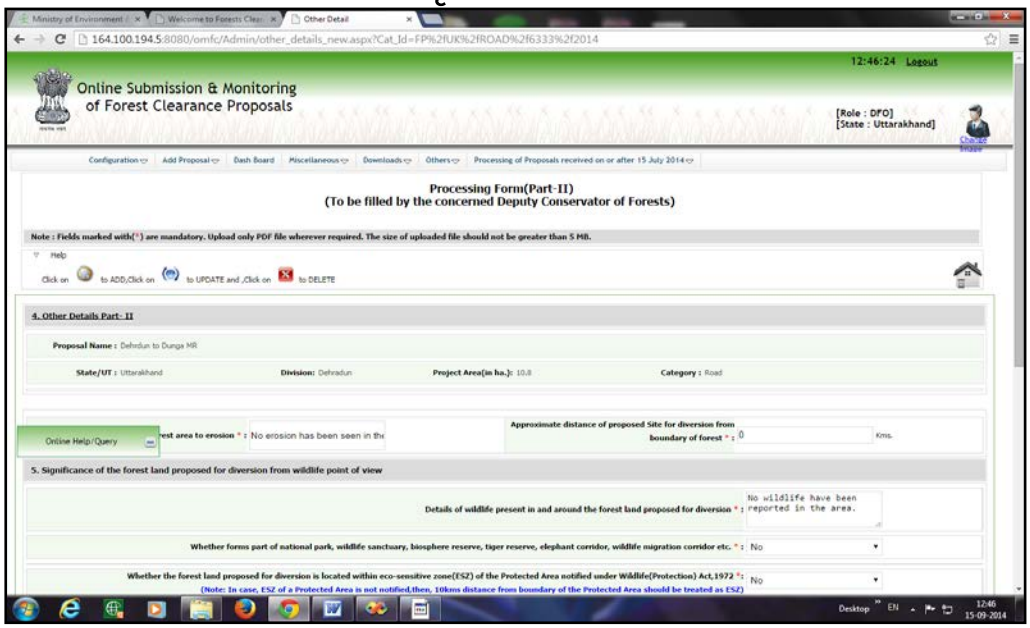

पृष्ठ संख्या–5

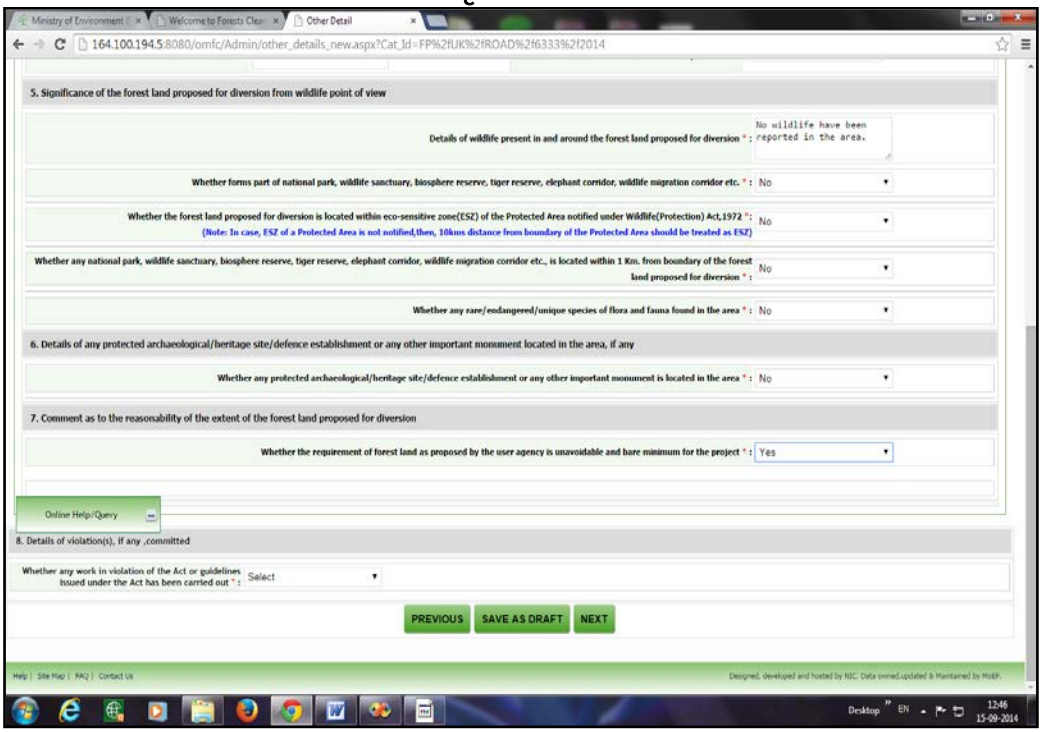

पृष्ठ–4 एवं पृष्ठ संख्या–5 में समस्त आवश्यक सूचनाऐं अंकित करने के उपरान्त पुनः SAVE AS DRAFT क्लिक करने पर के बाद NEXT पर क्लिक किये जाने पर पृष्ठ–6 खुलेगा, जिसमें कतिपय सूचनाओं के अतिरिक्त मानचित्र आदि भी अपलोड किये जाने हैं।

पृष्ठ संख्या–6

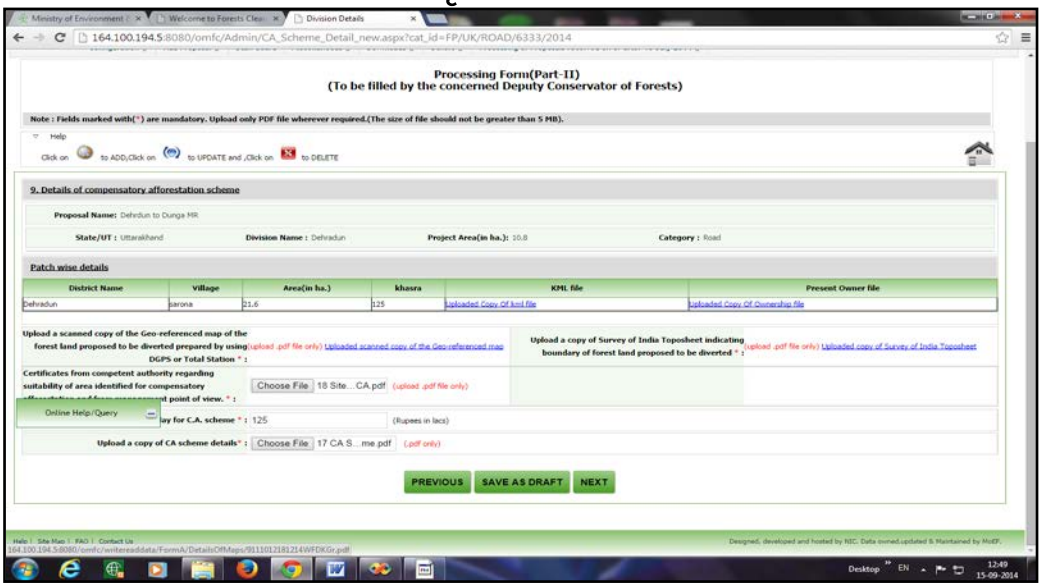

पृष्ठ संख्या–6 में भी SAVE AS DRAFT करने के पश्चात् NEXT पर क्लिक किया जाना है जिससे पृष्ठ संख्या–7 खुलेगा।

पृष्ठ संख्या–7

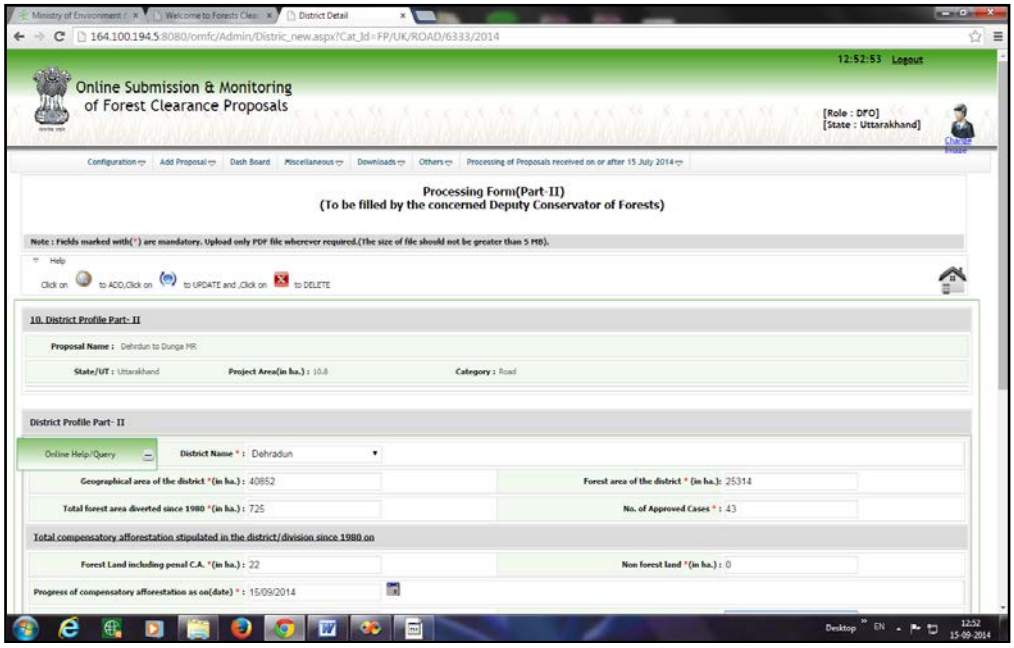

ध्यान रखने योग्य कुछ आवश्यक बातें

11. संलग्नक–1 के बिन्दु संख्या–10 में 5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में लागत–लाभ विश्लेषण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरकर संलग्न किया जाना है।

12. इसी प्रकार संलग्नक–2 के सभी बिन्दुओं की सूचनाओं/प्रमाण–पत्र को संलग्नक–2 में दिये गये क्रमानुसार संलग्न किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त यदि कोई सुसंगत सूचना/प्रतिवेदन/अभिलेख संलग्न किया जाना है तो उन्हें प्रस्ताव के अन्त में संलग्न किया जा सकता है अथवा यदि किसी पृष्ठ विशेष से सम्बन्धित सूचना अंकित की जानी हो, तो उन्हें उस बिन्दु के उपबिन्दु के रूप में संलग्न किया जा सकता है। जो प्रमाण–पत्र परियोजना विशेष से सम्बन्धित न हों, उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जाना है।

पृष्ठ संख्या–8

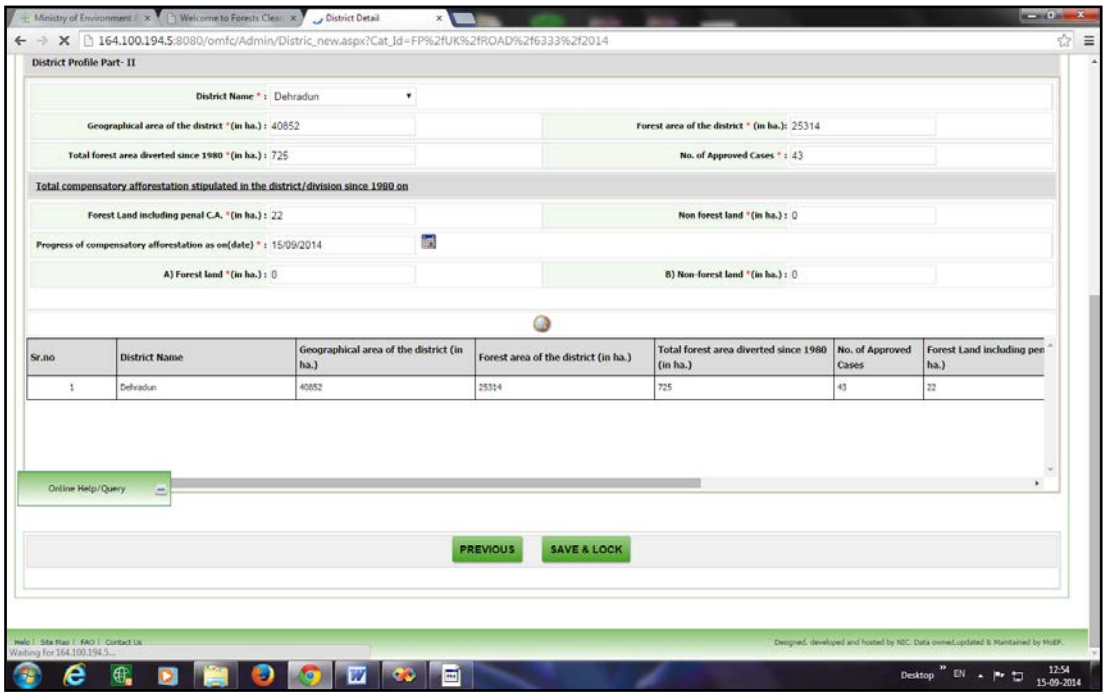

पृष्ठ संख्या–7 तथा 8 में सूचनाऐं भरने के पश्चात् सुनिश्चित कर लिया जाय कि समस्त सूचनाओं की प्रविष्टियां सही रूप से अंकित कर दी गई हैं। एक बार SAVE AND LOCK करने के उपरान्त किसी भी प्रविष्टि में परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जा सकता है।

2.9.1 प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से आन–लाईन अपलोड किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों/मानचित्रों की सूची

1. परियोजना के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का टोटल स्टेशन अथवा डी0जी0पी0एस0 के माध्यम से तैयार किया गया भू–सन्दर्भित मानचित्र (Geo-referenced map) ।
2. परियोजना के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि को सर्वे ऑफ इण्डिया के 1:50000 के पैमाने के मानचित्र पर विभिन्न श्रेणीयों की भूमि को निर्धारित रंग से प्रदर्शित करते हुए संकेत तालिका एवं हस्ताक्षर सहित मानचित्र।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र।
4. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दस वर्षीय रख–रखाव सहित विस्तृत योजना, क्षेत्र का नाम, रोपित किये जाने वाले पौंधो के नाम (स्थानीय एवं वैज्ञानिक नाम), क्षेत्र की जी0पी0एस0 रीडिंग अंकित करते हुए हस्ताक्षर सहित।

<u>ध्यान रखने योग्य कुछ आवश्यक बातें</u>

13. संलग्नक–2 के बिन्दु 2.1 तथा 2.2 में प्रस्ताव के सम्बन्धत में विवरण, प्रस्ताव का औचित्य एवं आवश्यकता के सम्बन्ध में टिप्पणी तथा परियोजना के निर्माण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत की स्पष्ट एवं पठनीय प्रति पी0डी0एफ0 फार्मेट में अपलोड की जानी है। यदि प्रस्ताव की वित्तिय स्वीकृति 5 वर्ष से अधिक अवधि पूर्व निर्गत की गई है तो इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय कि तत्समय स्वीकृत धनराशि से ही परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा

14. संलग्नक–2 के बिन्दु 2.3 में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्ताव से सम्बन्धित सुसंगत सूचनाओं सहित विस्तृत विवरण भी दिया जाय। संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त तलाशे गये वैकल्पिक संरेखणों/स्थलों, क्षेत्र विशेष के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी, प्रभावित होने वाले वृक्षों के सम्बन्ध में टिप्पणी, क्षेत्र के वन्य जीव जन्तुओं की दृष्टि से संवेदनशीलता, क्षेत्र का वानस्पतिक घनत्व तथा न्यूनतम वन भूमि का प्रत्यावर्तन करने हेतु अन्य विकल्पों के सम्बन्ध में टिप्पणी आदि अंकित की जाय।

2.9 ऑन–लाईन अपलोड किये गये प्रस्तावों पर वन संरक्षक के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही

पृष्ठ संख्या–1

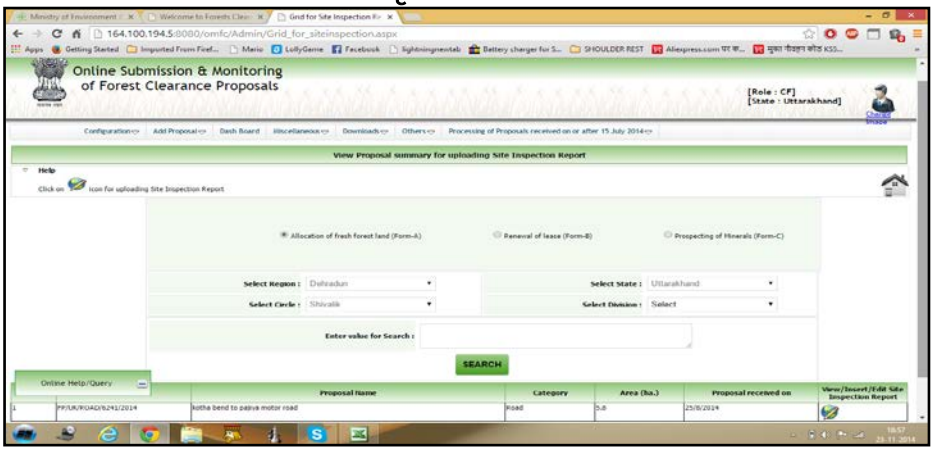

प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा उनके स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के पश्चात् SAVE AND LOCK करने पर प्रस्ताव सम्बन्धित वन संरक्षक को प्राप्त हो जायेगा। वन संरक्षक द्वारा फॉर्म–ए भाग–1 तथा भाग–2 में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरी गई सूचनाओं को देखा जा सकता है, एवं आवश्यकता होने पर डाउनलोड भी किया जा सकता है।

वन संरक्षक द्वारा लॉग–इन करने पर पृष्ठ के अन्त में उनके कार्यालय को प्राप्त प्रस्तावों की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें View/Insert/Edit Site Inspection Report के कॉलम में दिखाये गये बटन पर क्लिक करने पर निम्न पेज (स्क्रीन शॉट–2) खुलेगा। इस पेज पर दिये गये बॉक्स में वन संरक्षक द्वारा स्थलीय निरीक्षण किये जाने अथवा न किये जाने की सूचना, स्थलीय निरीक्षण किये जाने की दशा में स्थलीय निरीक्षण आख्या एवं परियोजना स्थल के चित्रों (photo's) को pdf फार्मेट में अपलोड किया जाना है, तथा दिये गये ADD बटन पर क्लिक कर Save किया जाना है। जैसाकि नीचे दिये गये स्क्रीन में दर्शाया गया है।

पृष्ठ संख्या–2

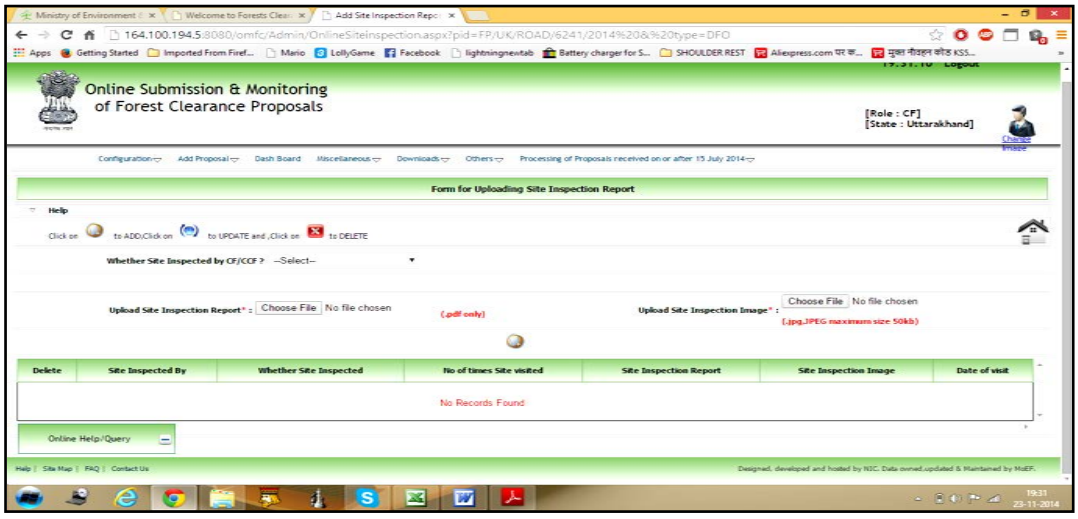

वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव विशेष से सम्बन्धित जानकारियों को देखा जा सकता है। वन संरक्षक द्वारा उक्त सूचनाओं में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया है तथा उनके द्वारा प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति अथवा आवश्यकता अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी से अतिरिक्त सूचनाओं/स्पष्टीकरण की मांग की जा सकती है। प्रस्तावों की विस्तृत जानकारियों को देखने के लिये नीचे दिये **स्क्रीन शॉट–3** के अनुसार Essential Details Sought by Forest Department तथा View/Print Foem-A (Part-I & Part-II) पर क्लिक कर देखा जा सकता है।

पृष्ठ संख्या–3

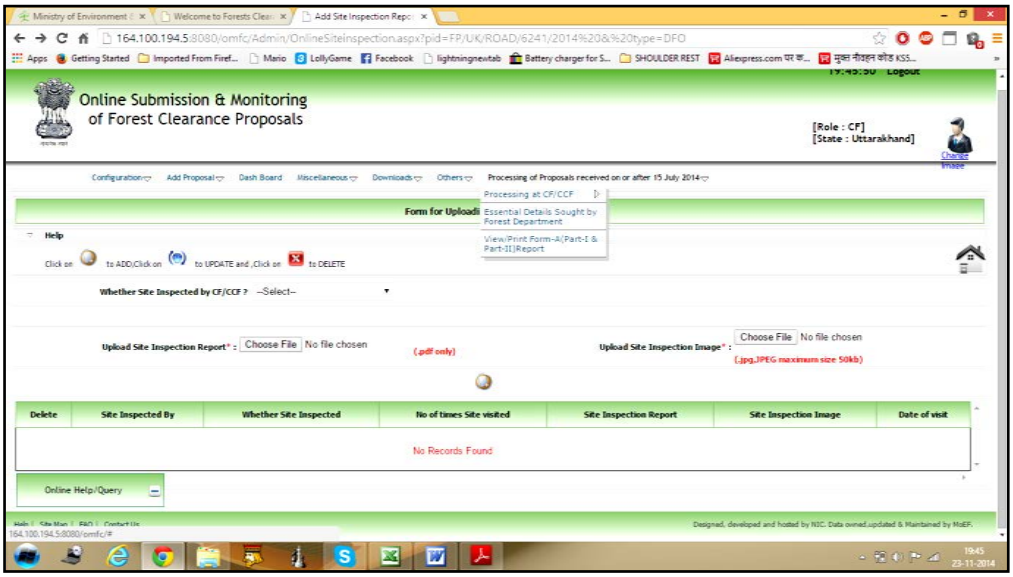

ध्यान रखने योग्य कुछ और प्रमुख बातें

1.संलग्नक–2 के बिन्दु 2.4 में वैकलिक संरेखणों/स्थलों को मानचित्र में प्रदर्शित कर उनके निरस्त किये का औचित्य एवं कारण तथा तुलनात्मक विवरण भी संलग्न किया जाय। मानचित्र में वैकल्पिक संरेखण का प्रारम्भिक बिन्दु एवं अन्तिम बिन्दु चयनित संरेखण के अनुरूप ही हो तथा रेखीय परियोजनओं विशेषतः सड़क निर्माण के प्रकरणों में मार्ग वन भूमि से प्रारम्भ होकर वन भूमि में ही समाप्त न हो रहा हो। इस मानचित्र में क्षेत्र में विद्यमान रोड नेटवर्क को भी आवश्यक रूप से दर्शाया जाय।

2.संलग्नक–2 के बिन्दु 2.5 एवं 2.6 में क्रमशः परियोजना के निर्माण हेतु चिन्हित वन भूमि का अन्य कोई विकल्प न होने तथा परियोजना निर्माण हेतु वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का जिलाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र, एवं भूमि शेड्यूल (जिसमें समस्त श्रेणीयों की भूमि का पूर्ण विवरण दिया गया हो) संलग्न किया जाना है।

संलग्नक–2 के बिन्दु 2.7 एवं 2.8 में परियोजना की लम्बाई, चौड़ाई तथा कुल प्रभावित हो रही विभिन्न श्रेणीयों की भूमि का क्षेत्रफल हे0 में दिया जाना है तथा उसी के अनुरूप भूमि उपयोग का बार–चार्ट भी तैयार कर संकेत तालिका सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षकर सहित संलग्न किया जाय।

3.संलग्नक–2 के बिन्दु 2.9 से 2.14 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/परियोजना स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण/100 वृक्षों के रोपण/बौनी प्रजाति के वृक्षों का रोपण/काटे जाने वाले वृक्षों के सापेक्ष 10 दस गुना वृक्षों का रोपण/10–20 तथा 20–30 व्यासवर्ग के पौधों को अन्यत्र रोपित किये जाने का दस वर्षीय प्राक्कलन (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित) एवं प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस कार्य में आने वाले व्यय का वहन किये जाने की वचनबद्धता तथा चिन्हित भूमि का वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।

4.संलग्नक–2 के बिन्दु 2.15 से 2.18 में प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण (वैज्ञानिक एवं स्थानीय नाम सहित), वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र, बांज प्रजाति के वृक्षों का पातन निहित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित एवं प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा न्यूनतम आवश्यक वृक्षों का ही पातन किये जाने की वचनबद्धता संलग्न की जानी है।

5.संलग्नक–2 के बिन्दु 2.19 में मलवा निस्तारण की योजना निर्धारित प्रारूप में संलग्न की जानी है।

6.संलग्नक–2 के बिन्दु 2.20 से 2.22 में परियोजना के किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य का भाग होने अथवा होने का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र, राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के 10.00 किमी0 की परिधि में होने की दशा में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र तथा राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत होने की दशा में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, भारतीय वन्य जीव परिषद् एवं मा0 उच्चतम न्यायालय की अनुमति संलग्न की जानी अनिवार्य है।

7.संलग्नक–2 के बिन्दु 2.23 में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंधन न होने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।

8.उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त बिन्दु संख्या 2.24, बिन्दु संख्या 2.27 तथा बिन्दु संख्या 2.29 से 2.44 तक के प्रमाण–पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में संलग्न किये जाने हैं। बिन्दु संख्या–2.25, 2.26 में परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण एवं ले–आउट प्लान संलग्न किया जाना है। बिन्दु संख्या 2.28 में अधिकृत भू–वैज्ञानिक की निरीक्षण आख्या संलग्न करते हुए भू–वैज्ञानिक द्वारा सुझावों का पालन किये जाने की वचनबद्धता संलग्न की जानी है।

विशेष नोटः–भारत सरकार द्वारा सामान्यतः आरक्षित वन भूमि में आवासीय भवनों के निर्माण की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है तथा कार्यालय भवन आदि के निर्माण हेतु 1.00 हे0 क्षेत्रफल तक ही वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। अतः सुनिश्चित कर लिया जाय कि भवन निर्माण कार्य 1.00 हे0 तक ही सीमित रखे जांय।

नोटः–परियोजना किस लोक सभा/विधान सभा/तहसील/ब्लाक के अन्तर्गत प्रस्तावित है का उल्लेख अवश्य किया जाय।

अध्याय–3
वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव गठन हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं उनका प्रारुप

3.1 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 2014 प्रख्यापित किया गया है, जिसके अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों को ऑन लाईन (Online) प्रेषित किये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की गयी है। भारत सरकार के आदेश दिनांक 15–08–2014 से वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भारत सरकार के पोर्टल **www.moef.nic.in** पर ऑन लाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य किया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सीज के द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की एक पूर्ण प्रति तैयार की जानी है, जिसमें समस्त सूचनायें/प्रपत्र संलग्न किये जाने है तथा इन प्रपत्रों/सूचनाओं में सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की सहमति/हस्ताक्षर प्राप्त किये जाने है।

प्रायः यह देखा गया है कि सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा ऑन लाईन अपलोड किये जा रहे वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ वॉछित सूचनायें संलग्न नहीं की जा रही हैं व अधूरा प्रस्ताव ऑन लाईन नोडल अधिकारी कार्यालय को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है, अधूरा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के कारण भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब हो रहा है।

3.2 भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली समस्त सूचनाओं/प्रपत्रों की एक समेकित चैक लिस्ट, जिसमें वन भूमि पर प्रस्तावित समस्त प्रयोजनों हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली सूचनाओं/प्रपत्रों का विवरण एवं अलग–अलग प्रयोजनों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ लगाये जाने वाले अतिरिक्त प्रमाण–पत्रों की सूचना निम्नानुसार संलग्न की जा रही है।

आवश्यक प्रपत्रों की सामान्य सूची
सारणी–12

क्र0 सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	सक्षम अधिकारी/ऑन–लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण–पत्र	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–1	2	प्रस्तावक	प्रस्तावक
4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–2	3	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–3	4	वन संरक्षक	वन संरक्षक
6.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	5	प्रस्तावक	–
7.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	6	उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
8.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (Site Inspection Report)	7	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
9.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अगल–अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	8	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
10.	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिग के साथ दर्शाया गया।	9	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण	10	प्रस्तावक	प्रस्तावक/

11.	दर्शाया गया हो।			डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
12.	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	11	प्रस्तावक	प्रस्तावक
13.	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
14.	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	13	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
15.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	14	प्रस्तावक / जिलाधिकारी	प्रस्तावक / जिलाधिकारी / डी0एफ0ओ0
16.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	15	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
17.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	16	प्रस्तावक	प्रस्तावक
18.	बार चार्ट।	17	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
19.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र।	18	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
20.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	19	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
21	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यॉकन/सारांश।	20	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
22.	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	21	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
23.	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण–पत्र।	22	वन संरक्षक	वन संरक्षक
24.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	23	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
25.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	24	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
26.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र।	25	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
27.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	26	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
28.	राष्ट्रीय पार्को/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	27	प्रस्तावक	–
29.	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	28	प्रस्तावक	प्रस्तावक
30.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विशलेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं पारस्थितिकीय संतुलन का आंकलन। (5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
31.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	30	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / उप खण्डीय समिति / ग्राम स्तरीय समिति
32.	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0

33.	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले–आउट प्लान	32	प्रस्तावक	प्रस्तावक
34.	परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक की आख्या।	33	भू–वैज्ञानिक	भू–वैज्ञानिक
35.	भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	34	प्रस्तावक	प्रस्तावक
36.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	35	प्रस्तावक	प्रस्तावक
37.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	36	प्रस्तावक	प्रस्तावक
38.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र।	37	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक
39.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र।	38	प्रस्तावक	प्रस्तावक
40.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	39	प्रस्तावक	प्रस्तावक
43.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण–पत्र।	40	प्रस्तावक	प्रस्तावक
44.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र।	41	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
45	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	42	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
46.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र।	43	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
47.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हों तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	44.	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0
48.	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हों तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	45.	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0
49.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/ दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	46.	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
50.	प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण–पत्र।	47.	प्रस्तावक/भूस्वामी	भूस्वामी/जिलाधिकारी
51.	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध ।	48.	प्रस्तावक/भूस्वामी	भूस्वामी/जिलाधिकारी
52.	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	49.	प्रस्तावक/डी0 एफ0ओ0	प्रस्तावक/डी0 एफ0ओ0
53.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।	50.	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
54.	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण–पत्र।	51.	प्रस्तावक	प्रस्तावक
55.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	52.	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
56.	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	53.	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक
57.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	54.	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक
	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व	55.	डी0एफ0ओ0/	डी0एफ0ओ0/

58.	कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र।		उच्चस्तरीय समिति	प्रस्तावक
59.	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	56.	प्रस्तावक	–
60	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	57	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में उपलब्ध कराना।		प्रस्तावक	–

नोट :–उक्त समेकित चैक लिस्ट में समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण उल्लिखित है। प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा प्रत्येक प्रयोजन हेतु इंगित प्रपत्रों को ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

3.3 सड़कों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त प्रपत्र एवं सूचनायें

सारणी–13

क0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग / अधिकारी जिसके द्वारा सूचना / प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग / अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1	2	3	4	5
1.	सड़को के चौडीकरण के मामलों में पूर्व निर्मित मार्ग एवं चौडे किये जाने वाले मार्ग के भाग को बार चार्ट में अलग से दर्शाया जाना।	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ 0ओ0
2.	पूर्व में निर्मित मार्ग की स्वीकृति।	2	प्रस्तावक	–

3.4 सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु संलग्न किये जाने वाले अतिरक्त प्रपत्र एवं सूचनाये।

सारणी–14

क0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग / अधिकारी जिसके द्वारा सूचना / प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग / अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1	2	3	4	5
1.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना समतुल्य वन भूमि की बनायी जानी है।	1	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
2.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु यदि सिविल सोयम भूमि उपलब्ध न हो तो अवनत आरक्षित वन भूमि में दसवर्षीय योजना।	2	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0

3.5 वन भूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाईन/रोपवे निर्माण हेतु संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त प्रपत्र एवं सूचनायें

सारणी–15

क0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण– पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/ अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति का प्रमाण–पत्र।	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक/प्रदुर्षण नियंत्रण बोर्ड
2.	प्रस्तावक विभाग द्वारा शपथ पत्र (अन्डरटेकिंग)	2	प्रस्तावक	प्रस्तावक
3.	यातायात विश्लेषण।(रोपवे हेतु)	3	प्रस्तावक	प्रस्तावक
4.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट ।	4	प्रस्तावक	प्रस्तावक
5.	क्रियान्वयन अनुवन्ध।	5	प्रस्तावक	शासन/प्रस्तावक

3.6 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त प्रपत्र एवं सूचनायें

सारणी–16

क0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण– पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/ अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	कियान्वयन अनुबन्ध।	1	प्रस्तावक विभाग/शासन	प्रस्तावक विभाग/शासन
2.	पर्यावरणीय स्वीकृति।	2	भारत सरकार	भारत सरकार
3.	आर0आर0 प्लान।	3	प्रस्तावक विभाग/जिलाधिकारी	प्रस्तावक विभाग/जिलाधिकारी
4.	मत्यस्य संवर्धन योजना।	4	प्रस्तावक विभाग/मत्यस्य विभाग	प्रस्तावक विभाग/मत्यस्य विभाग
5.	ई0आई0ए0/ई0एम0पी0 स्वीकृति।	5	भारत सरकार	भारत सरकार
6.	मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र। (20 हे0 से अधिक के प्रकरणों में)	6	मुख्य सचिव	मुख्य सचिव

3.7 पेयजल/सिंचाई परियोजनाओं हेतु संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त प्रपत्र एवं सूचनाओं का विवरण

सारणी–17

क0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण– पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/ अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	पाईप लाईन का व्यास	1	प्रस्तावक विभाग	प्रस्तावक विभाग

3.8 अनवासीय भवनों का निर्माण हेतु संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त प्रपत्र एवं सूचनायें।

सारणी–18

क0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण– पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/ अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	विस्त्रित प्लान एवं मदवार विवरण	1	प्रस्तावक विभाग	प्रस्तावक/प्र0व0अ0

3.9 नदियों से उप–खनिजो के चुगान हेतु संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त प्रपत्र एवं सूचनायें।

सारणी–19

क0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण– पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/ अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार के निर्देशानुसार।	1	प्रस्तावक	भारत सरकार

नोट :– नदियों/नालों से उप–खनिजों के चुगान के पूर्व भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।

3.10 कालातीत लीजों के नवीनीकरण के प्रकरणो में संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त प्रपत्र।

सारणी–20

क0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण– पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/ अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र–ख भाग–1, भाग–2 में सूचना अंकित की जानी है।	1	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0
2.	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र।	2	प्रस्तावक	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0
3.	पूर्व स्वीकृत लीज का शासनादेश।	3	प्रस्तावक	डी0एफ0ओ0
4.	लीज का प्रयोजन।	4	प्रस्तावक	डी0एफ0ओ0
5.	लीज धारक का नाम/वसीयतनामा/उत्तराधिकार	5	प्रस्तावक	डी0एफ0ओ0/जिलाधिकारी
6.	वन ब्लाक/राजि/वन प्रभाग का नाम।	6	प्रस्तावक	डी0एफ0ओ0
7.	लीज भूमि का क्षेत्रफल।	7	प्रस्तावक	डी0एफ0ओ0
8,	वर्तमान में निर्मित संरचनाओं /भवनों का विवरण			
9,	लीज पर दी गई वन भूमि के सीमांकन का प्रमाण पत्र।			
10,	जिस प्रयोजन हेतु लीज दी गई भूमि के प्रयोग प्राविधानित प्रयोजन हेतु की जा रही है का प्रमाण पत्र ।			

3.11 ऐसे प्रकरण जिनमें वन्य जीव क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं उनमें संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त प्रपत्र।

सारणी–21

क0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण– पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/ अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	राज्य के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की संस्तुति/सहमति का प्रमाण–पत्र।	1	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
2.	राज्य वन्य जीव सलाहकार समूह की संस्तुति/सहमति का प्रमाण–पत्र।	2	शासन	शासन

3.	भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	3	प्रस्तावक/भारत सरकार	भारत सरकार
4.	मा0 उच्चतम न्यायालय की अनुमति।	4	प्रस्तावक/मा0 उच्चतम न्यायालय	मा0 उच्चतम न्यायालय
5.	वन्य जीव क्षेत्रों के संरक्षण एवं प्रबंधन की योजना।	5	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0

3.12 प्रस्ताव के गठन हेतु आवश्यक प्रमाण प्रपत्रों की सूची 1 के अनुसार प्रारूप–

प्रारुप–1

Mr. .....son of .....is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding .....of the.....(agency name) on the Goverment of India portal **www.forestclearance.nic.in** on behalf of the .....
(head of the Instituion name /designation).

Signature
Name and seal of the competent Authority

प्रारुप–2

भाग–1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :–

1.
   क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।
   ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।
   ग) परियोजना की लागत।
   घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।
   ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)
   च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है
   क) परिवारों की संख्या
   ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या
   ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही)
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

दिनांक..... **स्थान.....** **प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर** **नाम मोहर**

प्रारुप–3

भाग–2 (संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र

(ii) जिला

(iii) जिला वन प्रभाग

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः

(i) वन का प्रकार

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।

(ii) यदि नही ंतो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. **किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे** :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

25. **क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :**

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्यौरे दें।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्थानः

तारीखः **हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा**

प्रारुप–4

भाग–3

28. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्ष्ज्ञण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय।

29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।

30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्थानः तारीखः हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

"प्रारूप ग"

वन भूमि में खनिजों के सर्वेक्षण के राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों को धारा 2 के अधीन पूर्व मंजूरी लेने वाला प्रारूप।

खनन /चुगान हेतु आवेदन

भाग–1

(प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भरा जाए)

1. परियोजना के ब्यौरे :

(i) प्रयोक्ता अभिकरण का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे
(ii) प्रयोक्ता अभिकरण की विधिक प्रास्थिति
(iii) आवेदन करने वाले व्यक्ति नाम, पदनाम और पता
(iv) प्रयोक्ता अभिकरण के निमित आवेदन करने के लिये इस आवेदन को करने वाले व्यक्ति की सक्षमता या प्राधिकरण के समर्थन में दस्तावेज (हां/नहीं)
(v) खोजी जाने वाली खनिज वस्तु
(vi) दोनों वन और गैर वन क्षेत्र में किये जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा
(vii) प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये संबद्ध यथास्थिति मंत्रालय या विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुमोदन के ब्यौरे
(viii) पूर्वेक्षण पट्टे में सम्मिलित सम्मिलित वन और गैर वन भूमि के ब्यौरे
(ix) पूर्वेक्षण के लिए अपेक्षित वन भूमि का कुल क्षेत्र :

(क) भूमि उपयोग स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र
(ख) वन भूमि में स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र

(x) कुल अवधि जिसके लिए वन भूमि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित हैः
(xi) परियोजना की प्राक्कलित लागत :
(xii) ऐसी वन भूमि के उपयोग के लिए चालू प्रास्थिति के साथ राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्व में यदि कोई है उपयोजित वन भूमि का ब्यौरा :
(xiii) प्रत्येक मामले में पूर्वेक्षण की चालू प्रास्थिति के साथ वन भूमि में खनिजों के पूर्वेक्षण के लिए प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्व में दी गई अनुमति के ब्यौरे :

2. संलग्न मानचित्रों का ब्यौरा

(i) पूर्वेक्षण ब्लाक की सीमा दर्शित करने वाले 1:50000 स्केल के मूल में स्थल परतों का भारतीय सर्वेक्षण ; पूर्वेक्षण ब्लाक के भीतर अवस्थित वन भूमि के प्रत्येक टुकड़े की सीमा ; प्रत्येक नमूने प्लाट की अवस्थितियाँ छेदन उपस्करों के परिवहन के लिए उपयोजित होने वाले वेध छिद्र स्थल सड़कों या पथमार्ग (साथ ही नए पथ के रास्ते को पृथक रूप से दिखाया न जाए) लगने वाले वनों की सीमाएं और पूर्वेक्षण आदि में पहचान की गई भूमि की सीमा से (10 किमी0) की दूरी पर अवस्थित संरक्षित क्षेत्र

टिप्पण 1 यदि 1:50000 स्केल में भारत के सर्वेक्षण स्थलपरत उपलब्ध नहीं हो तो विशेषतः अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के समीप अवस्थिति क्षेत्र के मामले और भारत स्थलपरत के सर्वेक्षण के स्थान पर अन्य रणनीतिक अवस्थितियां सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में उपलब्ध अन्य मानचित्रों का भी उपयोग किया जाए।

टिप्पण 2 तकनीकी कारणों से पूर्वेक्षण क्रियाकलाप करते समय, प्रयोक्ता अभिकरण 300 मीटर तक वेध–छिद्र नमूने प्लाट खंड या पथ आदि की अवस्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं परन्तु उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित वन भूमि के क्षेत्र या काटे जाने वाले प्रस्तावित वृक्षों की संख्या प्रस्ताव में वही दी गई संख्या से अधिक नहीं होगी।

3. (i) वन भूमि में पूर्वेक्षण के लिए न्यायोचितता :

(ii) जांच किए गए विकल्पों के ब्यौरे :

(iii) गैर आक्रामक पूर्वेक्षण क्रिया कलाप के ब्यौरे यदि कोई हो, विस्तारित प्रस्ताव में उपदर्शित वन भूमि में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया हो

4. अनुसूचित क्षेत्रों में पूर्वेक्षण के लिए पहचान की गई वन भूमि अवस्थित है (हां/नहीं)

5. वन भूमि में किए जाने वाले प्रस्तावित क्रिया कलापों के ब्यौरे :

(i) **सतह नमूने**

(क) ग्राह प्रतिचयन
(ख) चिप प्रतिचयन
(ग) खांचा प्रतिचयन
(घ) चैनल प्रतिचयन
(ड.) प्रपुंज प्रतिचयन
(च) पंक्ति अंतरालन नमूने सहित भू रसायन ग्रिड प्रतिचयन

(ii) **गड्डा या खाई बनाना**

(क) गड्डों या खाइयों की संख्या और व्यास
(ख) उत्खनन की कुल मात्रा
(ग) गड्डों या खाइयों के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्र

(iii) **वेधन**

(क) वेध छिद्रों या कुओं की संख्या और व्यास
(ख) वेध छिद्र या कुओं का अंतरालन
(ग) प्रत्येक विधछिद्र या कुओं पर अस्थयी रूप से बाधित किए जाने वाले क्षेत्र
(घ) प्रत्येक वेधछिद्र या कुओं पर स्थायी रूप से बाधित किए जाने वाले क्षेत्र, यदि कोई है
(ड.) वेध छिद्रों या कुओं का मापन
(च) वेधन कोर नमूनों की संख्या
(छ) वेधन कोर नमूनों की संख्या

(iv) **सड़कों या पथों का संनिर्माण**

(क) निर्माण किए जाने वाली सड़कों या पथों की लंबाई और चौड़ाई
(ख) सड़कों या पथों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

(v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

6. निम्नलिखित के कारण भूमि उपयोग में अस्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र

(i) सतह प्रतिचयन :
(ii) गड्डा या खाई बनानाः
(iii) वेधन :
(iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण :
(v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :
कुल :

7. निम्नलिखित के लिए भूमि उपयोग में स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन क्षेत्र

(i) सतह प्रतिचयन :
(ii) गड्डा या खाई बनाना :
(iii) वेधन :
(iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण :
(v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :
कुल :

8. पूर्वेक्षण के लिए विनियोजित होने के लिए मशीनरी या उपस्करों के ब्यौरे–

क्रम सं0	उपस्कर या मशीनरी का नाम	कर्षण का ढंग	आकार (एल X बी X एच)	प्राक्कलित विनियोजन (मशीनी घंटे)	अधिकतम शोर स्तर (डेसिबल)

9. वन भूमि में उपस्कर या मशीनों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित विद्यमान पथों या सड़ाकों का ब्यौरा।
10. पूर्वेक्षण के लिए विनियोजित होने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की वन भूमि में रूकने की लगभग संख्या और लगभग अवधि।

11. पूर्वेक्षण के दौरान संगृहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित अयस्क और अन्य नमूनों की प्राक्कलित मात्रा का सारांश (जलीय कार्बन सैक्टर के लिए लागू नहीं)

क्र0 सं0	न्मूनों के ब्यौरे	संगृहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित मात्रा (मीट्रिक टन)

12. खनिज आरक्षण निर्धारण के लिए प्राक्कलित शुद्धता और आश्वस्त स्तरः

13. यदि वेध किए जाने के लिए प्रस्तावित वेधन छिद्रों की संख्या निम्नलिखित के द्वारा कम की जाती है तो प्राक्कलित शुद्धता और आश्वस्त स्तरः

		शुद्धता	स्तर (:)
(i)	(10%)		
(ii)	(20%)		
(iii)	(30%)		
(iv)	(40%)		
(v)	(50%)		

14. यदि पूर्वेक्षण या अतिरिक्त वेध छिद्रों के वेधन के लिए मंजूर की गई अनुज्ञा की अवधि के विस्तार हेतु प्रस्ताव है, कृपया निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी दें :–

(i) पूर्व में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन दिए गए अनुमोदन के ब्यौरे

क्रम सं0	दिए गए अनुमोदन की संख्या और तारीख	पूर्वेक्षण (एच ए) के लिए अनुज्ञात वन भूमि का क्षेत्र	अनुमोदन की विधिमान्य अवधि	
			से	त्क

(ii) पूर्व में दिए गए अनुमोदन में अनुबद्ध शर्तो के अनुपालन की प्रास्थिति पर रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)
(iii) उल्लंधन (नों), यदि कोई, किया है, के ब्यौरे।
(iv) पूर्वक्षण के लिए दी गई अनुज्ञा के विस्तार के लिए न्यायोचितता।
(v) अभी तक किए गए पूर्वेक्षण कियाकलापों और संगृहीत नमूनों के ब्यौरे।

15. संलग्न दस्तावेजों के ब्यौरे–
तारीखः
स्थानः

हस्ताक्षर
(स्पष्ट अक्षरों में नाम)
पदनाम
पता (प्रयोक्ता अभिकरण का)

प्रस्ताव की राज्य क्रमांक सं0.....
(प्राप्ति की तारीख सहित नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाए)

प्रारुप–5

परियोजना का नाम–

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की जानी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाय।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रारुप–6
प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनाँक..को ....(एजेन्सी का नाम) के द्वारा...................से ....तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री ...., राजस्व विभाग की ओर से श्री..., प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री .... अन्य दावेदारों की ओर से श्री .... तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रुप में श्री .... के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया ।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें ....(मी0) नाप भूमि.से, ...(मी0) सिविल भूमि से, ...(मी0) वन पंचायत से,.......................................(मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल.................................हे0 नाप भूमि.........................हे0 ....हे0 सिविल भूमि..........................हे0वन पंचायत भूमि....... ....हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल ....हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग............. वृक्ष .... प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,जिनमें से ....बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे ।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें ....(मी0) नाप भूमि.से, ...(मी0) सिविल भूमि से, ...(मी0) वन पंचायत से,.......................................(मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल.................................हे0 नाप भूमि.........................हे0 ....हे0 सिविल भूमि..........................हे0वन पंचायत भूमि. ....हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल ....हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग............. वृक्ष .... प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे,जिनमें से ....बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे ।
अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन ....कक्षों से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन.. ....है एवं इन कक्षों में.................................... प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि...................................पर .... .प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर.............................प्रजाति के .वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन.......................है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान.........................है तथा यह स्थल........................... . से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल................................है जिसका GPS मान..है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान.........................हैं।
चयनित समरेखन में कुल ....पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate)किया जाना आवश्यक होगा ।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा है/ नही है ।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा / नही होगा ।

इस समरेखण पर..के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु.. ......स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान.........................हैं।

अन्य आवश्यक विवरण ....

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
(प्रयोक्ता एजेन्सी) प्रतिनिधि	(वन विभाग) प्रतिनिधि	(राजस्व विभाग) प्रतिनिधि	(अन्य दावेदार) प्रतिनिधि	(जन प्रतिनिधि) प्रतिनिधि

नोट– इस रिपोटृ पर भूवैज्ञानिक की राय भी प्रस्ताव बनाने से पूर्व में ही प्राप्त कर ली जाये।

प्रारुप–7

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF

(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from…….....for diversion under FCA-1980) of.....…ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of x……The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated…….

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring……ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :-

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोटः– प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति/टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय)

(Signature)

Place:-……

Name……

Date……..

Designation…….

Office Seal ……..

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

प्रारुप–8

परियोजना का नाम.....

प्रपत्र संख्या–8 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ सर्वे आफ इण्डिया के 1:50,000 पैमाने की टोपोशीट पर परियोजना को लाल रंग से प्रदर्शित किया जाना है, तथा आस–पास की विभिन्न प्रकार की भूमि को भिन्न–2 निर्धारित रंगों से प्रदर्शित किया जाना है तथा इनका विवरण संकेत तालिका में भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय। निर्धारित रंगों का विवरण निम्नानुसार है। इसके अतिरिक्त सड़क निर्माण के प्रकरणों में क्षेत्र में विद्यमान सड़कों का नेटवर्क तथा प्रस्तावित मार्ग जिस पूर्व निर्मित मार्ग से प्रारम्भ हो रहा है, को भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।)

1. आरक्षित वन भूमि को हरे रंग से।
2. सिविल एवं सोयम भूमि को पीले रंग से।
3. वन पंचायत भूमि को नीले रंग से।
4. संरक्षित वन भूमि को भूरे रंग से।
5. नाप भूमि को अन्य किसी रंग से।

(इस मानचित्र में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)

प्रारुप–9

परियोजना का नाम.....

प्रपत्र संख्या–9 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ सर्वे आफ इण्डिया के 1:50,000 पैमाने के डिजिटल मानचित्र पर परियोजना को प्रदर्शित करते हुए जी0पी0एस0 रीडिंग अंकित की जानी है व प्रपत्र संख्या–8 की सूचनाऐं भी सम्मिलित की जानी हैं।

(इस डिजिटल मानचित्र में मानचित्र कर्ता सहित प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)

प्रारुप–10

परियोजना का नाम.....

प्रपत्र संख्या–10 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ गूगल मानचित्र (.kml file में) पर प्रस्तावित परियोजना को प्रदर्शित किया जाना है तथा प्रस्तावित संरेखण की जी0पी0एस0 रीडिंग भी अंकित की जानी है।

(इस गूगल मानचित्र में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)

प्रारुप–11

परियोजना का नाम–

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

हस्ताक्षर एवं नाम प्रयोक्ता एजेन्सी
विभागीय मुहर सहित

प्रारुप–12

परियोजना का नाम.....

प्रपत्र संख्या–14 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ गूगल मानचित्र (.kml file में) पर प्रस्तावित कार्य का विवरण तथा वैकल्पिक संरेखण/स्थल को प्रदर्शित किया जाना है तथा प्रस्तावित संरेखण एवं वैकल्पिक संरेखण की जी0पी0एस0 रीडिंग भी अंकित की जानी है।
(इस गूगल मानचित्र में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)

प्रारुप–13

Performa for comparison between identified alignments

Sl.No	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
1	Topography		
2	Length of Road		
3	Bridging requirement No. and Length		
4	Geometric		
	(a) Gradients		
	(b) Curves, H.P Bends		
5	Existing Means of communication, mule path, jeep, Tracks etc.		
6	Right of way, bringing out. construction on account of built up areas, monuments and other structures.		

7	(a) Terrain &Soil Condition.		
	(vi) Cliffs and gorges.(vii) Drainage characteristics of the area including supceptibility to flooding .(viii) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and discends.(ix) Variations extants and types.		
8.	Climate Condition:(a) Temperature Monthly max. & min. reading.(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available) .(c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available) .(d) Wind direction and velocities.(e) Fog Condition.(f) Exposure to sun.(g) Unusual weather condition like cloud brust etc.		
9.	Facilities resources. (a) Landing ground. (b) Dropping Zone. (c) Food stuffs. (d) Labour local availability and need for import. (e) Construction material (Timber, Bamboo, Sand, Stone, Shingle etc. extent of their availability and lead involved.		
10.	Value of land, agricultural land, Irrigated land, bult up land, forest land etc,		
11.	Approximate Const. Cost.		
12.	Access point indicating possibility of induction of equipment.		
13.	Period required for construction.		
14.	Strategic Consideration.		
15.	Important villages, towns and markets centers to be connected.		
16.	Recreational potential.		
17.	Economic Factors: (a) Population served by the alignment.		

	(b) Agricultures and economic potential of the area.		
18.	other major development projects being taken up electric projects etc.		
19.	(i) Misc. Such as camping sites (ii) Law and other problem (iii) Royalty		
	(iv) Availability of contractors for collection and carriage of construction material (v) working period available for construction of work.		
20.	Total No. of trees to be removed .		
21.	Average Density of forest cover .		
22.	Total No. of Merits		
23.	Total No. of Demerits		

RECOMMENDATIONS:

Alignment no. ( ) Recommended for approval being more economical, useful & technically feasible.

A. Assistant. Engineer/J.E. ,P.WD./UA | Assistant Engineer P.WD./UA | Executive Engineer P.W.D./UA

....

Note - Signature and approval of the concerned DFO is essential.

प्रारुप–14

परियोजना का नामः–

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित ..... हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

ह0/– ह0/ ह0/

प्रयोक्ता एजेन्सी प्रभागीय वनाधिकारी जिलाधिकारी

प्रारुप–15

परियोजना का नाम :–

लैन्ड शेड्यूल (आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे0)

ह0/– ह0/–

प्रयोक्ता एजेन्सी प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–15.1

परियोजना का नाम :– लैन्ड शेड्यूल

(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिया जाना है।)

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं0	कुल रकवा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे0)
सिविल एवं सोयम								
वन पंचायत								
योग वन भूमि								
नाप भूमि								
कुल योग								

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
जिलाधिकारी

प्रारुप–16

परियोजना का नाम :–

परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का विवरण।

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे0 में)
1	आरक्षित वन भूमि			
2	सिविल सोयम भूमि			
3	वन पंचायत भूमि			
4	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)			
	वन भूमि का योग			
5	नाप भूमि			
	कुल योग–			

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रारुप–17

परियोजना का नामः–

बारचार्ट

कि0मी0 कि0मी0

नोट :– (प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु)

1. जिस किमी0 पर जो ग्राम पड़ता हो, उसके नाम का भी बारचार्ट में उल्लेख किया जाय।
2. यदि प्रस्तावित मार्ग पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्मित किया जाना है तो पूर्व निर्मित मार्ग के नाम का बारचार्ट में उल्लेख करते हुये भारत सरकार की स्वीकृति का भी उल्लेख किया जाय एवं तद्नुसार आगे निर्मित किये जाने वाले प्रस्तावित मार्ग के किमी0 का क्रमशः उल्लेख करें।
3. यदि मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित हो तो पूर्व निर्मित मार्ग की चौड़ाई का उल्लेख करते हुये वर्तमान में प्रस्तावित मार्ग के चौड़ाई का बारचार्ट में स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
4. मानचित्र में दर्शाये गये निध

संकेत तालिका

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (हे0 में)
आरक्षित वन भूमि	हरा	
सिविल एवं सोयम भूमि	पीला	
वन पंचायत भूमि	बैंगनी / नीला	
संरक्षित वन भूमि	भूरा	
नाप भूमि	सफेद /अन्य रंग	

ह0 / –
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0 / –
प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रारुप–18

परियोजना का नामः–

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

ह0 / –
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0 / –
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–19

परियोजना का नाम :–

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक .....को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार / प्रजातिवार / व्यास वार विवरण।

क्रसं	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्टमेन्ट /खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग								
					20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	योग
1.	आरक्षित वन भूमि												
2.	सिविल सोयम												
3.	वन पंचायत												
4.	संरक्षित वन												
	योग :– वन भूमि												
5.	नाप भूमि												
	कुल योग :–												

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह0 / –
राजि अधिकारी

ह0 / –
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0 / –
राजस्व विभाग

ह0 / –
जिलाधिकारी

प्रारुप–20

परियोजना का नाम–

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन।

आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि/ संरक्षित वन भूमि/ नाप भूमि

क्र0सं0	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
		20–30			
		30–40			
		40–50			
		50–60			
		60–70			
		70–80			
		80–90			
		कुल योग			

ह0/–
राजि अधिकारी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट– आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि/ संरक्षित वन भूमि/ नाप भूमि के लिये उपरोक्त मुल्यांकन अलग अलग करना होगा ।

प्रारुप–20.1

परियोजना का नाम – प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्र0 सं0	भूमि का प्रकार									
		20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	योग
1	आरक्षित वन भूमि									
2	सिविल सोयम									
3	संरक्षित वन									
4	वन पंचायत									
	वन भूमि का योग									
5	नाप भूमि									
	कुल योग									

ह0/–
राजि अधिकारी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–21

परियोजना का नाम –

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

क्र.सं	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण

1.	आरक्षित वन भूमि			
2.	सिविल सोयम			
3.	वन पंचायत			
4.	संरक्षित वन			
	योग :– वन भूमि			
5.	नाप भूमि			
	कुल योग :–			

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल .....वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल ..... वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–22

परियोजना का नाम :–

<u>वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र</u>

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक ..... को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :–

कसं	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्टमेन्ट /खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम									
					20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	योग
1.	आरक्षित वन भूमि		बाँज										
2.	सिविल सोयम		बाँज										
3.	वन पंचायत		बाँज										
4.	संरक्षित वन		बाँज										
	योग :– वन भूमि												
5.	नाप भूमि		बाँज										
	कुल योग :–												

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

ह0/–वन संरक्षक,

प्रारुप–23

<u>परियोजना का नामः–</u>

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर कोई वृक्ष प्रभावित नही हो रहे हैं।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–24

परियोजना का नाम :–

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–25

परियोजना का नामः–

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी ... . किमी0 है।

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–26

परियोजना का नामः–

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने अथवा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 10.00 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत होने की दशा में लागू)

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संल्गन किया जाना होगा।

ह0/–
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

प्रारुप–27

परियोजना का नामः–

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने की दशा में भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति)

(नोटः–लागू होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न की जाय।)

प्रारुप–28

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गॉवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–29

(5.00 हे0 से अधिक के प्रकरणों में लागू)

Cost Benefit Ratio calculation Performa

Name of the project –

Block:- District:-

SL. No.	Particulars	Amount in lakhs	Remark
1	Total cost (Investment incurred)		
(A)	Construction cost of the project		
(B)	N.P.V. Amount to be deposited @ --- lakh /Ha		
(D)	Substitute/Alternative Plantation Cost to be Deposited:-		
(E)	Other cost if any		
	Grand Total		
2	Benefits	Estimated Cost /yearly	Total benefit during the life of the created development
2.1	i. Direct Economic Benefits a. b. c.		
	Total direct benefits		
2.2	ii. Social Benefits a. b. c.		
	Total social benefits		
2.3	iii. Ecological Benefits a. b. c.		
	Total eclological benefits		
2.4	Other Benefits(if any) a. b.		
	Total benefits		
	Grand Total Benefits		

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–29.1

Parameter for Evaluation of loss of Forests

Name of Project:- Nature of Proposal :-

Sl.no.	Parameters	Details
1	2	3
1	Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annual basis, including loss of man hours per annum of people who derived there livelihood and wage from the harvest of these commodities	
2	Loss of animals husbandry productivity including loss of fodder	
3	Cost of human resettlement	
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	
5	Environmental losses;(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.)	
6	Suffering to oustees	

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–29.2

Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests

Name of Projct:- Nature of Proposal :

Sl.no.	Parameters	Details
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	
2	Benefits to economy	
3	No. of population benefited.	
4	Employment potential.	
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.	
6	Loss of (a) agricuitural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.	
7	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement.	
8	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction.	

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-------

No--- Dated-----

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that …… hectares of forest land proposed to be diverted in favour of ……. (name of user agency) for…… (purpose for diversion of forest land) in….. district falls within jurisdiction of……. village (s) in….. tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire… hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above. Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-------

No--- Dated-----

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that …… hectares of forest land proposed to be diverted in favour of ……. (name of user agency) for…… (purpose for diversion of forest land) in….. district falls within jurisdiction of……. village (s) in….. tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire… hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of…. villages(s) is enclosed as annexure….. to annexure……

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ---------------- (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of ….. district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. ……………I.A.S deputy commissioner,. ……………… on dated …………. at time ………….at ……….. in which application claiming rights in ………….. area measuring …………. hect for the construction of ………………… forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of ………… sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;……….......
Dated:…………..

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :–

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ––––––
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ––––––––

उपखण्ड ––––– परिक्षेत्र के अन्तर्गत –––––––––––––––––––– –––––––––– (–––––है0 आरक्षित वन भूमि, –– है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ....है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल –––––– है0 वन भूमि) का ––––––––––––––––––प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ––––––––) की दिनांक –––––––––– को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ––––––––––, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री –––––––––––उपजिलाधिकारी ––––––––––––––––––––––अध्यक्ष
2– श्री –––––––––––उप प्रभागीय वनाधिकारी–––––––––––––––––––सदस्य
3– श्री –––––––––––सहायक समाज कल्याण अधिकारी–––––––सदस्य/सचिव
4– श्री –––––––––––बी0डी0सी0 क्षेत्र –––––––––––––––––––––सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ––– ––––––––––परियोजना हेतु............है0 वन भूमि –– प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ————————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ———————— परिक्षेत्र के अन्तर्गत ————————————————————————परियोजना के निर्माण हेतु .....हे0 वन भूमि .....प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–.....
जनपद .....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–.....
जनपद.....

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :–

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ————
तहसील————, जिला————

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद ————————के अन्तर्गत ————————————परियोजना के निर्माण हेतु (—————— हे0 आरक्षित वन भूमि, —————— हे0 सिविल सोयम भूमि..... हे0, वन पंचायत भूमि —————— हे0) अर्थात कुल .....हे0 वन भूमि का ————————————विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ———————— द्वारा दिनांक.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ———————————— के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ————————————प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.4

दिनांक .....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत .....

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रारुप–31

परियोजना का नाम :–

(केवल जल विद्युत परियोजनाओं के लिये लागू)

मदवार विवरण

प्रस्तावित परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार/भूमिवार/क्षेत्रफलवार का विवरण।

क्र0सं0	घटक/ कम्पोनेंट (Component)	आरक्षित वन भूमि (हे0 में)	सिविल एवं सोयम भूमि (हे0 में)	वन पंचायत भूमि (हे0 में)	संरक्षित वन (हे0 में)	कुल वन भूमि (हे0 में)	नाप भूमि (हे0 में)	कुल योग (हे0 में)
योगः–								

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–32

परियोजना का नामः–

भवन निर्माण/जल विद्युत परियोजनाओं हेतु ले–आउट प्लान/मदवार विवरण दिया जाना होगा ।

ह0/
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

प्रारुप–33

परियोजना का नामः–

भू–वैज्ञानिक की आख्या

(प्रस्तावित स्थल की भू–वैज्ञानिक द्वारा निर्गत अद्यतन निरीक्षण आख्या प्राप्त कर संलग्न की जाय।)

ह0/–
(भू–वैज्ञानिक)
नाम व मुहर सहित

प्रारुप–34

परियोजना का नामः–

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0/–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

प्रारुप–35

परियोजना का नामः–

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.

(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In

(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा हैं।

ह0/–

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रारुप–36

परियोजना का नामः–

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख–रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में

निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।

12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

ह0/
प्रयोक्त

प्रारुप–37

परियोजना का नामः–

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
जिलाधिकारी

प्रारुप–38

परियोजना का नामः–

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुॅचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुॅचाया जायेगा।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रारुप–39

परियोजना का नामः–

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रारुप–40

परियोजना का नामः– लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्नलिखित स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क0सं0	ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	जनसंख्या
1			
योगः–			

ह0/– प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रारुप–41

परियोजना का नामः–

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये.....प्रति हे0 है तथा उक्त प्रयोजन हेतु.....हे0 वन भूमि का कुल प्रीमियम (मूल्य) रूपये.....होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट प्रीमियम (मूल्य) का.....प्रतिशत की दर से रूपये.....प्रतिवर्ष होता है।

ह0/–
जिलाधिकारी

प्रारुप–42

परियोजना का नामः–

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन मय मानचित्र
क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के साथ संल्गन किया जाना है ।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–43

परियोजना का नामः–

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित .....स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–44

परियोजना का नामः–
क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 1:50000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, संलग्न किया जाय। मानचित्र में समस्त सूचनाओं जी0पी0एस0 रीडिंग सहित दर्शाते हुए संकेत तालिका में भी दिया जाय।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–45

परियोजना का नाम :–

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का रंगीन गूगल मानचित्र, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, संलग्न किया जाय। मानचित्र में समस्त सूचनाओं जी0पी0एस0 रीडिंग सहित दर्शाते हुए संकेत तालिका में भी दिया जाय।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–46

परियोजना का नाम :–

परियोजना स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों/पथ वृक्षारोपण/100 वृक्षों/काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना वृक्षों/बौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण का प्राक्कलन संल्गन किया जाना है (जो भी लागू हो)

प्रारुप–47

परियोजना का नामः–
प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।

ह0 भूमिधर

ह0 राजस्व विभाग
नाम पद एवं मुहर सहित

प्रारुप–48

परियोजना का नामः–
भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुए अनुबन्ध की प्रति संलग्न की जाय।

ह0 भूमिधर ह0 राजस्व विभाग नाम पद एवं मुहर सहित

प्रारुप–49

परियोजना का नामः–

मलवा निस्तारण योजना इस मार्गदर्शिका के परिषिश्ट में दिये माडल अनुसार तैयार की जानी है।

ह0 प्रयोक्ता एजेन्सी।

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–50

परियोजना का नामः–

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1. ईको–क्लास श्रेणी.....
2. हरियाली का घनत्व.....
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0.....
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि.....

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–51

परियोजना का नामः–

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रारुप–52

परियोजना का नामः–

<u>प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क.स.	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
			ल0	चौ0	ऊचाई				
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खौदना								
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना								
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0सी0सी0 पिलर निर्माण								
4	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया कय करना								
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य								
7	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना								
8	पानी की ढुलाई आदि								
	कुल योग								

प्रारुप–53

परियोजना का नामः–

(वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में लागू)

लीज अवधि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि .....वर्षो की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रारुप–54

परियोजना का नामः–

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रारुप–55

परियोजना का नामः–

प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के जलसमेट क्षेत्र के समेकित उपचार हेतु वन विभाग द्वारा तैयार की गई कैचमैन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (CAT PLAN) के क्रियान्वयन हेतु कैट प्लान में उल्लिखित धनराशि का भुगतान वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार यथासमय किया जायेगा।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–56

परियोजना का नामः–

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृती (यदि लागू हो) संलग्न की जाय।

प्रारुप–57

कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र

पट्टा जिन्हें पहले वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी गई है के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और राज्य प्राविधकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमोदन लेने का फार्म।

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरा जाना है)

1. पत्र संख्या और तारीख जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी है। (प्रति संलग्न करें)
2. परियोजना के विवरण :–
   (1) प्रस्ताव और परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण, जिसके लिये वन भूमि अपेक्षित है।
   (2) 1:50,000 के स्केल मैप पर वन के आस–पास की सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र।
   (3) परियेाजना की लागत।
3. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार ब्यौरा (जो पहले से ही ले ली है या लिए जाने वाली है)।
4. अनुदेशों के अन्तर्गत आवश्यक रूप से संलग्न किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।

हस्ताक्षर
(नाम बड़े अक्षरों में)
पदनाम
पता (प्रयोक्ता एजेन्सी का)

तारीखः

स्थानः–

भाग–।।

कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

5– परियोजना/स्कीम का स्थान :–

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्रः
ii) जिलाः
iii) वन प्रभागः
iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
v) वन की कानूनी स्थिति
vi) वानस्पति का घनत्व
vii) अखण्डित क्षेत्र में वृक्षों की संख्या प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और ब्यास श्रेणीवारः
viii) क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)

6– क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

7– पूर्व अनुमोदन के दौरान निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट। (संलगन की जानी।)

8– प्रभाग/जिला प्रोफाइल

i. जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल।
ii. जिले का वन क्षेत्र।
iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल वनीकरण — प्रतिकूल
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
(ख) वनेत्तर भूमि पर
v. ..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
(क) वन भूमि पर
(ख) वनेत्तर भूमि पर

9– कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।

दिनांक ..... **हस्ताक्षर**

नाम

स्थान..... **सरकारी मोहर**

परिशिष्ट

1. राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश।

क्र.सं.	आदेश विवरण	दिनांक
1.1	व्यवसायिक अथवा वाणिज्य उपयोग हेतु अस्थाई लीजों की स्वीकृति।	02–07–1979
1.2	प्रीमियर (मूल्य) एवं लीज रेन्ट के सम्बन्ध में।	17–07–1999
1.3	सीमा सड़क संगठन को निःशुल्क वनभूमि दिया जाना।	15–02–2002
1.4	गाम्य विकास विभाग को निःशुल्क भूमि दिया जाना।	13–11–2002
1.5	पेयजल विभाग हेतु निःशुल्क भूमि दिया जाना।	01–02–2003
1.6	एक विभाग से दूसरे विभागों को वनभूमि निःशुल्क दिया जाना।	27–08–2003
1.7	लीज नीति।	09–09–2005
1.8	पेयजल स्वच्छता समिति को वनभूमि निःशुल्क दिया जाना।	21–09–2007

2. भारत सरकार के आदेश।

क्र.सं.	आदेश विवरण	दिनांक
2.1	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्यों में प्रस्तावित परियोजना के लिए आदेश।	04–05–2001
2.2	कच्चा मार्ग के सुधारीकरण हेतु आदेश।	29–04–2005
2.3	क्षतिपूरक वृक्षारोण हेतु चयनित सिविल एवं सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।	28–12–2007
2.4	एन0पी0वी0 के सम्बन्ध में आदेश।	05–02–2009
2.5	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी के सम्बन्ध में।	19–08–2010
2.6	डिजिटल मानचित्र के सम्बन्ध में आदेश।	08–07–2011
2.7	पारेषण लाईन के राईट ऑफ वे (Row) के सम्बन्ध में।	24–01–2012
2.8	सिविल एवं सोयम भूमि के सम्बन्ध में भारत सरकार का आदेश।	09–03–2012
2.9	Linear प्रोजेक्ट के सम्बन्ध मे।	07–01–2013
2.10	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना सम्बन्ध में।	14–02–2013
2.11	बार्डर रोड के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में।	09–12–2013
2.12	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के सम्बन्ध में	05–07–2013
2.13	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के सम्बन्ध में	20–12–2013
2.14	1.00 हे0 तक वनभूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में	13–02–2014
2.15	5.00 हे0 तक आपदा ग्रस्त सड़कों/रोपवे आदि के सम्बन्ध में।	23–06–2014
2.16	सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों के सम्बन्ध मे।	08–08–2014
2.17	गैर वन भूमि के सम्बन्ध में।	25–08–2014
2.18	खनन लीज के सम्बन्ध में।	27–08–2014
2.19	पेट्रोल पम्प आदि के सम्बन्ध मे आदेश	19–09–2014
2.20	वृक्षों के मूल्य के सम्बन्ध में।	07–10–2014
2.21	पुर्न प्रत्यातर्वन के सम्बन्ध में।	07–10–2014
2.22	वन अधिकार अधिनियम, 2006	28–10–2014
2.23	गैर वन भूमि के सम्बन्ध में।	07–11–2014
2.24	5.00 हे0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।	07–11–2014
2.25	1.00 हे0 तक के प्रकरणों के वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।	07–11–2014

–1.1–

संख्या 6450(1) / 14–3–930 / 77

प्रेषक,

श्री ए0डी0 तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–मुख्य अरण्यपाल उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2–समस्त अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल उत्तर प्रदेश।
3–समस्त अरण्यपाल उत्तर प्रदेश।

वन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 2 जुलाई 1979.

विषय :– व्यवसायिक अथवा वाणिज्य उपयोग हु अस्थाई लीजों की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन की जानकारी में यह बात आई है कि निजी व्यक्तियों निजी संस्थाओं ठेकेदारों आदि को व्यवसायिक तथा वाणिज्य उपयोग हेतु अरण्यपालों आदि के स्तर से जो भूमि अस्थाई लीज पर एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष चार वर्ष या पाँच वर्ष की अवधि के लिये दी जाती है। उनमें लीज रेन्ट आदि की शर्तें भिन्न होती है और उनमें एक रूपता नहीं रहती है। यह उचित नहीं है शासन के पूर्व आदेशनुसार बाजार भाव पर भूमि के मूल्य के बराबर धनराशि प्रीमियम के रूप में ली जाती है और प्रीमियम की धनराशि का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज शुल्क लिया जाता है। अस्थाई / कम अवधि की लीजेस में प्रीमियम की धनराशि एक मुश्त न लेकर बदले में (ब्याज के रूा में) प्रीमियम का 10 प्रतिशत निर्धारित रेट में बढ़ोत्तरी करके लेना अधिक अचित होगा। अतः समुचित विचारोपरान्त एक रूपता लाने के उद्देश्य से शासन ने यह निर्णय लिया है कि अस्थाई / कम अवधि की लीज पर वन भूमि को दिये जाने के प्रत्येक प्रकरण में वार्षिक लीज रेन्ट भूमि के बाजार भाव पर मूल्य का 20 (बीस) प्रतिशत लिया जाय। दस प्रतिशत सामान्य और दस प्रतिशत प्रीमियम के एवज में।

2– मुझे यह स्पस्ट करना है कि अस्थाई लीज के प्रकरणों में उक्त आदेश लागू नहीं होंगे। स्थाई लीज के प्रकरण में भूमि का बाजार भाव पर मूल्य के बराबर धनराशि प्रीमियम के रूप में तथा प्रीमियम का दश प्रतिशत वार्षिक लीज शुल्क के रूप में पूर्वतः लिया जाया करेगा।

3– मुझे यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश वन निगम की लीज पर भूमि के सम्बन्ध में। आदेश प्रथक रूप से जारी किये जायेंगे।

4– अनुरोध है कि आप कृपया उक्त निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें और जहॉ तक सम्भव हो अस्थाई लीज पर पहले से दी गई भूमि के मामलों में भी पुरराश्रित दर पर वार्षिक लीज शुल्क लिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

ह0 / ए0डी0 तिवारी
उप सचिव

संख्या 6450(1) / 14–3–930 / 77
प्रतिलिपि निम्नलिखीत को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 को वित्त सचिव एवं सव सचिव की दिनांक 13–6–79 को हुई वार्ता के सम्बन्ध में
2. वन अनुभाग–2।

आज्ञा से,

ह0 / ए0डी0 तिवारी
उप सचिव

–1.2–

उत्तर प्रदेश शासन
वन विभाग–2
संख्या0–66 / 14–2–600(3) / 1999
लचखऊः दिनांक : 17 जुलाई, 1999

कार्यालय ज्ञाप

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अनुसार वन भूमि पर किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। इन मामलों में भारत सरकार से उक्त अधिनियम के तहत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग करने की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण के आदेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार की प्रक्रिया अपनायी हाती है :–

1. चूँकि वन विभाग स्वयं एक सेवा विभाग है। अतः सिकी दूसरे सेवा विभागों को वन भूमि का हस्तान्तरण वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या : ए–2 / 75 / दस–77 / 14(4) / 74 दिनांक 3–2–1977 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुसार वन भूमि

निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के आदेश माध्यम मंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त जारी किये जाते हैं। ऐसे मामलों में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नही होती है।

2. प्रदेश सरकार के विभिन्न गैर सेवा विभागों (वाणिज्यि विभाग) एवं भारत सरकार के विभागों को वन भूमि का हस्तान्तरण वर्तमान बाजार दर पर मूल्य प्राप्त करके किया जाता है और आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जाते हैं।

3. प्रदेश सरकार के विभिन्न उपक्रमों (यथा उ0प्र0ज0 निगम उ0प0रा0पि0प0 आदि) तथा भारत सरकार के विभिन्न उपक्रमों (यथा एन0टी0पी0सी0, एन0एच0पी0पी0 एवं पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया आदि) एवं विभिन्न गैर सरकारी संस्थानों को वनभूमि का हस्तान्तरण वन विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 2–7–1979 के अनुसार वर्तमान बाजार दर पर मूल्य (प्रीमियम) व उसके 10 प्रतिशत धनराशि के बराबर वार्षिक लीज रेन्ट के भुगतान के आधार पर किया जाता है तथ आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जाते हैं।

2– उपरोक्ता उप प्रस्तर (2) प (3) में उल्लिखित मामलों में वन भूमि हस्तान्तरण के आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जाते हैं और इनमें से उन मामलों में जिनमें वन भूमि का मूल्य रू0 एक लाख से अधि होता है, पर उ0प्र0 कार्य नियमावली–1975 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मा0 म0 परिषद का अनुमोदन प्रापत किया जाता है। वन भूमि का मूल्य एक लाख रूपये कम होने की दशा में मा0 मुख्य मंत्री जी वन मंत्री जी अनुमोदन प्राप्त करके आदेश जारी किये जाते हैं।

3– वर्तमान में बढ़ती हुई महंगाई के दृष्टिगत वन भूमि का मूल्य भी अधिक हो गया है, जिसके फलस्वरूप छोटी–छोटी परियोजनाओं हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का मूल्य सामान्यतया एक लाख रूपये से अधिक हो जाता है। विभिन्न विकास परियोजना के क्रियान्वयन/निर्माण कार्य हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण किया जाना एक ––– (रूटीन) कार्य है और ऐसे प्रकरण काफी अधिक संख्या में भी होते हैं। साथ ही उन्हीं परियोजनाओं के लिए वन भूमि का हस्तान्तरण किया जाता है, जिनके सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

4– उपरोक्त वर्णित स्थिति में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरणके ऐसे सभी मामले जिनमें वन भूमि का मूल्य रूपये एक लाख या उससे अधिक होता है, पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करके मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदन के स्थान पर मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करके वन भूमि हस्तान्तरण के आदेश निर्गत कर दिये जायें।

5– उक्त से सम्बन्धित मा0 मत्रि परिषद को प्रस्तुत की गयी टिप्पणी एवं उस पर पारित निर्णय की एक–एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।
संलग्नकः–यथोपरि।

(बी0डी0 काण्डपाल)
विशेष सचिव

संख्या 666(1)/14–2–99 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, वित्त (व्यय–नियंत्रण) उ0प्र0 शासन।
3. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–9, उ0प्र0 सचिवालय।
4. गोपन अनुभाग–1 को उनके पंत्रांक : 4/2/23/99–सी0एक्स0(1), दिनांक 1–7–1999 के सन्दर्भ में।
5. गार्ड फाईल में रखते हेतु।

आज्ञा से,

(बी0डी0 काण्डपाल)
विशेष सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग—3
संख्या 260 / वि.अनु. 3 / 2002
देहरादूनः दिनांकः 15 फरवरी, 2002

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के एक सेवा विभाग (मतअपब Depft) द्वारा दूसरे सेवा विभाग को कोई सेवा व सम्पूर्ति वर्तमान नियमों के अनुसार बिना मूल्य लिए की जाती है इस सिद्धान्त के अनुसार एक सेवा विभाग द्वारा कोई भूमि या भवन जिसकी उस विभाग को आवश्यकता न हो दूसरे सेवा विभाग को बिना मूल्य लिए हस्तान्तरित की जा सकती है, परन्तु ऐसे मामलों में दूसरे विभाग की सहमति आवश्यक होती है। वित्तीय अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के सिलसिले में वित्त विभाग को यह सुझाव दिया गया है कि भूमि हस्तान्तरण के मामलों में प्रशासनिक विभाग को पूर्ण अधिकार प्रतिनिहित कर दिये जायें। प्रस्ताव पर समुचित विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय प्रशासनिक विभागों के सचिवों को राज्य के एक सेवा विभाग द्वारा दूसरे सेवा विभाग को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत भूमि हस्तान्तरण करने के अधिकार प्रतिनिहित करते हैं।

1. भूमि का हस्तान्तरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमिवार मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरण किया जा रहा हों वह एक अनुमोदित परियोजना हों और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तान्तरण किया जाये, जिसना काम विशेष के लिए आवश्यक हो।
3. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं।
4. यदि भूमि वन विभाग की ''रंक्षित वन भूमि'' हो तो वह हस्तान्तरण के बाद भी ''रक्षित वन भूमि'' बनी रहेगी। ''रक्षित वन भूमि'' के हस्तान्तरण ग्रामवासियों की कोई आपत्ति न हो और हस्तान्तरित भूमि के उपयोग करने के साथ में लगी हुई वन सम्पदा को कोई हानि नहीं कराई जायेगी।
5. वन विभाग दूसरे सेवा विभाग से हस्तान्तरित ''भूमि की कोई मूल्य नहीं'' लेगा लेकिन यदि उस भूमि पर पेड़ इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो तो प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा वन विभाग को उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतान करना पड़ेगा।
6. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा, और यदि भूमि की आवश्यकता न हो तो या तीन वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा।
7. सीमा सड़क संगठन की अन्य सेवा विभागों की भांति वन भूमि सड़क निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरानत निःशुल्क हस्तान्तरित की जायेगी।
8. उत्तरांचल राज्य में स्थित अन्य सरकारी भूमि सड़क निर्माण हेतु सीमा सड़क संगठन की निःशुल्क हस्तान्तरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है, उसकी सहमति / अनापत्ति लिखित रूप में प्राप्त कर ली गई है।

2. वित्तीय नियम संग्रह बाण्ड—1 में आवश्यक संशोधित यथा समय अलग से किए जायेंगे।

(के0सी मित्र)
अपर सचिव

संख्या 260 / वित्त अनुभाग—3 / 2002 तद्दिनांक
प्रतिनिधिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त सचिव / अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल ।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र शर्मा)
अनु सचिव, वित्त।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3

संख्या–614/ /2002
देहरादून:दिनाकः 13, नवम्बर, 2002

कार्यालय ज्ञाप

राज्य के एक विभाग से दूसरे विभाग को बिना मूल्य भूमि हस्तान्तरण किये जाने के प्रकरण में उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 260/वि.अनु. 3/2002 दिनांक 25.02.2002 के क्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम्य विकास विभाग को सेवा विभाग मान्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।
2–कार्यालय ज्ञाप सं0 260/वि.अनु. 3/2002 दिनांक 15.02.2002 में निहित अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

(के.सी.मिश्र)
अपर सचिव, वित्त

संख्या– 614/वि.अनु0 3/2003 तद्दिनांक/ /2002

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3. समस्त सचिव/अपर सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
4. निजि सचिव, मा. वन मंत्री जी, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
5. निजि सचिव, मा, ग्राम्य विकास मंत्री जी, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
6. महालेखाकार, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
7. नोडल अधिकारी, वन भूमि सर्वेक्षण निदेशालय वन विभाग, देहरादून।
8. नोडल अधिकारी, पी.एम.जी.एस.वाई. उत्तरांचल शासन, देहरादून।

के.सी..मिश्र

अपर सचिव, वित्त

उत्तरांचल शासन

वन एवं पर्यावरण विभाग
संख्या–2600/वि.अनु–3/2003
देहरादून:दिनाकः 01, फरवरी, 2003

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के एक सेवा विभाग (SERVICE DEPARTMENT) द्वारा दूसरे सेवा विभाग को कोई सेवा व सम्पूर्ति वर्तमान नियमों के अनुसार बिना मूल्य लिए की जाती है इस सिद्धान्त के अनुसार एक सेवा विभाग द्वारा कोई भूमि या भवन जिसकी उस विभाग को आवश्यकता न हो, दूसरे विभाग को बिना मूल्य लिए हस्तान्तरित की सकती है। परन्तु ऐसे मामलों में वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होती है। वित्तीय अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के सिलसिले में प्रशासकीय विभाग को पूर्ण अधिकार प्रतिनिहित कर दिये जाये।

प्रदेश में पेयजल एवं जलोत्सारण सम्बन्धी जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उपयोग हेतु वन विभाग की एवं राज्य के अन्य सेवा विभागों की भूमि का निःशुल्क हस्तानान्तरण किये जाने हेतु उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान को केवल उक्त प्रयोजन हेतु सेवा विभाग घोषित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या–260/वि.अनु2/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002 में दी गयी अन्य शर्ते पूर्ववत लागू रहेगी तथा यह आदेश केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 में संशोधन यथा समय अलग से किये जायेंगे।

(के.सी.मिश्र)
अपर सचिव, वित्त

संख्या– /वि.अनु0 3/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. समस्त सचिव/अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र शर्मा)
अनु सचिव, वित्त

–1.6–

उत्तरांचल शासन
वन एवं पर्यावरण विभाग
संख्या–314/7–1–2003–26(37)/2003
देहरादूनःदिनाकः अगस्त 27, 2003

कार्यालय ज्ञाप

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में निहित प्राविधानों व भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति लिया जाना अनिवार्य है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग करने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण के औपचारिक आदेश शासन द्वारा निर्गत किये जाते है।

2– वित विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–260/वि0अनु0–3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुसार प्रदेश सरकार के एक सेवा विभाग द्वारा दूसरे सेवा विभागों को वन भूमि का हस्तान्तरण कतिपय शर्तो के अधीन निःशुल्क किया जाता है। अब शासन ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि प्रदेश सरकार के गैर सेवा विभागों को भी वन भूमि का हस्तान्तरण उपरिल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15 फरवरी, 2002 के शर्तो के अधीन ही निःशुल्क किया जायेगा। वाणिज्यिक संस्थानों व भारत सरकार के समस्त विभागों/उपक्रमों/संस्थाओं को पूर्व की भॉती वन भूमि का हस्तान्तरण जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर पर मूल्य प्राप्त करके किया जायेगा।

(डा0आर0एस0टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या–314 (1)/7–1–2003–26(37)/2003 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/3, उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव

संख्याः– 156/7.1.2005.500(826)/2002

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी, त्तरांचल।

वन एवं पर्यावरण विभाग देहरादूनः दिनांक सितम्बर 09, 2005

विषयः– वन भूमि पर दी गई लीजों के नवीनीकरण तथा नई लीजों की स्वीकृति हेतु नीति एवं वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम)/वार्षिक लीज रेन्ट का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होने से पूर्व वन विभाग द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु आरक्षित वन भूमि पर स्थाई/दीर्घकालीन एवं अस्थाई/अल्पकालीन लोजें स्वीकृत की गई थीं। दीर्घकालीन लीजें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति की जाती थी व अल्पकालीन लीजें सीानीय स्तर पर परिस्थितियों एवं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये सम्बन्धित वन संरक्षकों द्वारा स्वीकृति की जाती थीं। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होने के उपरान्त कालातीत लीजों के नवीनीकरण एवं नई लीजों की स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक है।

2. वर्ष 1979 से पूर्व अविभाजित उत्तर प्रदेश में वन भूमि पर स्वीकृत लीजों के लिए प्रत्येक वृत्त में अलग–अलग दरों से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जाता था व इस दरों में एकरूपता नहीं थी। लीज रेन्ट की दरों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–6450/14–3–930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 जारी किया गया, जिसमें उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि पर स्वीकृति की जाने वाली लीजों के समस्त मामलों में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम के बराबर धनराशि का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिये जाने का प्राविधान है। उक्त शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसाार आरम्भ में लीजधारक को वन भूमि का मूल्य व प्रत्येक 10 वर्ष में पुनः लीज रेन्ट के रूप में वन भूमि के मूल्य का भुगतान करना होता है।

3. पूर्व में चली आ रही व्यवस्था में विकास को गति देने तथा छोटे लीजधारकों को राहत पहुॅचाने के उद्देश्य से शासन द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त नई व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरानत वन भूमि पर दी गई लीजों के नवीनीकरण तथा नई लीजों की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी :–

3.1 लीजों का नवीनीकरण :

3.1.1 पेयजल, सिंचाई, गूल, घराट, पंचायत घर, रास्ता एवं स्कूल जैसे सामुदायिक एवं जनोपयोगी प्रयोजनों हेतु दी गई लीजों का नवीनीकरण प्रत्येक प्रकरण में रूपये 5.00 वार्षिक लीज रेन्ट की दार से किया जायेगा।

3.1.2 कृषि एवं बागवानी प्रयोजनों हेतु दी गई लीजों का नवीनीकरण निम्नानुसार किया जायेगाः

i. एक हेक्टेअर तकि लैण्ड होल्डिंग के लिए रू0 15.00 प्रति नाली की दर से वार्षित लीज रेन्ट लिया जायेगा।

ii. लीजधारक जिनके पास एक हेक्टेअर से अधिक वन भूमि लीज पर है, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दा का लीज अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा अर्थात

$$\text{वन भूमि का मूल्य(प्रीमियर)} = \text{जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य} \times \frac{\text{लीज अवधि}}{99}$$

3.1.3 घर, छप्पर, झोपड़ी, गोशाला प्रयोजनों हेतु दी गई दी गई लाजों का नवीनीकरण निम्नानुसार किया जायेगा :

i. लीजधारक जिनके पास एक नाली (दो सौ वर्ग मीटर) तक वन भूमि लीज पर है, उनसे वन भूमि का मूल्य न लेकर केवल रू0 20.00 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

ii. लीजधारक जिनके पास एक नाली से अधिक वन भूमि लीज पर है, उनसे जिलाधिकारी ,द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

3.1.4 व्यवसायिक प्रयोजन हेतु दी गई लीजों के नवीनीकरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का पॉच प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

3.1.5 मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला एवं कुटिया आदि प्रयोजनों के लिए दी गई लीजों का नवीनीकरण वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा निम्नानुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने किया जायेगा :

i. किसी भी धर्मग्रन्थ में वर्णित स्थल या पुरातात्विक प्रमाणों से प्रमाणित स्थल या ऐतिहासिक साक्ष्यों में प्रमाणित स्थल, जिन्हें पूजा स्थल या उस पन्थ के श्रद्धा/विशेष स्थल के रूप में चिन्हित किया जा सके, को संरक्षित एवं विकसित करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा तथा ऐसे मामलों में वन भूमि पर दी गई लीज़ों का नवीनीकरण निःशुल्क किया जायेगा।

ii. जिन लीज़धारकों द्वारा लीज़ का व्यवसायिक उपयोग (पूर्ण एवं आंशिक) किया जा रहा है, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य लोकोपयोगी मामलों में वन भूमि का मूल्य न लेकर केवल रू0. 20 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

3.1.6 भारत सरकार एवं राज्य सरकार के पर्यावरण, वन, कृषि, शिक्षा, उद्यान, मृदा एवंज ल संरक्षण, औषधीय, चिकित्सा एवं अनुसंधान से जुडे गैर वाणिज्यिक संस्थानों को वन भूमि पर दी गई लीजों का नवीनीकरण रूपया एक प्रति एकड़ वार्षिक लीज रेन्ट की दर से किया जायेगा।

3.2 नई लीजें:

3.2.1 भविष्य में सामुदायिक एवं जनोपयोगी प्रयोजनों के अतिरिक्त वन भूमि लीज पर नहीं दी जायेगी।

3.2.2 उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान की भॉति पंचायती राज संस्थाओं को वन भूमि पर प्रस्तावित पेयजल एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि निःशुल्क लीज पर दी जायेगी।

3.2.3 राज्य सरकार के उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा वन भूमि पर प्रस्तावित सड़कों एवं पैदल मार्गो के निर्माण हेतु रू 5.00 प्रति प्रकरण की दर से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

3.2.4 ग्राम पंचायतों एवं सहायता समूहों द्वारा सामुदायिक उपयोग हेतु वन भूमि पर प्रस्तावित एक मेगावाट तक क्षमता की सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु रू0 5.00 प्रति प्रकरण की दर से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

3.2.5 उपरोक्त प्रस्तर– 3.2.2, 3.2.3 व 3.2.4 को छोडकर विभिन्न विकासकर्ताओं को वन भूमि पर प्रस्तावित निम्न लीजों के लिए जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा:

i. जल विद्युत परियोजनाओं एवं विधुत पारेषण लाइन्स के निर्माण हेतु।

ii. जलाधारित उद्योगों यथा–मिनरल वाटर प्लान्ट आदि की स्थापना हेतु।

iii. वन भूमि पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विभिन्न विकासकर्ताओं को वन भूमि लीज पर दी जायेगी, जिस हेतु राज्य सरकार के पर्यटन से सम्बन्धित उपक्रमों/संस्थाओं को बरीयता दी जायेगी।

iv. राज्य में वैकल्पिक ईधन एवं उर्जा से सम्बन्धित सुविधाओं/संयात्रों की स्थापना हेतु एक एकड़ तक वन भूमि।

3.2.6 उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रयोजन, जिनके लिए उत्तरांचल शासन द्वारा वन भूमि को लीज दिया जाना उपयुक्त पाया जायेगा, उनमें शासनादेश संख्या–6450/14–3–930/77 दिनांक 2 जुलाई 1979 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

3.3 **उल्लंधन/अतिक्रमण के मामले:**

3.3.1 लीज़धारक जिनके द्वारा भू–उपयोग में परिवर्तन का वन भूमि का उपयोग लीज़ के मूल प्रयोजन से इतर कार्यो हेतु किया जा रहा है अथवा लीज़ की शर्तो का उल्लंघन किया गया है, ऐसे लीजधारकों से जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज़ अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिए जाने के अतिरिक्त, प्रीमियम का पाँच गुना धनराशि दण्ड स्वरूप ली जायेगी।

3.3.2 जिन लीज़धारकों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, ऐसे समस्त प्रकरणों में वन भूमि पर हुये अतिक्रमण को खाली कराये जाने के उपरान्त ही लीज़ नवीनीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा जायेगा।

3.2.3 लीज़ पर दी गयी ऐसी वन भूमि जिसके लीज़धारक द्वारा वन भूमि का स्वयं उपयोग न करके किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया है अथवा किन्हीं अनुबन्धों के अन्तर्गत सबलेट/हस्तान्तरित किया गया है, ऐसी लीज़ों को नवीनीकृत नहीं किया जायेगा तथा वन विभाग/राजस्व विभाग द्वारा वन भूमि को खाली करवाकर अपने कब्जे में लिया जायेगा।

3.4 विविध:

3.4.1 लीज़ नवीनीकरण के ऐसे प्रकरण, जिनमें शासनादेश संख्या–6450/14–3–930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार लीज़धारकों द्वारा वन भूमि का मूल्य एवं लीज़ रेन्ट की धनराशि जमा कराई जा चुकी है, ऐसे मामलों को पुनः निर्णीत/खोला (reopen) नहीं जोयगा।

4. शासनादेश संख्या–6450/14–3–930 दिनांक 2 जुलाई 1979 एवं शासनादेश संख्या–666/14–2–600(51)/1999 दिनांक 19 जुलाई, 1999 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें।

भवदीय,

ह0/–
(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव

संख्या:– 156/7–1–2005(826)/2002 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली।
2. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
3. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तरांचल।
4. समस्त वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल।
5. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।

संख्या–85/7(व.भू.ह.)–1–2007–700(1994)/2007

प्रेषक,

विभा पुरी दास,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मुख्य विकास अधिकारी,**
   उत्तराखण्ड।
2. **समस्त प्रभागीय वनाधिकारी,**
   उत्तराखण्ड।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग **दिनांक, देहरादून 21 सितम्बर, 2007**

विषयः वन भूमि पर प्रस्तावित पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा वन भूमि पर प्रस्तावित सामुदायिक प्रकृति एवं जनहित की पेयजल योजनाओं का निर्माण कर योजनाओं को सम्बन्धित पंचायती राज्य संस्थाओं के अधीन गठित ग्राम आधारित जल एवं स्वच्छता समितियां को संचालन हेतु स्थानान्तरित किया जा रहा है। शासनादेश संख्या 156/7–1–2005–500 (828)/2002 दिनांक 9 सितम्बर, 2005 के प्रस्तर 3.2.2 में यह व्यवस्था है कि पंचायती राज संस्थाओं को वन भूमि पर प्रस्तावित पेयजल एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि निःशुल्क लीज पर दी जायेगी।

2– गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा वन भूमि पर निर्मित पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी योजनायें, जिनका हस्तान्तरण पंचायती राज संस्थाओं के अधीन गठित ग्राम आधारित जल एवं स्वच्छता समितियों को किया जायेगा, ऐसी योजनाओं के लिए भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त वन भूमि पंचायती राज संस्थाओं के अधीन गठित समितियों को निःशुल्क लीज पर दी जायेगी।

3– वन भूमि पर हस्तान्तरण के प्रस्ताव शासन को अग्रसारित करते समय सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित संस्था के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्ताव के साथ संयुक्त रूप से इस आशय का प्रमाण–पत्र भी दिया जायेगा कि पेयजल योजना सामुदायिक प्रकृति एवं जनहित की है तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना सम्बन्धित पंचायती राज संस्था/ग्राम आधारित जल एवं स्वच्छता समिति को संचालन हेतु सौंप दी जायेगी।

भवदीय,

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य लोकोपयोगी मामलों में वन भूमि का मूल्य न लेकर केवल रू0. 20 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

3.1.6 भारत सरकार एवं राज्य सरकार के पर्यावरण, वन, कृषि, शिक्षा, उद्यान, मृदा एवंज ल संरक्षण, औषधीय, चिकित्सा एवं अनुसंधान से जुडे गैर वाणिज्यिक संस्थानों को वन भूमि पर दी गई लीजों का नवीनीकरण रूपया एक प्रति एकड़ वार्षिक लीज रेन्ट की दर से किया जायेगा।

3.2 नई लीजें:

3.2.1 भविष्य में सामुदायिक एवं जनोपयोगी प्रयोजनों के अतिरिक्त वन भूमि लीज पर नहीं दी जायेगी।

3.2.2 उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान की भॉति पंचायती राज संस्थाओं को वन भूमि पर प्रस्तावित पेयजल एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि निःशुल्क लीज पर दी जायेगी।

3.2.3 राज्य सरकार के उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा वन भूमि पर प्रस्तावित सड़कों एवं पैदल मार्गो के निर्माण हेतु रू 5.00 प्रति प्रकरण की दर से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

3.2.4 ग्राम पंचायतों एवं सहायता समूहों द्वारा सामुदायिक उपयोग हेतु वन भूमि पर प्रस्तावित एक मेगावाट तक क्षमता की सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु रू0 5.00 प्रति प्रकरण की दर से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

3.2.5 उपरोक्त प्रस्तर– 3.2.2, 3.2.3 व 3.2.4 को छोडकर विभिन्न विकासकर्ताओं को वन भूमि पर प्रस्तावित निम्न लीजों के लिए जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगाः

i. जल विद्युत परियोजनाओं एवं विधुत पारेषण लाइन्स के निर्माण हेतु।
ii. जलाधारित उद्योगों यथा–मिनरल वाटर प्लान्ट आदि की स्थापना हेतु।
iii. वन भूमि पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विभिन्न विकासकर्ताओं को वन भूमि लीज पर दी जायेगी, जिस हेतु राज्य सरकार के पर्यटन से सम्बन्धित उपक्रमों/संस्थाओं को बरीयता दी जायेगी।
iv. राज्य में वैकल्पिक ईधन एवं उर्जा से सम्बन्धित सुविधाओं/संयात्रों की स्थापना हेतु एक एकड़ तक वन भूमि।

3.2.6 उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रयोजन, जिनके लिए उत्तरांचल शासन द्वारा वन भूमि को लीज दिया जाना उपयुक्त पाया जायेगा, उनमें शासनादेश संख्या–6450/14–3–930/77 दिनांक 2 जुलाई 1979 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

3.3 उल्लंघन/अतिक्रमण के मामलेः

3.3.1 लीज़धारक जिनके द्वारा भू–उपयोग में परिवर्तन का वन भूमि का उपयोग लीज़ के मूल प्रयोजन से इतर कार्यो हेतु किया जा रहा है अथवा लीज़ की शर्तो का उल्लंघन किया गया है, ऐसे लीजधारकों से जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज़ अवधि/99 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिए जाने के अतिरिक्त, प्रीमियम का पाँच गुना धनराशि दण्ड स्वरूप ली जायेगी।

3.3.2 जिन लीज़धारकों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, ऐसे समस्त प्रकरणों में वन भूमि पर हुये अतिक्रमण को खाली कराये जाने के उपरान्त ही लीज़ नवीनीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा जायेगा।

3.2.3 लीज़ पर दी गयी ऐसी वन भूमि जिसके लीज़धारक द्वारा वन भूमि का स्वयं उपयोग न करके किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया है अथवा किन्हीं अनुबन्धों के अन्तर्गत सबलेट/हस्तान्तरित किया गया है, ऐसी लीज़ों को नवीनीकृत नहीं किया जायेगा तथा वन विभाग/राजस्व विभाग द्वारा वन भूमि को खाली करवाकर अपने कब्जे में लिया जायेगा।

3.4 विविधः

3.4.1 लीज़ नवीनीकरण के ऐसे प्रकरण, जिनमें शासनादेश संख्या–6450/14–3–930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार लीज़धारकों द्वारा वन भूमि का मूल्य एवं लीज़ रेन्ट की धनराशि जमा कराई जा चुकी है, ऐसे मामलों को पुनः निर्णीत/खोला (reopen) नहीं जोयगा।

4. शासनादेश संख्या–6450/14–3–930 दिनांक 2 जुलाई 1979 एवं शासनादेश संख्या–666/14–2–600(51)/1999 दिनांक 19 जुलाई, 1999 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें।

भवदीय,

ह0/–
(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव

संख्याः– 156/7–1–2005(826)/2002 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली।
2. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
3. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तरांचल।
4. समस्त वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल।
5. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।

ह0/–
(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव

तार
Telegram: PARYAVARAN
MEW DELHI
दूरभाष
Telegram
टेलेक्सः
Telex: W-68185 DOEIN
FAX:4360678

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS
पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स
PARYAVARAN BHAVAN, C.G.O. COMPLEX
लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
LODHI ROAD, NEW DELHI-11003
4-5-01

No. 11-9/98-FC

To,
The Secretary (Forests),
All States & Union Territories.

Sub: Guidelines for diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (Conservation) Act, 1980- that are part of National Parks and Wildlife Sanctuaries.

Sir,

I am directed to invite your attention to the guidelines circulated by this ministry vide letter of even no. dt 4.12.98 regarding submission of proposals for diversion of forest land in Sanctuaries/National parks and Tiger Reserve areas. You may be aware that subsequent to the issue of this guideline, the Hon'ble Supreme Court of India has passed two important orders relating to National Parks and Sanctuaries-one dt 13.11.00 in WP No. 337/95, where they have directed that pending further orders, no de-reservation of Sanctuaries and National Parks shall be effected. In the other order 14.2.00 in WP No, 202/95, the Hon'be Supreme Court has restrained all the States from ordering even the removal of dead, diseased, dying or wind fallen trees and grasses etc. from any National Park or Sanctuary.

2. In view of the above orders of the Supreme Court, the State Government are advised not to submit any proposal for diversion of forest land in National Parks and Sanctuaries under the Forest (Conservation) Act, 1980 without seeking prior permission of the Supreme Court. The earlier guideline issued by the Ministry may be considered modified to this extent.

(AN PRASAD)
Deputy Inspector General of Forests

Coppy to :-

1. PCCFs/Chief Wildlife Wardens. Nodal Officers of all States & Union Territories.
2. Regional CCFs (Central) and CF (Central) for information and necessary action.

(AN PRASAD)
Deputy Inspector General of Forests

F.No. 11-48/2002-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forest
(Forest Conservation Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110 003
Dated: 29.04.2005

To,

The Principal Secretary (Forests),
(All State/ UT Governments excepts J&K)

Sub: Guidelines under Forest (Conservation) Act, 1980 for up-gradation of kutcha roads constructed prior to 1980 in forest areas, to Pucca roads.

Sir,

I continuation of this Ministry's letter of even number dated 14.09-2004 regarding guidelines for repair and maintenance of roads constructed on forest lands prior to 1980, and with reference to the above- mentioned subject, I am directed to convey the approval of the Central Government to the following guidelines, meant for up-gradation of 'kutcha roads constructed prior to 1980 in forest areas, to Pucca roads':

1. The up-gradation of roads constructed in forest areas prior to 1980 from 'Kutcha to Pucca' is allowed to the extent that these roads are not black topped/tarred, and if during the process of up-gradation, these roads need to be black topped/tarred, prior environmental clearance shall be sought by the user agency in this regard.
2. For such up-gradation in protected areas like National Park/Sanctuaries, prior permission of National Board of Wildlife and the Supreme Court shall be taken by the State/UT Government.
3. Fire of melting of coal tar and mixing, shall be lit at a safe distance from the trees/vegetation, which shall be decided by the concerned Divisional Forest Officer. For such Constructions, it is better to avoid dry/hot windy seasons. For this purpose, fuel wood shall be purchased by the implementing agency in advance from the depot of State Forest Development Corporation.
4. No crushing/breaking of stones shall be allowed inside forest areas. Readymade materials shall be used for up-gradation of such roads.
5. Both sides of the upgraded roads shall be reinforced with brick/stone works, and vegetative measures to check soil erosion, at the project cost, in consultation with the Divisional Forest Officer.
6. No tree felling shall be allowed.
7. No widening of roads shall be undertaken without prior permission of the Central Government under Forest (Conservation) Act, 1980.
8. No breaking of fresh forest land shall be carried out.
9. Plantation activities, if the concerned Divisional Forest Officer finds it necessary, shall be taken up along the road at the project cost immediately. The plantation shall be maintained at the project cost.
10. No labour camp shall be established on the forest lands.
11. No work shall be allowed after sunset.
12. Any other condition that the Divisional Forest Officer may impose form time to time for the protection and improvement of flora and fauna in the forest shall be applicable.
13. Any damage to forest area due to such up-gradation works shall be compensated by the implementing agency from the project cost. The exterior damage shall be assessed by the concerned Divisional Forest Officer.
14. State Forest Department shall establish permanent check posts on strategic locations for such roads which already up-graded/under up-gradation.

Yours faithfully

Sd/-
(Anurag Bajpai)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to :-

1. Secretary, Ministry of Home Affairs, GoI, New Delhi.
2. Secretary, Ministry of Rural Development, GoI, New Delhi.

F. No. 5-1/2007-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(Forest Conservation Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi_110 003,
Dated: 28.12.2007.

To

The Principal Secretary (Forests),
Governments of Chhattisgarh,
Raipur.

Sub: Clarification regarding consideration of areas under Zudpi Jungle/Chote Bade Jhad ka Jungle, etc. and Non-availability of non-forest land for the purpose of Compensatory Afforestation.

Sir,

I am directed to invite your kind attention to this Ministry's letter of even number dated 18.07.2007 and convey the approval of the competent authority to make the item no. 1 of the letter dated 18.07.2007 inoperative. All other items of the letter will remain in force.

In addition to the above, the clarification given under guideline 3.2 (i) of the Hand Book of Forest Conservation Act, 1980- Guidelines and Clarifications, may be read as below.

"*As a matter of Pragmatism, the revenue land, zudpi jungle, chhote/Bade Jhar ka jungle / Jungle Jhari, civil soyam lands and all other such categories of lands, on which the provision of forest (conservation) Act, 1980 are applicable, could be considered for the purpose compensatory afforestation provided such land on which compensatory afforestation is proposed shall be notified as RF under Indian Forest Act, 1927.* ***However, as far as possible efforts should be made to carry out compensatory afforestation only on non-forest land"***

Yours Faithfully

Sd/-
(C.D. Singh)
Assistant Inspector General of Forest

Copy to:-

1. Principal Chief Conservator of Forests, all States/UT Governments except Jammu and Kashmir.
2. The Principal Chief Conservator of Forest, All States/UTs
3. The Nodal Officer (FC), O/o the PCCFs, All States/UTs.
4. All the Regional Offices of MoEF (Bhopal, Shillong, Bangalore, Bhubaneshwar, Lucknow, Chandigarh).
5. The R.O. (HQ), Ministry of Environment & Forests, New Delhi.
6. Monitoring Cell, FC Division, MoEF, New Delhi.
7. Guard File.

Sd/-
(C.D. Singh)
Assistant Inspector General of Forests

F.No.5-3/2007-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(Forest Conservation Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110510,
Dated: 05.02. 2009

To

The Principal Secretary (Forests),
All State/Union Territory Governments

Sub: Guidelines for diversion of forest land for non-forestry purposes under the Forest (conservation) Act, 1980-Guideline for collection of Net Present Value (NPV).

Sir,

The Ministry of Environment and Forests, Government of India has been receiving representations from different State seeking detailed clarification and guidelines on the above mentioned subject in the light of the Supreme Court Judgment dated 28.03.2008 revising the general rates of NPV and various other orders defining differential rates for various categories of projects.

After careful examination of the issue, I am directed to inform that the Hon,ble Supreme Court of India vide its judgment dated 28.03.2008, has re-fixed the rates of Net Present Value(NPV) on the basis of scientific data taking in view the ecological role and value of the forests. The 16 major forest types have been re-grouped into 6 ecological classes depending upon their ecological functions.

Eco-Class I	Consisting of Tropical Wet Evergreen Forests, Tropical Semi Evergreen Forests and Tropical Moist Deciduous Forests.
Eco-Class II	Consisting of Littoral and Swamp Forests.
Eco-class III	Consisting of Tropical Dry Deciduous Forests.
Eco-Class IV	Consisting of Tropical Thorn Forest and Tropical Dry Evergreen Forests
Eco-Class V	Consisting of Sub-tropical Broad Leaved Hill Forests, Sub-Tropical Pine forests and Sub Tropical Dry Evergreen Forests.
Eco-Class VII	Consisting of Montana wet Temperate Forests, Himalayan Moist Temperate Forests, Himalayan Dry Temperate Forests, Sub Alpine Forest Moist Alpine Scrub and Dry Alpine Scrub.

Based on the ecological importance of forest falling in different eco-value and canopy density classes, relative weight age factors have also been taken into consideration. By using these relative weight age factors, the equalized forest area in eco-value class I and very dense forest corresponding to forest falling in different eco-value and density classes have been complied. The net present value per hectare of forest has been fixed based on this data. For calculating the average net percent value per hectare of forest in India. The following monetary value of goods and services provided by the forest has been considered:-

i. Value of timber and fuel wood.
ii. Value of Non Timber Forest Products (NTFP)
iii. Value of folder.
iv. Value of Eco-tourism.
v. Value of bio-prospecting.
vi. Value of Ecological Services of forest
vii. Value of Flagship species.
viii. Carbon Sequestration Value.

Based on the above, the NPV was fixed and the following recommendations have been made by the Hon'ble Supreme Court of India:-

(i) For non-forestry use/diversion of forest land, the NPV may be directed to be deposited in the Compensatory Afforestation Fund as per the rates given below :-

(ii)

Eco-Value	Class and NPV rates in Rs.					
	Class I	**Class II**	**Class III**	**Class IV**	**Class V**	**Class VI**
Very Dense Forest	10,43.00	10,43.00	8,87.00	6,26.00	9,39.00	9,91.00
Dense Forest	9,39.00	9,39.00	8,03.00	5,36.00	8,45.00	8,97.00
Open Forest	7,30.00	7,30.000	6,36.00	4,38.00	6,57.00	6,99.00

N.B. The NPV rate fixed would hold good for a period of three years and is subject to variation after three years as per the Supreme Court's judgment dated 28.03.2008.

(iii) The use of forest land falling in National Parks/Wildlife Sanctuaries will be permissible only in totally unavoidable circumstances for public interest projects and after obtaining permission from the Hon'ble court. Such permission may be considered on payment of an amount equal to ten times in the case of National parks and five times in the case of Sanctuaries respectively of the NPV payable for such areas. The use of non-forest land falling within the National Parks and Wildlife Sanctuaries may be permitted on payment of an amount equal to the NPV payable for the Adjoining forest area. In respect of non-forest land falling within marine National Parks/Wildlife Sanctuaries. The amount may be fixed at five times the NPV payable for the adjoining forest area ;

The Hon'ble Supreme Court of India vide its order dated 24.04.2008 and 09.05.2008 has also exempted certain category of projects as per the details given below:

Sl. No.	**List of Activities/Projects**	**Exemption Levels for NPV (as percentage of full chargeable NPV)**	**Remarks**
1.	**(i)** Schools **(ii)** Hospitals **(iv)** Children's play ground of non-commercial nature **(v)** Community centers in rural areas **(vi)** Over-head tanks **(vii)** Village tanks **(viii)** Laying of underground drinking water pipeline up to 4" diameter and **(ix)** Electricity distribution line upto 22 KV in rural areas.	Full exemption up to 1.00 ha of forest land provided. **(a)** No felling of trees is involved: **(b)** Alternate forest land is not available: **(c)** The project is of non-commercial nature and is part of the plan/Non-Plan Scheme of Government and **(d)** The area is outside National Park/Sanctuaries	As per Hon'ble court Order date 09.05.2008 regarding correction of the judgment dated 28.03.2008

2.	Relocation of Villages from the National Parks/Sanctuaries to alternate forest land	Full exemption	-do-
3.	Collection of boulders/silts from the rivers belts in the forest area	Full exemption Provided :- (a) area is outside National Park/Sanctuaries : (b) no mining lease is approved/signed in respect of this area; (c) the works including the sale of boulders/silt are carried out departmentally or through Government undertaking or through the Economic Development Committee or Joint Forest Management Committee: (d) The activity is necessary for conservation and protection of forest Management Committee; (e) The Sale proceeds are used for protection/conservation of forests	-do-
4.	Laying of underground optical fiber cable	Full exemption provided: (a) No felling of trees is involved; and (b) Areas falls outside National Park/Sanctuaries	-do-
5.	Pre-1980 regularisation of encroachments and conversion of forest villages into revenue villages	Full exemption provided these are strictly in accordance with MoEF's Guidelines dated 18.09.1990	-do-
6	Underground mining	50% of the NPV of the entire area.	-do-
7	Field Firing Range	Full Exemption Provided: (a)no felling of trees are involved: and (b) no likelihood of destruction of forest is involved	-do-
8	Wind Energy Projects	50% of the minimum rate of the NPV	-do- And

			irrespective of the Eco-class in which the project lie provided minimum tree felling is involving.	CEC clarification dated 22.12.2008

In Case of any other category seeking exemption from payment of NPV, the State Government/user agency may approach Hon'ble Supreme court of India as per its order dated 24.04.2008 & 09.05.2008

Sd/- **(C.D. Singh)**
Sr.Assistance Inspector Genral of Forests

–2.5–

F. No.11-267/20014-FC
Government of India
Ministry of Environment & Rorests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Comples, Lodhi Road,
New Delhi-110510,
Dated: 19th August, 2010

To,

The Principal Secretary (Forests),
All States/UTs.

Sub: Guidelines for diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (Conservation) Act, 1980-clarification regarding forest areas outside National Park/sanctuary but within 10 km radius from the boundary-reg.

Sir,

The Ministry has been receiving representation from various project proponents and State Govermment Seeking directions/clarifications regarding rules and regulations to be followed for prior approval under section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 to forest areas outside National Park/sanctuary but within 10 km radius from thir boundary.

The matter has been examined in the Ministry in the of Hon' ble Supreme Court order dated 4th Dec, 2006 in I.A. No 469 of 2004, inter-alia, directing that all cases where environmental clearance (EC) under EIA Notification, 2006 has been given by the Ministry be put up to the Standing Committee of National Board of Wildlife. Accdordingly, the environmental clearances to the projects coming within 10 km from the boundary are being granted with the condition to obtain recommendation of the Standing Committee of National Board of Wildlife as one of the stipulations.

I am further directed to inform that in case of those project, which require environmental clearance under EIA Notification, 2006 and also involve diversion of forest land for non-forest pruposes falling within 10 km of National Park/Sanctuary will have to be placed before the Standing Committee of the National Board of Wild Life as per this Ministries Office memorandom no. J-11013/412006IA.II(I) dated 02.12.2009 (copy enclosed).

Iri view of the above, I am directed to inform that the decision of the Central Government for prior approval under section 2 of the Forest (Conservation) Act. 1980 will beconveryed to the State/UT Governments with the stipulation that the EIA for the case, wherever required, be placed before the Standing Committee of the NBWl.

Your faithfull,

(C.D. Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservation of Forests, All States/UTs.

2. The Chief Wildlife Wardens, All States/UTs.
3. The Nodal Officer (FCA), O/o the PCCFs, All States/UTs.
4. All Regional Offices of this Ministry/RO (HQ), MoEF, New Delhi.

(C.D. Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

–2.6–

F.No.11-9/98-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(Forest Conservation Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi_110510,
Dated: 8th july, 2011

To

The Principal Secretary (Forests),
All State/Union Territory Governments except Jammu and Kashmir.

Sub: Submission of Geo-referenced digital data for application under the Forest (conservation) Act, 1980.

Sir,

I am directed to say that to ensure accurate delineation of the forest area proposed to be diverted, in future all applications seeks prior approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for non-forest purpose must be accompanied with Geo-referenced boundary in shape file, The application should also contain a digital map along with a hard copy duly authenticated by competent authority in the State Government of forest land proposed for diversion prepared by using total Station or differential GPS. In case the applicant desires, the above digital mapping of the area should be done by the respective State Forest Department by realizing appropriate cost from the user agency.

Yours Faithfully

Sd/-
(H.C. Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. Principal Chief Conservator of Forests, all States/UT Governments except Jammu and Kashmir.
2. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, all state/UT Governments except Jammu and Kashmir.
3. All Regional Offices, Ministry of Environment and Forests.
4. All Assistant Inspector General of Forests in the Forest Conservation Division, MoEF.
5. Dy. Secretary, R.O. (HQ), Ministry of Environment & Forests, New Delhi.
6. Guard File.

Sd/-
(H.C. Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

–2.7–

F.No. 8-44/2011-FC (pt)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110 510
Dated: 24.01.2012

To,

The Principal Secretary (Forests),
All State/ Union Territories.

Sub: Guidelines for Maximum allowable width of Right of way for transmission lines in forest area.

Sir,

I am directed to invite your attention to the guidelines for laying transmission lines through forest area with respect to the width of Right of Way (RoW) for various transmission voltages to determine the area of forest land for diversion under Forest (Conservation Act, 1980. The matter has been re-examined in the Ministry and keeping in view the recent technological developments and consequent design and configuration of towers which require lesser width of RoW. This Ministry, in consultation with the Central Electricity Authority, has decided to revise the maximum width of ROW for Various Voltage levels, as given below :

Sl.No.	Transmission Voltage (kV)	Width of Right of Way (Meter)
1.	400 kV S/C	52
2.	400 kV D/C	46
3.	765 kV S/C (with delta configuration)	64
4.	765 kV D/C	67
5.	± 800 kV HVDC	69
6.	1200 kV AC	89

Revised width of ROW, as given above, will be implemented with immediate effect in all the States and Union Territories. The existing guidelines in the regard stand modified to that extent.

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Sd/-
(Shiv Pal Singh)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to :-

1. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UTs.
2. The Chief Wildlife Wardens, All States/UTs.
3. The Nodal Officer (FCA), O/o the PCCFs, All States/UTs.
4. All Regional Offices of MoEF located at Bhopal, Shillong, Banglore, Bhubaneswar, Lucknow and Chandigarh.
5. Central Electricity Authority, R.K. Puram, New Delhi.
6. The RO (HQ), MoEF, New Delhi.
7. Technical Director, NIC, MoEF with a request to kindly upload in appropriate section of the Ministry's website.
8. Monitoring Cell, FC Division, MoEF, New Delhi.
9. Gaurd File.

Sd/-
(Shiv Pal Singh)
Assistant Inspector General of Forests

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS
REGIONAL OFFICE (CENTRAL REGION)

5th Floor Kendriya Bhawan,
Sector "H", Aliganj,
Lucknow- 226024
Phone & Fax: 0522-2326696
Dated: 09.03.2012
F.No. II/Misc/618/2010/1486

To

The Chief Secretary,
Government of Uttarakhand,
Secretariat,
Dehradun.

Sub: Change in the legal status of land recorded as Civil Soyam as Protected Forest – applicability FC Act, 1980.

Ref: Government of Uttarakhand Notification N.867X-3-2011-8(21)/2010 dated 28th September, 2011.

Sir,

This is with reference to the above referred Notification issued by Government of Uttarakhand rescinding thereby the Notification No. 869F/638 dated 17.10.1893 issued under Section 28 of the Indian Forest Act 1878. In this regard your kind attention is drawn to the Ministry of Environment & Forest guidelines issued vide No. 11-28/2005-FC according to which the term forest land mentioned in Section 2 of the FC Act, 1980 referred to Reserved Forest, protected forest or in other area recorded as forest in the Government record. As Such the legal status of any land recorded as forest in the revenue record can not be changed without prior approval of Central Government as the provision of FC Act, 1980. Also the Hon,ble Supreme court in its order dated 12.12.96 in PIL 202/1995 has also clarified that the provision made in FC Act applied to all forests irrespective of the nature of the ownership or classification thereof. The Civil Soyam land in Uttarakhand had been recorded as Protected Forest as per the Notification No. 869F/638 dated 13.10.1893. The status of Civil Soyam land as Protected Forest was further clarified by the then Principal Secretary, Department of Forests, Government of U.P vide letter No. 1566/15-2-96-800(11)1997 dated 17.03.1997 and it has reiterated that provision of FC Act would be applicable on the Civil Soyam land having status of Protected Forest.

You are therefore requested to look into the Notification issued by the Government of uttarakhand vide No. 876X-3-2011-8(21)/2010 dated 28.09.2011 in view of above mentioned clarification and direction issued. The Civil Soyam land as per the Clarification given by the Ministry and order of Hon,ble Supreme Court will continue to have status of Protected Forest on which the FC Act shall be applicable. You are request that the notification issued by the Uttarakhand Government as referred above may please be withdrawn and to ensure that FC Act is not violated.

Yours Faithful
Sd/-
(Azam Zaidi)
Addl Principal Chief conservator of Forests(C)

F.No.11-63/2012-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(Forest Conservation Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110510.
Dated: 7th January, 2013

To

The Principal Secretary (Forests),
All State/Union Territory Governments

Sub: Guidelines for diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (conservation) Act, 1980-modification in para 4.4 and 2.2 (iii) thereof.

Sir,

I am directed to say that the Central Government has received representation from various Ministries and user agencies to relax para 4.4 and para 2.2 (iii) of the guidelines issued under the Forest (Conservation) Act, 1980 in respect of linear projects involving use of forest land falling in a portion of their length in several Forest Divisions/States.

The issue has been examined in its entirety in considerable depth by this Ministry and after careful considerations; this Ministry hereby takes the following decision:

1. The following shall be added in para 4.4 of the guidelines for diversion of forest land for non-forest purposes under Forest (conservation) Act, 1980:

In the case of linear projects involving use of forest land falling in a portion of their length, pending consideration of approval under the Act, work on onon0-forest land may only be executed upto such point (to be selected by the user agency) on either side of forest land if it is explicitly certified by the user agency that in case approval under the Act for diversion of forest land s declined, it is technically feasible to execute the project along an alternate alignment without involving diversion of forest land, Details of all such stretches along with alternate alignments identified to bypass the forest land should be explicitly provided in the proposal seeking approval under the Act. It is specifically clarified in terms of the Lafarge Judgment that commencement of work on non forest land will not confer any right on the user agency with regard to grant of approval under the Act.

The project involving widening/up gradation of existing roads will only be allowed to be executed on the entire stretch located in non-forest land, provided the user agency agency submits an undertaking that execution of work on non-forest land shall not be cited as a reason for grant of approval under the Act and in case approval under the Act for diversion of forest land is declined, width of the portion of road falling in the forest land will be maintained at its existing level. This will also be incorporated as specific condition of the Environment Clearance. This clarification will not apply to the roads falling in protected Areas and the eco-sensitive zones around Protected Areas.

2. Similarly, para 2.2 (iii) of the said guidelines shall read as below:

The proposals for linear projects such as roads, railway line, transmission lines etc. may be processed in their entirely. However, to facilitate phased preparation and processing, the proposals seeking prior approval of the Central Government under the Act for such projects may be prepared forest Division/State-wise starting form one end from which work on the project is proposed to be initiated. However, a map indicating alignment of the entire project, highlighting the portions passing through forest land, along with a write up on salient features of the entire project and details of approvals already obtained and/ so sought under the Act for other sections of the project, if any shall be provided in each of such proposals. Wherever the project passes through the forest land, the user agency shall indicate an alternate alignment which may be used if approval under the Act is declined. This will be a specific condition of Environment Clearance to the project.

Provided further that to prevent occurrence of fait accompli situations, proposals prepared forest Division/State-wise shall be considered only if it is certified by the user agency that in case approval under the Act for diversion of forest land required for the remaining portions/stretches falling in other forest Division/states is declined, it is technically feasible to execute the project along an alternate alignment without

involving diversion of forest land. Details of alignment identified to bypass the forest land in these stretches should explicitly be provided in the proposed seeking approval under the Act.

In case of proposals involving widening/up gradation of existing roads, it shall be certified by the user agency that grant of approval under the Act to the extant proposal shall not be cited as a reason for grant of approval under the Act for diversion of forest land required for other stretches of the project and in case approval under the Act for diversion of forest land is declined, width of the portion of the road falling in the forest land will be maintained at its existing level. This will be a specific condition in the Environment Clearance to be according to the project, and this clarification will not apply to roads located within the protected Area and eco-sensitive zone around the Protected Area where impacts upto wildlife have also to be considered.

This issues with approval of the Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Environment and Forests.

Yours Faithfully
Sd/-
(H.C. Chaudhary)
Principal Chief conservator of Forests

F.No. 11-168/2009-FC (pt)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110 510
Dated: 14.02.2013

To,

The Principal Secretary (Forests),
(All State/ UT Governments excepts J&K)

Sub: Guidelines for Diversion of forest land for non-forest purpose under the Forest (Conservation) Act, 1980- Period of maintenance of compensatory afforestation.

Sir,

I am directed to say that a Group of Minister constituted by the Cabinet Secretariat vide their O.M No. 121/4/3/2010- Cab. Dated 03.02.2011 to consider the environment and development issues relating to coal mining and other development projects in its fifth meeting held under the chairmanship of the Hon'ble Finance Minister on 20th September 2011 inter-alia accepted the recommendation made by a committee constituted under the chairmanship of Shri B.K. Chaturvedi, Member, Planning Commission that the period of maintenance of afforestation may be increased form the existing 5 years to 7-10 years to ensure the maintenance of Forest cover improves.

Accordingly, I am directed to say that the said decision of the GOM may kindly to kept in view while formulating proposals for creation and maintenance of Compensatory afforestation in lieu of the forest land diverted for non-forest purposes.

Yours faithfully

Sd/-
(H.C. Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

F.No. 11-477/2013-FC
Government of India
Ministry of Environment & Forests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110003
Dated: 9th December, 2013

To,

The Principal Secretary (Forests)
Forest and Revenue Department,
Government of Uttarakhand,
Dehradun.

Sub: Grant of approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for construction and upgradation Border roads by the Border Roads Organization-reg.

Sir,

I am directed to say that in a meeting held to review the status of grant proposals seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980 (FC Act) for construction and upgradation of border roads project of the Border Road Organization (BRO) it was informed that grant of final approval under the FFC act for diversion of forest land for eight projects of the BRO are pending due to delay in transfer and mutation in favour of the state forest Department the civil soyam land identified for creation of compensatory afforestation in lieu of the said forest land.

After examination of the matter the following has been observed:

(i) As per existing guidelines, in lieu of forest land diverted in favour of BRO for construction of new roads or widening of existing roads, compensatory afforestation needs to be raised over degraded forest land equal in extent of such forest land.

(ii) Compensator afforestation, in lieu of forest land diverted in favor of the BRO of any other user agency, including the private persons/ organizations, as per the existing guidelines may be raised over civil Soyam land equal in extent to the forest land to be diverted, provided such civil soyam land in transferred and mutated in favour of the State Forest Department and notified as reserved Forest.

Accordingly, I am directed to say that to ensure expeditious grant of final approval under the FC act for diversion of forest land for construction of up gradation of border roads by the BRO, Compensatory afforestation in lieu of forest land diverted in favour of BRO may be raised over degraded forest land located in Reserved Forests and such other forest land which are already under administrative control of the State Forest Department.

Yours faithfully

(H.C. Chudhary)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-
1. The Secretary, Ministry of Defence, Government of India.
2. Director General, Border Roads organization, New Delhi.
3. The Principal Chief Conservator of Forests, Uttarakhand, Dehradun.
4. The Nodal Officer, O/o the PCCF, Uttarakhand, Dehradun .
5. The Addl. Principal Chief Consevator of Forests (Central), Regional Office (Central zone,) Lucknow.
6. All Directors/ AIGFS in Forest Conservation Division, MoEF.
7. Monitoring Cell, FC Division, MoEF.
8. Guard file.

(H.C. Chudhary)
Assistant Inspector General of Forests

F. No. 11-9/ 98-FC (Pt.)
Government of India
Ministry of Environment & Forest
(FC Division)

Paryavaran Bhawan
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110510
Dated: 5th July 2013

To,

The Principal Secretary (Forests)
All State/ Union Territory Governments

Sub: Diversion of Forest land for non-forest purposes under the forest (Conservation) Act. 1980- Ensuring compliance of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006

Sir,

I am Directed to refer to this Ministry's letters No. 11-9/1998-FC. (Pt) Dated 03.08.2009 and to clarify that to ensure compliance with the above letter in its letter and spirit, in case of proposals from States/ UTs Where the process for settlement of Rights under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 has been initiated, Stage-I approval under the forest (Conservation) Act, 1980 will be considered by this Ministry only after receipt of documentary evidences, as stipulated in this Ministry's said letter, of having initiated and completed the above process. Similarly, in case of the proposals from States/ UTs where the process for settlement of rights under FRA has not been initiated, grant of Stage-I approval under the forest (Conservation) Act, 1980 to the proposal will be considered only if a certificate from a competent authority in the State/UT Government concerned, Clearly Stating that process for settlement of rights under the afore-mentioned Act has not been initiated along with evidences supporting that settlement of right under FRA 2006 will be initiated and completed before the final approval, is enclosed with the proposal. submission of the above evidence/certificates will be part of the check-list to assess completeness of the proposals seeking prior approval of Central Government under the afore-mentioned Act.

Yours faithfully

(H.C. Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

F. No. 11-9/ 98-FC (Pt.)
Government of India
Ministry of Environment & Forest
(FC Division)

Paryavaran Bhawan
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110510.
Dated: 20th December, 2013

To,

The Principal Secretary (Forests),
All State/ Union Territory Governments Except Jammu and Kashmir.

Sub: Diversion of Forest land for non-forest purposes under the forest (Conservation) Act. 1980- Ensuring compliance of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006

Sir,

I am Directed to refer to this Ministry's letters No. 11-9/1998-FC. (Pt) Dated 03.08.2009 and to clarify that to ensure compliance with the above letter in its letter and spirit, in case of proposals from States/ UTs Where the process for settlement of Rights under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 has been initiated, Stage-I approval under the forest (Conservation) Act, 1980 will be considered by this Ministry only after receipt of documentary evidences, as stipulated in this Ministry's said letter, of having initiated and completed the above process. Similarly, in case of the proposals from States/ UTs where the process for settlement of rights under FRA has not been initiated, grant of Stage-I approval under the forest (Conservation) Act, 1980 to the proposal will be considered only if a certificate from a competent authority in the State/UT Government concerned, Clearly Stating that process for settlement of rights under the afore-mentioned Act has not been initiated along with evidences supporting that settlement of right under FRA 2006 will be initiated and completed before the final approval, is enclosed with the proposal. submission of the above evidence/certificates will be part of the check-list to assess completeness of the proposals seeking prior approval of Central Government under the afore-mentioned Act.

Yours faithfully

(H.C. Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

F.No. 11-306/2014-FC
Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110003
Dated: 13th February , 2014

To,

The Principal Secretary (Forests)
All State / Union Territory Governments.

Sub: Guidelines for diversion of forest land for non-forest purpose under the forest (Conservation) Act, 1980- General approval under Section-2 of Forest (Conservation) Act, 1980.

Sir,

I am directed to say that to facilitate creation of certain critical developmental and security related infrastructure, this Ministry vide letter of even number dated 3rd January 2005 accorded general approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of not more than 1.00 hectares of forest land in each case for 11 categories of public utility and security related infrastructure projects. The said general approval was valid for initial period of two years ending 31.12.2006.

On receipt of requests from various States/ Union Territories and Ministries in the Central Government, this Ministry vide letter of even number dated 24th September 2007 extended the said general approval up to 31st December 2008 or until the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forests Rights) Act, 2006 is brought into force, whichever is earlier. This Ministry vide letter of even number dated 11th September 2009 extended the said general approval for a further period of five years i.e. upto 31st December 2013.

This Ministry has received representations to extend the validity period of the said general approval. Representations have also been received by this Ministry to extend the said general approval to certain other activities.

Accordingly, I am directed to say that after careful consideration of the matter, the Central Government has agrred to accord general approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of not more than one hectare of forest land, in each case, for creation of critical development and security related infrastructure of following categories by Government Departments:.....

1. Schools;
2. Dispensaries/ Hospitals;
3. Electric and telecommunication lines;
4. Drinking water projects;
5. Water/rainwater harvesting structures;
6. Minor irrigation canals;
7. Non-conventional sources of energy;
8. Skill up-gradation/ vocational training centres;
9. Power sub-station;
10. communication posts;
11. construction/ widening of roads including approach roads to road side establishments;
12. Upgradation/ strengthening/ widening of existing bridges by the Border Roads Organization (BRO); and
13. Police establishments like police stations/ outposts/ border outposts / watch towers, in sensitive areas identified by the Ministry of Home Affairs.

The general approval shall be subject to fulfillment of following conditions;

i. The forest land to be diverted for above-mentioned specified activities should be less than one hectare in each case.

ii. The clearance of such developmental projects shall be subject to the condition that the same is need based.

iii. The legal status of the land shall remain unchanged i.e shall remain reserved/Protected/ Village/ Unclassed/ Other types of forests/ forest as the case may be.

iv. The user agency shall submit the project proposal to the state/ UT Government in the prescribed i.e. Form-A as provided in Rules-6 of the Forest (Conservation) Rules, 2003.

v. The project should not_ Involve felling of more that fifty trees per hectare Corresponding permissible limit of maximum number of trees to be felled for the forest area diverted, shall be in proportion to the extent of the diverted area.

vi. The project site should be outside National parks or wildlife Sanctuaries or Protected Areas

vii. the concerned Divisional forest Officer shall assess the bare minimum requirement of the forest land for the project, which shall not exceed one hectare in each case and will also certify to this effect.

viii. The user agency will seek permission for diversion of forest land duly recommended by Principal Chief Conservator of forests, from the State/UT Government.

ix. The Nodal Officer (Forest Conservation) Shall submit monthly report to the concerned Regional Office by 5th of every month regularly regarding approval of such cases. In the event of Failure, the exercise of power by the State/UT Government to grant such permission may be suspended by the Central Government for a specified period of time or till the information is submitted.

x. The User Agency shall plant and maintain two time the number of trees felled on the diverted land to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose will be identified by the State forest Department (Preferably within or in the surrounding area of the project). Only Indigenous forest tree species shall be used for such plantations. Trees, if planted on the diverted area, will not be felled without the permission of the State Forest Department, Trees planted in surrounding area, will belong to State Department.

xi. The User Agency shall be responsible for any loss to the flora/ fauna in the surroundings and therefore, shall take all possible measures to conserve the same.

xii. the User Agency shall pay the Net present Value (NPV) of the diverted forest land at the rates stipulated by the Ministry of Environment and Forests from time to time.

xiii. In case of roads, this general approval shall be applicable only if the requirement of forest land for construction/ widening of the entire stretch of the road is not more than one hectare. additional diversion of forest land for extension/ strengthening of such roads shall not be permitted within next five years.

xiv. The permission granted by the state Government shall be subject to the monitoring by the concerned Regional office of the Ministry of Environment and Forests.

xv. the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal. any change in the land use without prior permission of the central government shall amount to the violation of forest (Conservation) Act, 1980 Request of such changes shall be made to the regional office by the Nodal Officer (Forest Conservation) of the state/UT.

xvi. Entire process for settlement of rights in. accordance with the provisions of the scheduled tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 Shall be completed before grant of approval for diversion of Such forest land:

xvii. Except for linear projects, consent of gram sabha shall be obtained for diversion of the forest land;

xviii. project shall not affect recognised rights of the primitive tribal communities and pre-agricultural communities; and

xix. The State Forest Department/ State government or the concerned Regional office, may impose from time to time any other condition in the interest of conservation, protection and/ or development forests.

This general approval under the forest (conservation) Act 1980 is valid for a period of five years ending 31.12.2018 and will subject to review thereafter.

Yours Faithfully
Sd/-
(H.C. Chudhary)
Assistant Inspector General of Forests

F.No. 11-298/2 002-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forest
(Forest Conservation Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110 003
Dated: 23.06.2014

To,

The Principal Secretary (Forests),
Government of Uttarakhand,
Dehradun.

Sub: General approval under section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for restoration/reconstruction including realignment of roads damaged in the recent floods and construction of helipads and ropeways in flood affected areas in Uttarakhand.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 24th July 2014 on the above-mentioned subject wherein this Ministry keeping in view the urgent necessity to restore and strengthen the communication network in flood affected districts in Uttrarakhand accorded general approval under section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for a period of one year for diversion of forest land, not more than one hectare in each case, for restoration/ reconstruction including realignment, by the Government Departments, of roads/bridges damaged in the floods and construction of helipads and ropeways in flood affected areas in Uttarakhand subject to fulfilment of conditions stipulated in the said letter.

This Ministry has received requests to extend the said general for a further period and also extend the same to diversion of forest land up to 5 ha. of forest land in each case, for restoration/reconstruction including realignment, by the Government Departments, of roads/bridges damaged in flood affected districts in Uttarakhand.

Accordingly after detailed examination of the matter, the Central Government, hereby accords general approval under section 2 of the Forest (Conservation0 Act, 1980 for a period of one year with effect from 24th July 2014 for diversion of forest land, not more than five ha. in each case for restoration/reconstruction including realignment by the Government Departments, of roads/bridges damaged in the recent floods and, and diversion of forest land not more than one hectare in each case for construction of helipads and ropeways in flood affected areas in Uttarakhand, subject to fulfilment of the following conditions:

i. General approval shall be applicable for restoration/reconstruction including realignment of the existing roads/bridges damaged by the recent flood and construction of helipads and ropeways only. Use of forest land for construction of new roads will be governed by the existing provisions;
ii. User agencies shall explore all feasible alternatives to minimize use of forest land for restoration/reconstruction including realignment of roads/ropeways. Additional forest land to be used for restoration/reconstruction including realignment of existing roads/bridges and construction of new helipads and ropeways shall be restricted to the bare minimum and shall be used only when it is unavoidable. The concerned Divisional Forest Officer shall certify to this effect.
iii. Additional forest land utilized for restoration/reconstruction including realignment of a stretch of road/bridge shall not be more than 5.00 ha. Similarly, forest land utilised for construction of helipads and ropeways shall not be more than 1.00 ha.
iv. Revised alignment of each stretch of the road/bridge and location of each helipad and ropeway shall be jointly finalized by the representative of the User Agency and the State Forest Departemnt;
v. Legal status of the forest land shall remain unchanged;
vi. The User Agency shall submit the project proposal to the State/UT Government in the prescribed i.e. Form-A as provided in rules-6 of the forest (Conservation) Rules, 2003;
vii. State Government shall accord approval to the proposal duly recommended by Principal Chief Conservator of Forests;
viii. Project site should be outside protected Areas;
ix. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980 shall submit monthly report to the concerned regional Office by 5th of every month regularly regarding approval of such cases. In the event of failure, the exercise of power by the State Government to grant such permission may be suspended by the Central Government for the specified period of time or till the information is submitted;

x. User Agency shall plant and maintain two times the number of trees felled on the diverted land to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose will be identified by the State Forest Department (Preferably within or in the surrounding area of the project). Only indigenous forest tree species shall be used for such plantation. Tress, if planted on the diverted area, will not be felled without the permission of the State Forest Department;

xi. User Agency shall be responsible for any loss to the flora/fauna in the surroundings and therefore, shall take all possible measure to conserve the same;

xii. User Agency shall pay the Net Present Value (NPV) of the diverted forest land at the rates stipulated by the Ministry of Environment and Forest from time to time;

xiii. Permission accorded by the State Government shall be subject to the monitoring by the concerned Regional Office of this Ministry;

xiv. The forest land shall not be use for any purpose other than that specified in the proposal. Any change in the land used without prior permission of the Central Government shall amount to the violation of Forest (Conservation) Act, 1980. Request of such changes shall be made to the Regional Office by the Nodal Officer (Forest Conservation) of the State;

xv. The State Forest Department/State Government or the concerned Regional Office, may impose from time to time any other condition in the interest of conservation, Protection and/or development of forests.

xvi. This general approval shall be valid till 23rd July 2015;

Yours faithfully

Sd/-
(T.C Nautiyal)
Director

Copy to :-

1. Prime Minister's Office (Kind attn: Shri Santosh D. Vaidya, Director), South block, New Delhi for kind information.
2. The Cabinet Secretary (Kind attn: Shri Murali Bhavaraju, Under Secretary), Rashtrapati Bhawan, New Delhi, New Delhi for kind information.
3. The Secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi, for kind information.
4. The Principal Secretary, Public Works Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.
5. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Uttarakhand, Dehadun.
6. The Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Uttarakhand, Dehradun.
7. Regional Office (North Central Zone), Ministry of Environmental and Forest, Government of India, Dehadun.
8. All Assistant Inspector General of Forests/Directors in Forest Conservation Division, MoEF.
9. The Director, Regional Office Headquater Division, MoEF.
10. Sr. PPS to DGF&SS. MoEF.
11. Sr. PPS to Addl. DGF(FC), MoEF.
12. PS to IGF (FC), MoEF.
13. Gaurd File

Sd/-
(H.C Chaudhary)
Director

F.No.11-306/2014-FC
Ministry of Environment, Forests and Climate Charge
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bagh Road,
New Delhi_110001
Dated:8th August, 2014

To

The Principal Secretary (Forests),
All State/Union Territory Governments,

Sub: Guidelines for diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (conservation) Act, 1980- Simplified procedure for grant of permission for felling of trees standing on forest land to be diverted for execution of linear projects: reg.

Sir,

I am directed to say that guidelines issued under the Forest (Conservation) Act, 1980 provides that forestry clearance will be given in two Stages. In 1st stage, the proposal shall be agreed to in- principle in which usually the conditions relating to transfer and mutation of equivalent non-forest land for compensatory afforestation and realization of funds for raising compensatory afforestation thereof and NPV etc. are stipulated and after receipt of compliance report from the State government in respect of the stipulated conditions, formal approval under the afore-mentioned Act is issued. Central Government while according in-principle approval stipulated a condition that till receipt of the formal/final approval of the Central Government, transfer of forest land to the User Agency shall not be affected by the States Government.

This Ministry has received representation to relax the above conditions in respect of project involving linear diversion of forest land and allow the user agency to fell trees standing on the forest land even before grant of formal/final approval by the Central Government once the conditions relating to transfer and mutation of equivalent non-forest land for compensatory afforestation, wherever required and funds for NPV and raising compensatory afforestation etc are complied with.

The matter has been examined in this Ministry and after careful consideration with a view to facilitate speedy execution of projects involving linear diversion of forest land such as laying of new roads, widening of existing highways, transmission lines, water supply lines, optic fiber cabling, railway lines etc., the Central Government hereby decided that for linear projects of National Highways Authority of India (NHAI), Border Roads Organisation (BRO), Central Public Works Department (CPWD), Ministry of Road Transport and Highways(MoRTH), Ministry of Railways and various other central agencies, in-principle approval under the Forest (conservation) Act, 1980 may be deemed as the working Permission for tree cutting and commencement of work, if the required funds for compensatory afforestation, NPV, wildlife conservation plan, Plantation of dwarf species of medicinal plants, and all such other compensatory levies specified in the in-principle approval are realized from the user agency. In case of linear projects of other user agencies. in-principle approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 may be deemed as the working permission for tree cutting and commencement of work, if the required compensatory levies as above, stipulated in the in-principle approval are realized from the user agency and where necessary, for compensatory afforestaiton, transfer and mutation of non-forest/revenue forest land in favour of State Forest Department is affected.

The State Governments, in such cases will seek and obtain from the Central Government final/formal approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of such forest land at the earliest, and in any case not later than five years from the date of grant of the in-principle approval.

This issues with approval of the competent Authority.

Yours Faithfully
Sd/-
(H.C. Chaudhary)
Director

F.No.11-317/2014-FC(pt.)
Ministry of Environment, Forests and Climate Charge
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jorbagh Road,
New Delhi_110 001
Dated: 25th August, 2014

To

The Principal Secretary (Forests),
All State/Union Territory Governments,

Sub: Guidelines for diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (conservation) Act, 1980- Non-availability of non-forest land for creation of compensatory afforestation-reg.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter No. 11-423/2011-FC dated 13th February 2012 on the above mentioned subject, wherein it has inter-alia been stipulated that certificated regarding non availability of non-forest land for creation of compensatory afforestation shall be accepted only from Sates having area of forest land more than 50% of their geographical area.

The Ministry has received requests from various States and Ministry in the Central Government that certificate of non-availability of non-forest land for compensatory afforestation may be accepted from Chief Secretaries of States and Union Territories having area of forest land more than 33% of their geographical area.

After careful examination of the matter, I am directed to say that in partial modification of this Ministry's said letter 11-423/2011-FC dated 13th February 2012, certificate regarding non availability of non-forest land for creation of compensatory afforestation will be accepted from the States having area of forest land more than 33% of their geographical area.

I am further directed to say that to ensure that certificate regarding non-availability of non-forest land/revenue forest land in a State/Union Territory is issued by the Chief Secretary in an informed and objective manner, such certificate regarding non-availability of non-forest or revenue forest for compensatory afforestation shall be issued in the format enclosed on the personal Stationary of the Chief Secretary.

This issues with approval of the competent Authority.

Yours Faithful

(H.C. Chaudhary)
Director

F.No.11-26/2014-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jorbagh Road,
New Delhi_110 003,
Dated: 27th August, 2014

To

The Principal Secretary (Forests),
All State/Union Territory Governments except Jammu and Kashmir.

Sub: Guidelines for diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (conservation) Act, 1980-Simplified procedure for grant of approval in certain cases of renewal of mining leases.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter F. No. 11-285/2011-FC dated 5th November 2013on the above-mentioned subject wherein this Ministry stipulated simplified procedure for grant of approval in certain cases of renewal of mining leases. Later on, this Ministry notified the Forest (conservation) Amendment Rules, 2014 to incorporate inter-alia the said simplified procedure in the Forest (Conservation) Amendment Rules, 2003 as Sub-Rule (3) of Rule 8 of the said Rules.

This Ministry has received representation from various Ministries to further simplify the procedure for grant of approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 for renewal of mining leases.

After careful examination of the matter, I am directed to say as below:

I. Provisions of sub-Rule (3) of Rule 8 of the Forest (Conservation) Rules, 2003 as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules, 2014 are extended to the cases where in-principle approval under the forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land has been accorded on a date more than 5 years prior to date of expiry of mining lease and for valid and cogent reasons it has not been possible for the user agency and the State Government to comply with conditions stipulated in the in-principle approval and obtain final approval under the forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of such forest land before expiry of the mining lease, provided such in-principle approval has not already been summarily revoked by the Central Government. In such cases, apart from the information/documents stipulated in clause (b) of Sub-Rule (3) of Rule 8 of the Forest (Conservation) Rules, 2003, the State Government may also submit reasons for delay in compliance to conditions stipulated in the in-principle approval.

I am also directed to say that in cases, where mining lease expires or has already expired within a period of 10(ten) years from the date of grant of in-principle approval under the Forest (Conservation) Act, 1980, even if final approval under the afore-mentioned Act for diversion of such forest land has already been accorded prior to expiry of mining lease, the State government may seek final approval of Central Government under the forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of such forest land for renewal of mining lease for a period, as specified by the State Government, not exceeding twenty years, giving details of the earlier approval in letter form, rather than initiating a de-novo proposal. Status of compliance to conditions stipulated in the earlier approval and compliance to statutes, circulars or directives, as applicable to such proposals, which came into force after grant of final approval, if any, shall also be submitted to the Central Government.

In such cases, the Central Government, shall, after considering advice of the Forest Advisory Committee or the State Advisory Group, as the case may be, and after further enquiry as it may consider necessary, grant final approval to the proposal of the State Government of Union Territory Administration, as the case may be, for renewal of mining lease for a period, as may be specified by the Central Government, not exceeding twenty years, with appropriate conditions or reject the same.

Yours Faithfully

Sd/-

(H.C. Chaudhary)
Director

F.No. 11-477/2013-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110003
Dated: 19th September, 2014

To,

The Principal Secretary (Forests)
All State / UT Governments.

Sub: Regarding *ex-post facto* approval for construction of approach roads and other road side commercial establishments for regularization of unauthorized establishments.

Sir,

I am directed to refer to the observations of the Forest Advisory Committee (FAC) Made during its meetings held on 16th to 17th August, 2012 and 10th to 11th June, 2013 wherein the committee noted that some commercial establishments like- petrol pumps, hotels, and approach roads connection such establishments, etc have been constructed on the forest land in the Right of Way (RoW) without obtaining approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980 and hence there are violations of the Forest (Conservation) Act 1980. Taking a serious view on the violations, the FAC recommended that the state/UT Governments may take suitable action against defaulting agencies under local Forest Acts and to submit the proposal for ex-post facto approval of the central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980.

in Context to the above, al State/UT Governments are requested to take action as appropriate to ensure compliance of the recommendation of the FAC. Suitable action may be regularization of such unauthorized establishments may be initiated immediately to obtain approval of the Central Government under the forest (Conservation) Act, 1980. However, all the cases involving diversion o0f forest land upto 1 ha in favour of the Government PSU's/agencies/boards/corporation and such other agencies may be processed as per the general approval extended to such organizations vide this Ministry's letter dated 11-9-1998- FC dated 13.02.2014.

Yours faithfully

(T.C. Nautiyal)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. Principal Chief Conservator of Forests, all State/ UT Governments.
2. The Addl. PCCFs (Central), all Regional Offices of the MoEF with a request ot ensure compliance of the recommendations of the FAC.
3. The Nodal Officer (FCA), Forest Departments all States/UT Governments.
4. Director (FC)/Sr. AIGFs (FC)/ AIGF (FC)/Director (ROHQ).
5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF, New Delhi.
6. Guard File.

(T.C. Nautiyal)
Assistant Inspector General of Forests

F.No. 11-306/2014-FC
Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Jorbagh Road, New Delhi-110003
Dated: 7th October, 2014

To,

The Principal Secretary (Forests)
All State / Union Territory Governments.

Sub: Guidelines for diversion of forest land for non-forest purpose under the forest (Conservation) Act, 1980- Enumeration of trees available on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose-reg.

Sir,

I am directed to say that boundary of forest land required to be diverted for non- forest purpose is normally finalized jointly by the user agency and the local forest officials before a proposal seeking, approval under the forest. (Conservation) Act, 1980 (FC Act) is submitted to the Nodal Officer, FC Act in the State/ Union Territory. Enumeration of trees available on the forest land proposed to be diverted is however, undertaken after the proposal is received by the Divisional Forest Officer from the Nodal Officer.

After careful examination of the matter, I am directed to say that to expedite processing of proposals seeking prior approval of Central Government under the GC Act for diversion of forest land for non-forest purpose, once the boundary of forest land proposed to be diverted is firmed up/ finalized, the user agency, if so desires, may provide, in advance, a copy of map of the forests land proposed to be diverted to the concerned Divisional Forest Officer and request him to undertake enumeration of tree available of the forest land proposed to be diverted. The concerned Divisional forest Officer, in such cases, without waiting for receipt of the proposal, may after realizing appropriate fee, as the State Government may stipulate in this regard, authorize concerned officers having jurisdiction over the forest land proposed to be diverted to enumerate, in advice, trees available on the forest land proposed to be diverted.

Yours faithfully

(H.C. Chudhary)
Director

F.No.11-306/2014-FC
Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran BhaWan
Aliganj, Jorbagh Road
New Delhi-110003
Dated 7th October 2014

To,

The Principal Secretary (Forests),
All State/Union Territory Governments

Sub: Guidelines for diversion of forest land form No-forest purpose under the forest (Conservation) Act, 1980-Simplified procedure to obtain approval under the Act for re-diversion or change in land use of forest land diverted fro non-forest purpose-reg.

Sir,

I am directed to draw attention to Para 2.1 (iv) of guidelines issued under the Forest (Conservation) Act, 1980 (FC Act) which provides that wherever re-diversion of of forest land becomes essential, State Government should seek the prior permission of the Central Government giving details of the earlier approval and the proposed activity details in letter form rather than initiating a fresh proposal. It has however, been observed that this Ministry is receiving fresh proposals seeking prior approval of Central Government for re-diversion or change in land use of the forest land diverted for non-forest purples.

After careful examination of the matter, I am directed to say that wherever re-diversion or change in approved land use of the forest land for the same project becomes essential, State Government should seek the prior permission of the Central Government giving details of the earlier approval and the proposed activity details in letter form rather than initiating a fresh proposal, as in provided in para 2-1 (iv) of guidelines issued under the FC Act. It is however, clarified that in case re-diversion of whole or a part of the forest land diverted for non-forest purpose for execution of a project, becomes essential for execution of a project other than the project for which such forest land was originally diverted, State Government should seek prior permission fo the Central Government under the FC Act by initiating a fresh proposal.

Yours Faithfully,

Sd/-
(H.C. Chaudhary)
Director.

F.No. 11-09/98-FC (pt)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110 001
Dated: 28th October,2014

To,

The Principal Secretary (Forests),
All State/ Union Territory Governments

Sub: Diversion of forest land for non-forest purpose under the Forest (Conservation) Act, 1980- ensuring compliance of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even dated 03.08.2009 wherein this Ministry issued detailed guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Union Traditional Forest dwellers (recognition of forest right) Act, 2006.

In consideration of representation received form Ministries in the Central Government, this Ministry after obtaining concurrence of the Ministry of Tribal Affairs informed the States and Union Territories vide letter of even number dated 5th February, 2013 that the proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980 for projects like construction of roads, canals, laying of pipelines/optical fibres and transmission lines etc. Where linear diversion of use of forest land in several villages are involved, unless recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities are being affected, are exempted from the requirement of obtaining consent of the concerned Gram Sabha (s) as stipulated in clause (c) read with clause (e) and clause (f) in second para of this Ministry's said letter dated 03.08.20096.

This Ministry after further examination of the matter observed that in case of plantations which were notified as "forest" on a day less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and are located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011, no forest right are likely to be recognised, even if the process stipulated in the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 and the rules framed there under for recognition and vesting of forests rights is initiated and completed. The reasons for the same are as below:

i. As per the clause (o) of the Section 2 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, no person residing in such forests will be eligible to be recognised as Other Traditional Forest Dwellers (OTFD)
ii. Such Villages will therefore, not have any person belonging to both the categories, *viz.* Scheduled Tribes and OTFD, whose rights can only be recognised over the forest land in accordance with the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. Question of recognition of forest rights on such forests will thus no arise.

Accordingly, I am directed to say that in further modification of this Ministry's said letter of even number dated 3rd August 2009, proposals seeking prior approval of the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of plantations which were notified as "forest" on a day less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and are located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes as per the Census-2001 and the Census-2011, are exempted from the requirement of initiation and completion of process for recognition and vesting of forest rights of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers as stipulated in clause (a) read with clause (d) and clause (g) in second para of this Ministry's said letter of even number dated 3rd August 2009. In such cases a certificate from the concerned District Collector to the effect that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011, will only be sufficient to meet requirement of clause (a), read with clause (d) and clause (g) in second para of this Ministry's said letter of even number dated 3rd August 2009.

This issue with approval of the competent Authority.

Sd/-
(H.C. Chaudhary)
Director

F.No. 11-09/98-FC (pt)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan
Aliganj, Jorbagh Road
New Dehli-110 001
Dated: 7th November, 2014

To,

The Principal Secretary (Forests),
All State/ Union Territory Governments

Sub: Guidelines of diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (Conservation) Act, 1980 Non-availability of non-forest land for creation of compensatory afforestation-*reg.*

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter No. 11-423/2011-FC dated 13th February, 2012 on the above mentioned subject, wherein it has inter-*alia* been stipulated that no certificate regarding non-availability of non-forest land for compensatory afforestation in the entire State/UT may be issued by the Chief Secretary, unless he/she obtains joint certificate to this effect from each district collector and Divisional Forest Officer in respect of area under their jurisdiction. It has also been stipulated in this Ministry's said letter dated 13th February 2012 that certificate regarding non-availability of non-forest land for creation of compensatory afforestation shall be accepted only from States having area of forest land more than 50% of their geographical area.

In partial modification of this Ministry's said letter No. 11-423/ 2011-FC dated 13th February 2012, this Ministry in consideration of request received from various States and Ministries in the Central Government decided that certificate of non-availability of non-forest land for Compensatory afforestation may be accepted from Chief Secretaries of States and Union Territories having area of forest land more than 33% of their geographical area, and communicated the same to States/ Union Territories vide letter of even number dated 25th August 2014 with a view to ensuring that certificate regarding non-availability of non-forest land/revenue forest land in a state/Union Territories is issued by the Chief Secretary in an informed and objective manner, this Ministry in the said letter of even number dated 25th August 2014 also communicated a format of certificate in this regard to be issued by the Chief Secretaries on their personal Stationary.

This Ministry has received requests to amend the said format of the Certificate to be issued by the Chief Secretaries regarding non-availability of non-forest land or revenue forest land for compensatory afforestation.

After careful examination of the matter, I am directed to say that in further modification of this Ministry's said letter No. 1-423/2012-FC dated 13th February 2014 and in partial modification of this Ministry's said letter of even number dated 25th August 2014, this Ministry has formulated a revised format of certificate regarding non-availability of non-forest land or revenue for compensatory afforestation, to be issued by the Chief Secretaries. A copy of the same is enclosed.

I am further directed to say that as provided in the said format, such certificates may be issued by the Chief Secretaries after careful examination of all relevant records and after obtaining requisite report from concerned officers in the State/UT.

This issues with approval of the competent authority.

Yours faithfully

(s/d)
(H.C. Chaudhary)
Director

F.No.11-09/98-FC
Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran BhaWan
Aliganj, Jorbagh Road
New Delhi-110003
Dated 7th November 2014

To,

The Principal Secretary (Forests),
Governments of Uttarakhand and Himachal Pradesh

Sub: Guidelines for diversion of forest land from non-forest purpose under the forest (Conservation) Act, 1980-General approval under Section-2 of the forest (Conservation) Act, 1980 -reg.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 13th February 2014 read with letter of even number dated 21th August 2014 on the above-mentioned subject wherein this ministry accorded general approval under section-2 of the forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of not more than I hectare of forest land in each case for creation of critical development and security related infrastructure of 13 Categories by Government Departments/ Undertakings, Boards Corporations etc, subject to conditions stipulated in this Ministry's said letter of even number dated 13th February 2014.

This Ministry has received representations from the Government of Uttarakhand and the Government of Himachal Pradesh to extend the said general approval to diversion of not more than 5 hectares fo forest land in each case, for creation of critical development and security related infrastructure of 13 categories, as specified in this Ministry's said letter of even number dated 13th February, 2014 , by Government Departments/undertakings, Boards, Corporations etc. in flood affected districts in Uttarakhand and Lahaul and Spite districts in Himachal Pradesh.

After careful examination of the matter, I am directed to say that with a view to facilitate creation of public utility infrastructure in flood affected districts in Uttarakhand and Lahaul and Spiti districts of Himachal Pradesh, general approval under section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of not more than I hectare of forest land in each case, for creation of critical development and security related infrastructure of 13 categories by Government Departments/ undertakings, Boards, Corporations etc. accorded by this Ministry vide letter of even number dated 13th February 2014 read with letter of even number dated 21th August 2014 is extended to diversion of not more than 5 hectares of forest land in each case, for creation of critical development and security related infrastructure of 13 categories, as spirited in this Ministry's said letter of even number 13th February 2014, by Government Departments/undertakings, Boards, Corporations etc. in these district for a period of one year from the date of issue of this letter, subject to conditions stipulated in this Ministry's said letter of even number dated 13th February 2014.

This issues with approval of the Competent Authority.

Yours Faithfully,

Sd/-
(H.C. Chaudhary)
Director.

F.No.11-09/98-FC
Ministry of Environment, Forests and Climate Charge
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bagh Road,
New Delhi_110003
Dated:7th November, 2014

To

The Principal Secretary (Forests),
All State/Union Territory Governments,

Sub: Guidelines for diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (conservation) Act, 1980 General approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980-reg.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 13th February 2014 read with letter of even number dated 21st August 2014 on the above-mentioned subject wherein this ministry accorded general approval under section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of not more than 1 hectare of forest land in each case, for creation of critical development and security related infrastructure of 13 categories by Government Departments/Undertakings, Boards, Corporations etc. subject inter-alia to the following condition;

"Project should not involve felling of more than fifty trees per hectare. Corresponding permissible limits of maximum number of trees to be felled for the forest area diverted shall be in proportion to the extent of the diverted area"

It has been brought to notice of this Ministry that area required for entry/exit roads for fuel stations is very small, and it will not be feasible for State to grant approval, in exercise of the said general approval. For diversion of forest land for entry/exit of fuel stations in case it involves felling of even a single tree. The said condition thus defeats the very purpose of grant of general approval and all such proposals will continue to be forwarded to the Regional Offices of the Ministry for approval.

I am directed to say that after careful consideration of the matter, this Ministry has decided that the said conditions stipulated in the general approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 shall be read as **"Project should not involved felling of more than 50 trees per hectare or ten trees, whichever is higher"**

This issues with approval of the competent Authority.

Yours Faithfully

Sd/-
(H.C. Chaudhary)
Director